खण्ड ५—अंक १०
२८ जुलाई, १९५६, (शनिवार)

लोक-सभा

वा द-वि वा द

(भाग १----प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha

(XIII Session)

(खण्ड ५ में अंक १ से अंक २० तक है)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे (देश में)　　एक शिलिंग (विदेश में)

178 L.S.D./56

विषय-सूचि

(खण्ड ५, संख्या १–२०—१६ जुलाई से १० अगस्त)

पृष्ठ

अंक १, सोमवार, १६ जुलाई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . . . १

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १, ३ से ८, १० से १२, १४ से २१, २३ से २५, २७ और २९ से ३१ . . . . १–२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २, ९, १३, २२, २८ और ३२ से ३४ . २४–२६

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २२, २४ और २५ . . . २६–३६

दैनिक संक्षेपिका . . ३८–३९

अंक २, मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५, ३९, ४१, ४२, ४४ से ५०, ५२ से ५७, ६० और ६१ . . . . . ४१–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३८, ४०, ४३, ५१, ५८, ५९, ६२ से ६७ . . . . . ६२–६७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६ से ५९ . ६७–८०

दैनिक संक्षेपिका . ८१–८३

अंक ३, बुधवार, १८ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८, ६९, ७१ से ७४, ७६, ७८, ८०, ८२, ८३, ८५, ८६, ८८, ९० से ९३, ९६ से ९९ . . . ८५–१०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ७०, ७५, ७७, ७९, ८१, ८४, ८७, ८९, ९४, ९५, १०० से ११३, ११५ से १२८ . . . . १०६–१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६० से ८१, ८३ . . . ११९–२६

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि . . १२६

दैनिक संक्षेपिका १२८–३०

अंक ४, शुक्रवार, २० जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३२, १३४, १३६ से १३८, १४०, १४१ १४३, १४७, १५० से १५३, १५६, १५७, १३५ और १३९ . १३१–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १३३, १४४ से १४६, १४८, १४९, १५४, १५५, १५८ . . . . . १५४–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४ से १०१ १५६–६४

दैनिक संक्षेपिका . . १६५–६६

अंक ५, शनिवार, २१ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १६७, १६९, १७१, १७२, १७४ से १७६ और १८० से १८६ . . . . . १६७–९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ १९०–९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १६८, १७०, १७३, १७७, १७८ और १८७ से१९६ १९२–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२ से १३० १९७–२०९

दैनिक संक्षेपिका २१०–१२

अंक ६, मंगलवार, २४ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १९७ से २०२, २०४ से २०६, २०८, २०९, २१२ २१३, २१६ से २२७, २१५ और २१० . . . २१३–३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या २०३, २०७, २११, २१४ २३६–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १३१ से १३९ २३७–४१

दैनिक संक्षेपिका २४२–४३

पृष्ठ

अंक ७, बुधवार, २५ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २४२, २४४ से २५२, २५४ और २५५ . २४४–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४३, २५३ और २५६ से २८६ २६६–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १७६ . . २७६–८८

दैनिक संक्षेपिका . . . २८९–९१

अंक ८, गुरुवार, २६ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८७ से २९२, २९४ से २९८, ३०० से ३०२ ३०४ से ३११ और ३१४ . २९२–३१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९३, २८८, ३०३, ३१२, ३१३, ३१५ से ३३८ और ३४१ . . . ३१४–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १७७ से २१ ३२४–३५

दैनिक संक्षेपिका . . ३३६–३७

अंक ९, शुक्रवार, २७ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४२, ३४४, ३४६ से ३४८, ३५४, ३७४, ३४९ से ३५३, ३५५, ३५६, ३५८, ३५९ और ३६१ से ३६७ ३३९–५७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ से ४ ३५७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न ३४३, ३४५, ३५७, ३६०, ३६४ से ३७३, ३७५ से ३८२ और ३८४ से ३९३ . . . . . ३६७–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या २१२ से २४० . ३७७–८७

दैनिक संक्षेपिका ३८८–९०

अंक १०, शनिवार, २८ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४००, ४०२ से ४०६, ४०८, ४११, ४१२, ४१५, ४१७, ४१८, ४२०, ४२१, ४२३, ४२६, ४२९, ४३१, ४३२ ४३५ और ४३६ . . . ३९१–४११

पृष्ठ

अल्प सुचना प्रश्न संख्या ५ . . ४१२–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ३९४, ३९५, ३९७, ४०१, ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ ४१४, ४१६, ४१९, ४२४, ४२५, ४२८, ४३०, ४३३, ४३४, और ४३७ से ४४७ . . . . . ४१३–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१ से २६१ . . ४२२–२९

दैनिक संक्षेपिका ४३०–३२

अंक ११, सोमवार, ३० जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ४५१ से ४५४, ४५६ से ४६०, ४६२, ४६३, ४६६, ४६८, ४६९, ४७१ से ४७७ और ४७९, ४८० . . . ४३३–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ४४८ से ४५०, ४५५, ४६१, ४६४, ४६५, ४६७, ४७०, ४७८ और ४८१ से ५०० . . . . ४५३–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२ से २९६ . ४६३–७६

दैनिक संक्षेपिका ४७७–७९

अंक १२, मंगलवार, ३१ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५ से ५०९, ५११ से ५२२, ५२५, ५२८, ५२९, ५३१ और ५३४ से ५३६ . . . . ४८१–५०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५०१ से ५०४, ५१०, ५२३, ५२४, ५२६, ५२७, ५३०, ५३२, ५३३, ५३७ से ५३९ और ५४१ से ५५७ . . ५०३–१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २९७ से ३३६ . ५१३–२४

दैनिक संक्षेपिका . ५२५–२६

अंक १३, बुधवार, १ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६०, ५६१, ५६३ से ५६५, ५६७, ५६८, ५७१, ५७३ से ५७७, ५७९ और ५८० . . . . ५२९–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५५८, ५५९, ५६२, ५६६, ५६९, ५७०, ५७२, ५७८ ५८१ से ५९८, ६०० से ६०६, ६०८ और ६०९ . . ५४९–५९

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३५१ . ५५९–६४

दैनिक संक्षेपिका . ५६५–६७

अंक १४, गुरुवार, २ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६११, ६१३ से ६१७, ६१९ से ६२४, ६२६ सें ६२९, ६३१ से ६३४, ६३७, ६३८, ६४० से ६४२ और ६४४ . . ५६९–९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६१०, ६१२, ६१८, १२५, ६३०, ६३५, ६३६, ६३९ ६४३ और ६४५ से ६७२ . . . . ५९०–६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५२ से ३८२ . . ६०२–१३

दैनिक संक्षेपिका ६१४–१६

अंक १५, शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्यां ६७३ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८४, ६८६, ६८७, ६९०, ६९१, ६९३, ६९५ से ६९८ और ७०१ से ७०५ . . ६१७–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६७९, ६८१, ६८५, ६८८, ६८९, ६९२, ६९४, ७०० और ७०६ से ७२१ . . . . ६३८–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३ से ४१२ और ४१४ . ६४५–५६

दैनिक संक्षेपिका . . . ६५७–५९

अंक १६, सोमवार, ६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ से ७२७, ७२९ से ७३३, ७३५ से ७३७, ७४१ से ७४३, ७४६ और ७४८ से ७५० . . . ६६१–८०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ६८१–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४५, ७४७, ७५१ से ७५५, ७५७ से ७७६, ७७८ से ७८०, ७८२ और ७८३ . . ६८२–९४

अतांरकित प्रश्न संख्या ४१५ से ४३९ और ४४१ से ४४३ ६९४–७०४

दैनिक संक्षेपिका ७०५–०६

पृष्ठ

अंक १७, मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८४, ७८६, ७८७, ७८९, ७९०, ७९२ से ७९७, ७९९ से ८०३, ८०५, ८०६, और ८०८ से ८१० . . ७०९–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . ७३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८५, ७८८, ७९१, ७९८, ८०४, ८०७, ८११ से ८३६ और ८३८ से ८४७ . . . ७३०–४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४४ से ४८६ और ४८८ से ४९४ ७४४–६०

दैनिक संक्षेपिका . ७६१–६४

अंक १८, बुधवार, ८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४८ से ८६७, ८६९, ८७० . ७६५–८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६८, ८७१ से ८९३ ७८५–९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९५ से ५२९ . ७९३–८०४

दैनिक संक्षेपिका . ८०५–०७

अंक १९, गुरुवार, ९ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९६ से ९००, ९०३, ९०५ से ९०७, ९०९, ९१४, ९१५, ९१८, ९२१ से ९२३, ९२५ से ९३१ . . ८०९–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ९०१, ९०२, ९०४, ९०८, ९१० से ९१३, ९१६, ९१७, ९१९, ९२०, ९२४, ९३२ से ९४२ ८३०–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३० से ५५३ ८३७–४६

दैनिक संक्षेपिका ८४७–४८

अंक २०, शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४ से ९४७, ९४९, ९५०, ९५३ से ९५७, ९५९ से ९६४, ९६६, ९८४, ९६७ और ९६८ . . . ८५१–७१

पृष्ठ

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . ८७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४३, ९४८, ९५१, ९५२, ९५८, ९६५, ९६९ से ९८३ और ९८५ से ९९३ . . . . . ८७१–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ६०३ . . . ८८०–९६

दैनिक संक्षेपिका ८९७–९००

भा. स. मु. ना.--वि.३--१८८ लोक सभा/५६—२-४-५८—१९०

लोक-सभा

शनिवार, २८ जुलाई, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में तूफान

†*३९६. **श्री राधा रमण** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का ठीकठीक अनुमान किया है कि मई, १९५६ म पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में बवंडरों से कितनी क्षति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उनसे जान और माल की कुल कितनी क्षति हुई थी ; और

(ग) सरकार ने सहायता के क्या-क्या उपाय किए थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सभा पटल पर विवरण रखे गये है जिनमें जान और माल की हानि तथा सहायता के विभिन्न उपायों का वर्णन है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३**]

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार ने उन चक्रवातों के कारणों की खोज करने के लिये कोई समिति नियुक्त की है ?

†**श्री दातार** : यह काम तो सामान्यतः राज्य सरकार का है। हमारा सम्बन्ध तो सहायता सम्बन्धी कार्यवाहियों से है, और जैसा माननीय सदस्य को ज्ञात ही है, हमने गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन इस प्रकार का एक विभाग खोला हुआ है जो कि इस प्रकार की आपत्तियों से उत्पन्न होने वाले मामलों के बारे में कार्यवाही करता है।

†**श्री राधा रमण** : क्या सभा में रखे गये इस विवरण में गैर सरकारी सम्पत्ति की हानि भी सम्मिलित है अथवा केवल सरकारी सम्पत्ति की हानि ही दिखाई गयी है ?

†**श्री दातार** : संभवतः इसमें गैर-सरकारी सम्पत्ति की हानि अथवा क्षति भी सम्मिलित है। जैसा कि माननीय सदस्य स्वयं देख सकते हैं। विवरण में "क्षति-प्राप्त मकानों के मूल्य" जैसी मदें भी सम्मिलित हैं अतः व मकान गैर-सरकारी मकान ही होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री नि० बि० चौधरी :** क्या राज्यों को दी जाने वाली सामान्य सहायता उसके अतिरिक्त सरकार ने बवंडरों से प्रभावित क्षेत्रों को विशेष सहायता भी दी थी ?

†**श्री दातार :** केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में विशेष नियम बनाये हुये है, और उनकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जा चुकी है। उनके अनुसार जब कभी भी कोई आपत्ति आती है, भारत सरकार २ करोड़ रुपये तक ५० प्रतिशत नुकसान को सहन करेगी और उससे आगे तीन चौथाई नुकसान को वहन करेगी।

प्रतिरक्षा सामान तथा उपकरण आदि

†*३९८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न यूनिट पदाधिकारियों ने अपनी वित्तीय शक्तियों के द्वारा तूफानों, वर्षा तथा अन्य प्रकार के भंडार की कठिनाइयों के कारण वस्तुओं, सामान और उपकरणों का जो अपलेखन कर दिया था, उससे गत तीन वर्षों में वर्ष वार कितनी क्षति हुई है ; और

(ख) क्या सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था की है जिससे इन प्राधिकारियों के प्राभाव से स्वतंत्र रहते हुए इन क्षतियों की सत्यता की जांच कर सके ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी, हां।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** वह स्वतंत्र विभाग कौन सा है जो कि इन नुकसानों की सत्यता की जांच करता है ?

†**श्री त्यागी :** इन नुकसानों की जांच वरिष्ट पदाधिकारियों द्वारा की जाती है ; और यदि कोई ऐसा नुकसान है जिस पर और अधिक जांच की आवश्यकता हो तो उसके लिये एक जांच न्यायालय नियुक्त किया जाता है जिसमें सम्बन्धित प्राधिकारी के प्रभाव से युक्त पदाधिकारी होते हैं और फिर वही न्यायालय जांच करता है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या कोई विशेष राशि सीमा निर्धारित की गयी है जिस से हानि के अधिक होने पर जांच न्यायालय अवश्य ही नियुक्त किया जाता हो ?

†**श्री त्यागी :** इस बारे में मेरे पास जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है; परन्तु सामान्यतः बहुत भारी नुकसानों के बारे में ही जांच न्यायालय नियुक्त किया जाता है।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** क्या यह व्यवस्था स्थायी है अथवा अस्थायी ?

†**श्री त्यागी :** इस व्यवस्था सहित ये स्टोर तथा डिपो न्यूनाधिक स्थायी है।

†**श्री गिडवानी :** क्या सरकार को ज्ञात है कि बहुत से स्टोर तथा उपकरण अभी तक बाहर खुले में धूप और वर्षा में पड़े हुए खराब हो रहे हैं, और उससे भारी नुकसान हो रहा है ?

†**श्री त्यागी :** माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल सच है। छते हुए स्थान की कमी के कारण बहुत से स्टोर बाहिर ही पड़े हुए हैं। परन्तु उनमें से अधिकांश तो फालतू घोषित कर दिये गय है और उन्हें बच डालन की प्रतीक्षा की जा रही है।

†**श्री गिडवानी :** क्या माननीय मंत्री इस बात का ध्यान रखेंगे कि भविष्य में कोई भी कीमती स्टोर या उपकरण बाहिर खुले में ही धूप और पानी में न पड़े रहें ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री त्यागी** : ज्यों ज्यों स्टोर बिकते जायेंगे अधिक स्थान निकलता आयेगा। कारण यह है कि कुछ एक मूल्यवान स्टोर, जिन्हें यद्यपि फालतू घोषित कर दिया गया है, तो वे अभी तक ढके हुए स्थान में रखे हुए है। इसलिये ज्यों ही वे स्टोर बिक जायेंगे, हमारे लिये अधिक स्थान बच जायेगा जिस में हम उन कीमती स्टोरों को रख सकेंगे जिनकी ओर माननीय सदस्य ने निर्देश किया है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : पिछले तीन वर्षों में जांच न्यायालय ने जो जांचे की है, क्या उनके परिणाम स्वरूप किन्ही ऐसे पदाधिकारियों का पता लगा है जिन्होंने नाजिम्मावारी से स्टोरों को नुकसान पहुंचने दिया है ; यदि हां तो क्या यह सच है कि उन नुकसानों का होना उनके वास्तविक घटना काल से कई वर्ष बाद पता लगा ह ?

†**श्री त्यागी** : वास्तव में जांच के अधीन नुकसान के मामले पुराने मामले हैं, क्योंकि जब विभाजन हो रहा था उस समय बहुत से नुकसानों का पता लगा था। उसके बाद वाले नुकसानों की तत्काल जांच कर ली जाती है और इन सालो में ऐसा कोई भी मामला नहीं है जिसकी जांच करने में अधिक देर लगी हो।

†**श्री सारंगधर दास** : क्या स्टाक बयान प्रति वर्ष किया जाता है अथवा दो वर्षों में एक बार किया जाता है ?

†**श्री त्यागी** : स्टॉक की गिनती प्रतिवर्ष की जाती है।

त्रावनकोर-कोचीन में भ्रष्टाचार के मामले

†*३९९. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, मई, तथा जून, १९५६ में त्रावनकोर-कोचीन राज्य के भ्रष्टाचार के कितने मामलों को भ्रष्टाचार विरोधी विभाग को सौंपा गया था ;

(ख) कितने मामलों की जांच अभी तक की जा रही है ; और

(ग) भ्रष्टाचार के ये मामले किस प्रकार के हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) ७५०, जिनमें से ११० याचिकायें तो राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार-विरोधी शाखा को सौंपी गयी हैं और ६४० याचिकायें उस शाखा द्वारा सीधी ही प्राप्त की गयी हैं ;

(ख) १५५।

(ग) मुख्य रुप से ये मामले विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों द्वारा किये गये कदाचारों के सम्बन्ध में है जिनमें पर्यवेक्षक कर्मचारियों द्वारा ठेकेदारों तथा अन्य लोगों से घूस आदि प्राप्त करने की इच्छा से अनियमितताओं की उपेक्षा कर देना भी सम्मिलित है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : राज्य परिवहन के लिये बसें खरीदने में सरकार को दो लाख रुपये की हानि हुई है। क्या यह मामला भ्रष्टाचार विरोधी विभाग को सौंपा गया है ?

†**श्री दातार** : अवश्य सौंपा गया होगा, परन्तु इसके बारे में मुझे पूरा पूरा ज्ञान नहीं है क्योंकि मेरे पास तो केवल पूछे गये प्रश्न के सम्बन्ध में ही आंकड़े हैं।

†**श्री वे० प० नायर** : २६ तारीख को जब मैंने इस प्रकार के एक प्रश्न में यह पूछा था कि क्या इन मामलों में वे सभी मामले सम्मिलित हैं जिनमें भूतपूर्व मंत्री भी अन्तर्गस्त हैं तो माननीय मंत्री ने यह उत्तर दिया था कि "जहां तक उन मामलों का सम्बन्ध है, मेरे पास पूरे विवरण नहीं है।" तो क्या मंत्री महोदय ने अब तक वह जानकारी एकत्रित कर ली है या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री दातार :** जी हां। मैंने जानकारी एकत्रित करली है और मैं अब बता सकता हूं कि ७५० शिकायतों तथा याचिकाओं में से कोई भी मामला उस राज्य के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध नहीं है।

†**श्री वीरस्वामी :** क्या भ्रष्टाचार के मामलों में ग्रस्त व्यक्तियों को कोई सजा दी गयी है, और यदि हां तो किस प्रकार की सजा दी गयी है?

†**श्री दातार :** जहां तक अभी तक निपटाये जा चुके मामलों का सम्बन्ध है, उनमें से किसी के भी विरूद्ध कोई ऐसा अपराध नहीं है जिस पर अभियोग चलाया जा सके; परन्तु फिर भी विभाग की ओर से जांच की जा रही है और अपराधियों को अवश्य दण्ड दिया जायेगा।

†**श्री अ० म० थामस :** माननीय मंत्री ने कल यह बताया था कि एक विशेष अधिकारी ने इस काम का आभार ले लिया है। क्या उस विशेष अधिकारी ने नियुक्त होने के बाद साधारण मामलों में से कोई असाधारण मामले खोज निकाले हैं?

†**श्री दातार :** मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि इस पदाधिकारी की नियुक्ति के बाद काम तीव्र गति से चलने लगा है और कई अत्यन्त गंभीर मामलों की जांच प्रारम्भ हो गयी है।

†**श्री अच्युतन :** इन ७५० मामलों में किस विभाग के मामले सब से अधिक हैं और क्या किसी मामले में कोई विभागाधिकारी भी ग्रस्त है?

†**श्री दातार :** मुझे विश्वास है कि कोई भी विभागाधिकारी ग्रस्त नहीं है। परन्तु माननीय सदस्य विभागों की दृष्टि से स्वयं ही इन मामलों का अनुमान करलें।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** क्या इन ७५० मामलों में अतिरिक्त, यह जानने की भी कोशिश की गयी है कि विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के इतने मामले क्यों हो रहे हैं?

†**श्री दातार :** सरकार पहले यह जानना चाहती है कि अपराधी कौन है। तदुपरान्त मुझे पूर्ण विश्वास है कि न ही केवल यह राज्य अपितु अन्य राज्य भी केन्द्र के समान सजगता-विभाग बनाने का उचित प्रबन्ध करेंगे।

†**श्री वे० पं० नायर :** माननीय मंत्री का यह कहना है कि कोई भी मंत्री अन्तर्ग्रस्त नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भ्रष्टाचार विरोधी विभाग ने त्रावनकोर-कोचीन प्रदेश कांग्रेस समिति के भूतपूर्व मंत्री, श्री संगू पिल्ले द्वारा भेजी गयी याचिका की ओर ध्यान दिया है .....

†**अध्यक्ष महोदय :** व्यक्तिगत मामलों के सम्बन्ध में मंत्री महोदय को सूचना दी जाये। इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछना उपयुक्त नहीं है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग

†***४००. श्री बाल्मीकी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४, १९५४–५५ और १९५५–५६ में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (एक्साइज) विभाग में कितने क्लर्कों, इन्सपेक्टरों और सुपरवाइजरों की नियुक्ति की गई और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों के थे;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त पदों में अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

---

†मूल अंग्रेजी में।

राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह) : (क) आवश्यक सूचना का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १४]**

(ख) जी हां, इसका कारण यह है कि अनुसूचित जातियों से आवश्यक न्यूनतम योग्यतायुक्त उम्मेदवार नहीं मिलते।

(ग) अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित रिक्त स्थानों की सूचना विभिन्न स्थानीय और प्रादेशिक नियोजन-केन्द्रों को दी जाती है ताकि वे उन जातियों के उपयुक्त उम्मेदवारों को नामजद करें। जब आवश्यक होता है तब इन नियोजन-केन्द्रों से रिक्त स्थानों की सूचना भारत के सब नियोजन-केन्द्रों को देने का अनुरोध भी किया जाता है। अनुसूचित जातियों के स्वीकृत संघों या संस्थाओं को भी लिखा जाता है कि वे उपयुक्त उम्मेदवारों को नामजद करें। अन्ततः प्रमुख समाचारपत्रों में विज्ञापन छपवाये जाते हैं जिनमें अनुसूचित जातियों के उम्मेदवारों से आवेदनपत्र भेजने के लिये कहा जाता है।

श्री बाल्मीकी : स्टेटमेंट को देखने से मालम होता है कि १९५३–५४, १९५४–५५ और १९५५–५६ में जो उनका साढ़े सोलह का कोटा है उसके हिसाब से जितनी जगहें उनको मिलनी चाहियें थी वह नहीं मिली हैं और उस रुप में यह कोटा पूरा नहीं हो रहा है और कारण उसका यह बतलाया गया है कि अनुसूचित जातियों से आवश्यक न्यूनतम योग्यतायुक्त उम्मेदवार नहीं मिलते तो मैं जानना चाहता हूं कि हालांकि इतने एम्प्लाययेंट एक्सचेंज काम करते हैं फिर भी उस कोटे के पूरा न हो पाने का क्या कारण है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : कारण तो मैं ने अभी बतलाया है। मैं नहीं समझता कि इसके अतिरिक्त और भी कुछ बताने की आवश्यकता है। हम सभी काम दिलाऊ दफ़्तरों से सम्बन्ध पैदा करते है और विज्ञापनों को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं एक बात अवश्य कह देना चाहता हूं। अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये केन्द्रीय उत्पादन विभाग में नोकरी करना कोई प्रलोभनीय वस्तु नहीं है क्योंकि संभवतः वे नहीं चाहते कि उनकी एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबदीली की जाये। वे तो अपने स्थानों के आसपास ही नोकरी चाहते हैं। परन्तु उत्पादन विभाग में तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति की तबदीली होती रहती है। सम्भवतः यही एक कारण है कि अहिता प्राप्त अभ्यर्थी अधिक संख्या में इन स्थानों के लिये आवेदन पत्र नहीं भेजते हैं। वे अपने राज्यों में ही इससे अच्छी नोकरियां प्राप्त कर सकते हैं।

श्री बाल्मीकी : आज हालांकि इन एम्पलायमेंट एक्सचेंज के पास ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेकार फिरते है लेकिन फिर भी उनकी जगह नहीं मिलती है तो क्या अधिकारियों की उदासीनता इसके लिये उत्तरदायी नहीं है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं समझता हूं कि मैने सारी स्थिति को अच्छी प्रकार से समझा दिया है। हम तो अधिक से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किसी विशेष भाग में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और उनमें से कितने व्यक्ति अपेक्षित अर्हता प्राप्त नहीं थे ?

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं नहीं कह सकता कि कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं यह बता सकता हूं कि प्रत्येक प्रकार की नौकरी में अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्ति भरती किए गये है।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : मेरा प्रश्न कुछ और था।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं उनका प्रश्न समझता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने यह सुझाव दिया है कि नमूने के तौर पर कोई एक स्थान ले लिया जाये और फिर इस बात की जांच की जाये कि क्या स्थिति वास्तव में वैसी ही है।

†**श्री अ० चं० गुह** : लगभग ६ या ७ मास पूर्व इसी प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। मैंने इस बात की ओर स्वयं ध्यान दिया था और बोर्ड को यह कहा था कि वह सभी समाहर्त कार्यालयों को अनुदेश जारी कर दें कि इस बात की ओर पूरा ध्यान दिया जाये ताकि सरकारी नीति को उचित प्रकार से कार्यान्वित किया जा सके। अब हमने यह भी निर्णय कर लिया है कि वे नौकरियां जो कि निर्धारित कोटे तक इस वर्ष पूरी नहीं हो सकती उन्हें अगले बर्ष तक भी रखना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस नीति से हम भविष्य में अच्छा लाभ उठा सकेंगे।

†**श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या यह सच है कि हैदराबाद क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों ने यद्यपि दो साल पहले प्रार्थना-पत्र भेजे थे परन्तु उनके प्रार्थना-पत्रों की ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है?

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं समझता हूं कि हैदराबाद समाहर्त कार्यालय में सेवा की कुछ श्रेणियों अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित दर से कुछ अधिक भरती की गयी है। जहां तक निम्न श्रेणी के क्लर्कों का सम्बन्ध है, १९५३–५४ में की गयी भरती निर्धारित की गयी दर से ४ प्रतिशत अधिक रही है। निरीक्षकों की दर थोड़ी सी कम रही है। जहां तक पर्यवेक्षकों का सम्बन्ध है उसकी दर कुछ अधिक रही है।

सोना तथा डालर की संचितियां

†***४०२. श्री साधन गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मई, १९५६ को पौंड पावना क्षेत्र में सोने तथा डालर की कुल कितनी संचिति थी ;

(ख) जनवरी, १९५५ से लेकर मई, १९५६ तक प्रति मास में संचितियां कितनी बढ़ी या घटी हैं ; और

(ग) इन संचितियों की वर्तमान स्थिति के कारण हमारी मुद्रा के विनिमय के दर पर क्या प्रभाव पड़ता है?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) २३,६९० लाख शिलिंग।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १५**]

(ग) 'संचितियों' का हमारी मुद्रा के विनिमय दर पर प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या यह सच नहीं है कि हमारी मुद्रा, पौंड मुद्रा से ग्रथित है और इस लिये पौंड मुद्रा की स्थिरता का हमारी मुद्रा की स्थिरता तथा मूल्य पर भी बहुत प्रभाव है?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह सच है कि पौंड मुद्रा की स्थिरता का हमारी मुद्रा पर काफी प्रभाव होता है परन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि यदि पौंड मुद्रा क्षेत्र की केन्द्रीय रक्षित राशि के स्तर में कमी बेशी होने से हमारी मुद्रा स्थिति को भी बदलना ही होगा या कोई अन्य दर नियत करनी होगी : वास्तव में इस अवधि में केन्द्रीय रक्षित राशि में काफी कमी बेशी हुई है परन्तु हमारे रुपये का विनिमय अनुपात वही रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या सरकार को मालूम है कि ब्रिटेन सरकार रक्षित राशि की स्थिति के संबंध में स्वयं बहुत चिन्तित है क्योंकि रक्षित राशि की स्थिति ने विश्व के बाजारों में यह अफवाह फैला दी है कि पौंड मुद्रा का अवमूल्यन करना होगा और इस प्रकार ब्रिटेन की विदेशी मंडियों को हानि होगी और इसका ब्रिटेन की मुद्रा पर भी अवश्य प्रभाव होगा ? क्या सरकार का इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : सरकार इस स्थिति से पूर्णत: जागरुक है, मैं माननीय सदस्य का ध्यान हाऊस ऑफ कॉमन्स में हुए हाल ही के वाद-विवाद की ओर दिलाता हूं जिसमें ऐसी शंकायें प्रगट की गई थीं और ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा था कि इन उण्यवचनों या इन अफवाहों का पौंड मुद्रा की स्थिरता या दृढ़ता या निर्बलता पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यदि भुगतान शेष में कोई प्रतिकूल अन्तर है, तो यह केवल सामयिक है और उन्होंने इन कटाक्षों को गलत बताया था कि पौंड मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है या यह कि उस के परिणामस्वरूप पौंड मुद्रा की स्थिति कमजोर पड़ गई है। इस स्तर पर मैं केवल इतना ही कह सकता हूं।

सरकारी कर्मचारियों की ईमानदारी

†*४०३. **श्री डाभी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३ मई, १९५६ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १९१९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग की उस सिफारिश के संबंध में अब कोई आदेश जारी किया है कि यदि सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध समाचार पत्रों में कोई बेईमानी का आरोप लगाया जाए तो संबंधित सरकारी कर्मचारी को विधि-न्यायालय में अपनी शीलनिष्ठता सिद्ध करनी होगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन आदेशों की एक प्रति लोक सभा-पटल पर रखी जाएगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) तथा (ख). इस विषय पर जो आदेश जारी किए जायेंगे उनका ब्योरा अभी विचाराधीन हैं।

†**श्री डाभी** : क्या कोई ऐसे सरकारी कर्मचारी भी है जिन्हें विधि न्यायालय में अपनी शील-निष्ठता का प्रमाण देने के लिये कहा गया था ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य को मैं बता दूं कि हमारी जानकारी में ऐसे दो मामले आए थे एक मामले में पदाधिकारी को कार्यवाही करने के लिये कहा गया था। जब पदाधिकारी ने मुकदम दायर करने की तैयारियां कर ली थीं तब मान हानि करने वाले दल ने बिना किसी शर्त के माफ़ी मांग ली और इस लिए वह मामला खत्म हो गया था।

जहां तक दूसरे मामलों का संबंध है अभी प्रारम्भिक जांच का काम पूरा नहीं हुआ है।

†**श्री डाभी** : क्या मैं इन पदाधिकारियों का नाम और अभिधान पूछ सकता हूं ?

†**श्री दातार** : इन नामों को बताना जन हित में न होगा।

भारत के शास्त्रीय ग्रन्थों का अनुवाद

*४०४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीयों को भारतीय साहित्य तथा संस्कृति का ज्ञान कराने के लिये वहां की भाषाओं में रामायण, कालिदास के नाटकों तथा अन्य प्रसिद्ध भारतीय ग्रन्थों का अनुवाद किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास): जी, नहीं। ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि श्याम और थाई देश में रामायण के तीन प्रकार के पाठ हैं और वह पाठ हिन्दुस्तान के पाठ के अनुकूल नहीं हैं? क्या सरकार इस बातका प्रयत्न करेगी कि रामायण और महाभारत का ठीक पाठ और उसका ट्रांस्लेशन वहां भेजा जाय?

†**डा. म० मो० दास :** यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है। सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसी योजना तैयार की है कि जो हमारे प्रवासी भारतीय दूसरे देशों में हैं उनका अपने देश की संस्कृति के प्रति प्यार रहे और प्रेम सम्बन्ध बना रहे और इस के लिये शिक्षा मंत्रालय ने क्या कोई प्रयत्न किया है?

†**डा० म० मो० दास :** जी हां, हम ने इन देशों में उनके लड़के तथा लड़कियों को हिन्दी की शिक्षा देने के लिये और उनमें भारतीय संस्कृति फैलाने के लिये हिन्दी के कुछ प्रोफेसर भेजे हैं।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री(श्री जवाहरलाल नेहरू) : हां, इस बात का विचार तो काफी किया गया है। इसके लिये मैं समझता हूं कि सब से ज्यादा जरूरी बात यह है कि उन देशों में, जहां पर हिन्दुस्थानी रहते हैं, अच्छे पुस्तकालय हों और यहां की पुस्तकें वहां हों। इस के अलावा वहां पर हमारे समाचार पत्र और पत्रिकायें वगैरह भी रहें ताकि जो कुछ वे पढ़ें उस के साथ वहां पर हमारे यहां की खबरें भी पहुंचें, गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिकेशन्स निकलते हैं वह भी पहुंचें, खाली भारतीयों के लिये ही नहीं बल्कि औरों के लिये भी, और इस के लिये कोशिश हो रही है। कई जगह पुस्तकालय खुले हैं और आशा है कि और जगहों पर भी खुलेंगे।

श्री राधा रमण : क्या मैं यह जान सकता हूं कि रामायण और महाभारत आदि जो ग्रंथ हैं उनका दूसरे मुल्कों की जबानों में तर्जुमा करवाने और वहां पर उनको बेचने का कोई प्रबन्ध गवर्नमेंट कर रही है?

श्री जवाहर लाल नेहरू : शायद इस बात की कोशिश करना उतना जरूरी नहीं है जितना कि और बातें हैं। अगर आप कहें कि उन पुस्तकों का सारांश निकाल कर छोटी पुस्तकें बनवाई जायें, तो यह हो सकता है क्योंकि यह बहुत बड़ी पुस्तकें हैं जिनका अनुवाद करवाना कठिन है और उस को करवा कर बिक्री के लिए रखा जाए तो शायद उसके खरिदार भी मुश्किल से ही मिलेंगे एक आध लाइब्रेरीज ले लें तो दूसरी बात है। अगर कोई छोटी चीज़ होगी तो उस को लोग पढ़ भी आसानी से सकेंगे।

हैदराबाद राज्य बैंक

†*४०५. **श्री कामत :** क्या वित्त मंत्री २९ मई, १९५६ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २४८५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद राज्य बैंक में प्रबन्ध संचालय नियुक्त करने के संबंध में क्या हैदराबाद सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दक्षिण पूर्व एशिया को सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल

*४०६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण पूर्व एशिया का भ्रमण किया ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम तथा उनकी योग्यतायें क्या थीं ;

(ग) उन्होंने किन-किन देशों का भ्रमण किया ;

(घ) क्या उन्होंने उन देशों में कुछ प्रदर्शन किये ; और

(ङ) इस प्रतिनिधिमंडल पर भारत सरकार ने कुल कितना खर्चा किया ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) हां, जी ।

(ख) सदस्यों की एक सूची सभा-पटल पर रख दी गई है [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १६**] । शिष्टमंडल के मंत्री, अकाउन्टेंट और श्रीमती पृथ्वीराज कपूर के अतिरिक्त दूसरे सभी अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्र के प्रामाणिक कलाकार हैं ।

(ग) बर्मा, थाइलेण्ड, वायेतनाम, (दक्षिणी और उत्तरी), कम्बोडिया, फिलीपाइन्ज, इन्डोनेशिया, सिंगापुर और मलाया ।

(घ) हां, जी ।

(ङ) वास्तविक व्यय अभी तक नहीं आंका गया है । स्वीकृत धन-राशि २,९१,४००रू. थी ।

श्री भक्त दर्शन : यह जो विवरण सभा-पटल पर रक्खा गया है उस से ज्ञात होता है कि इस शिष्ट मंडल में २३ व्यक्ति सम्मिलित थे । उन में से २० व्यक्ति ऐसे थे जो नाच और गाने के विशेषज्ञ थे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट की परिभाषा में संस्कृति और कला के अन्दर केवल गाना और नाचना ही आता है या और चीजें भी आती हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : इन देशों को यह जो विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था उसमें नृत्यकार, संगीतज्ञ आदि थे ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस प्रतिनिधि मंडल ने दौरे से लौटने के बाद गवर्नमेंट को कोई रिपोर्ट दी है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में किस प्रकार से भारतीय संस्कृति को फैलाया जा सकता है या उन्होंने कोई योजना इस प्रकार की प्रस्तुत की है कि कैसे वहां के विद्यार्थी यहां आ कर पढ़ सकते हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : उन देशों से विद्यार्थियों को इस देश में आने और हमारे विश्वविद्यालयों में दाखिल होने के लिये आमंत्रित किया जाता है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या यह सच है कि एक अन्य प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही चीन भेजा जाएगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : 'सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल' शब्द के उपयोग के संबंध में कोई गलती या भ्रम है । एक सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल, मान लीजिए, प्रोफ़ेसरों और शिक्षा शास्त्रियों का है । एक अन्य सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल गायन, नृत्य, चित्रकला, संगीत आदि के कलाकारों का है । वे बिल्कुल विभिन्न हैं । कोई सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल नृत्य तथा गायन के लिये जाता है तो वह हमें विद्यार्थियों के आने और जाने के संबंध में प्रतिवेदन नहीं देता है । वे बिल्कुल विभिन्न क्षेत्र में कार्य करते हैं । वे हमारी कला को ले कर जाते हैं और उनकी कला की कुछ बात सीख कर आते हैं । इस लिए हमें इन दोनों बातों को आपस में मिलाना नहीं चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या कोई ऐसी संस्था स्थापित की गई है जो इन सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों में भाग लेनेवाले जातियों को वास्तव में चुनेगी ? यदि हां, तो वे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने इस विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल को चुना था।

†**डा. म० मो० दास :** एक विशेषोपयुक्त संस्था है, संगीत नाटक अकादमी। परन्तु यह संस्था अन्य देशों को भेजे जाने वाले कलाकारों का सदैव चुनाव नहीं करती है। इन कलाकारों को चुनने के लिये वैदेशिक कार्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का भी गहरा सहयोग प्राप्त होता है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इस विशिष्ट प्रकार के कार्य हम वास्तव में पूर्व प्रकम में हैं और कुछ बार थोड़ी सी भ्रन्ति भी हो जाती है। व्यक्ति के चुनाव के लिये तीन संस्थाएं हैं। एक तो निःसन्देह शिक्षा मंत्रालय है; विशेषतया अकादमी का इस कार्य से संबंध है, ललित कला अकादमी या अन्य अकादमी। फिर वैदेशिक कार्य मंत्रालय है जिसके जिम्मे उन्हें बाहिर भेजने का काम है। फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ह, जिसके कई कलाकार ह और जो कलाकारों के सम्पर्क में रहता है। इस प्रकार प्रायः ये तीन मंत्रालय उन्हें चुनते ह।

बुनियादी शिक्षा

†*४०८. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि काचीपुरम् में ३० मइ से १ जून, १९५६ तक एक बुनियादी शिक्षा सम्मेलन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन के मुख्य मुख्य निर्णय ; और

(ग) उन पर कहां तक अमल किया गया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां।

(ख) इस सम्मेलन के व्यवस्थापकों से अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि बेसिक एज्युकेशन (बुनियादी शिक्षा) के बारे में जो सम्मेलन होते है, और जैसी बेसिक एज्युकेशन महात्माजी चाहते थे, उसके अनुसार बेसिक शिक्षा दी जाती है या नहीं ? क्या इस बारे में कभी गवर्नमेंट ने गौर किया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, इस पर अच्छी तरह से गौर किया गया है और सरकार ने यह फैसला किया हैं कि जो भी प्राईमरी एज्युकेशन का पटर्न स्वरूप होगा वह बेसिक एज़्युकेशन का होगा और उसके मुताल्लिक कार्रवाई की जा रही है। जो साधारण स्कूल हैं उनको पहली पंचवर्षीय योजना में भी बेसिक स्कूलों में कंवर्ट (परिणित) करने का प्रयत्न किया गया था और अगली पंचवर्षीय योजना में भी किया जायगा।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कभी माननीय मंत्रीजी ने किसी बेसिक एज्युकेशन और नान बेसिक एज्युकेशन स्कूल को देखा है, और यदि देखा है तो दोनों में क्या फर्क पाया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, मैंने सैकड़ों स्कूल देखे हैं और उनमें फर्क भी बहुत है, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि बेसिक स्कूल भी खराब हैं और साधारण स्कूल भी खराब हैं। बेसिक स्कूल भी अच्छे हैं और साधारण स्कूल भी अच्छे हैं। उन स्कलों की खराबी और अच्छाई उनके शिक्षकों पर निर्भर करती है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री मादिया गौड़ा : इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया था, इसमें कितने और कौन कौन प्रतिनिधि थे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस सम्मेलन का आयोजन हिन्दुस्तानी तालीमी संघ ने किया था। उन्होंने राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार तथा प्राइवेट संस्थाओं को उसमें भाग लेने के लिये प्रार्थना की थी। सामान्यतः इसमें सभी प्रकार के लोग थे क्यों कि इसका आयोजन एक प्राईवेट संस्था दारा किया गया था।

†**श्री मादिया गौडा :** उसमें राज्यों के कितने प्रतिनिधि थे बुनियादी शिक्षा के विशेषज्ञ ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हमने वहां पर अपने प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय अनुसन्धान संस्था के निदशक को भेजा था। किन्तू वहां पर राज्यों के कितने प्रतिनिधि थे इस प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे सूचना चाहिये।

†**श्री विभूति मिश्र :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे मंत्री बतला सकते हैं कि कितने बेसिक स्कूल हैं जो अब स्वावलम्बी हो चुके है जो कि गांधीजी का स्वप्न था।

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, अभी बहुत स्कूल ऐसे नहीं हैं जो पूर्ण रूप से स्वावलम्बी हों, लेकिन अब कुछ स्कूलों में स्वावलम्बन का प्रयत्न किया जा रहा है। बिहार में इसका प्रयत्न किया गया है, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, सेवाग्राम में इसका प्रयत्न किया गया है। लेकिन अगर माननीय सदस्य इसके आंकड़े चाहते हैं तो वह मैं इस वक्त नहीं दे सकता हूं और उसके लिये मुझे नोटिस चाहिये।

मनीपूर के स्कूलों में अध्यापक

†*४११. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मनीपुर की सरकार ने गवर्नमेंट हाई स्कूलों में कई स्नातकों को बिना आवेदन पत्र आमंत्रित किए अध्यापक नियुक्त कर दिया है और यह काम उन्होंने पहले से अर्थात, जनवरी १९५५ से मई, १९५६ तक कार्य कर रहे वरिष्ठ तथा प्रशिक्षित, अध्यापकों का अवक्रमण करके किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितने स्नातकों को नियुक्त किया गया है ; और

(ग) भर्ती के सामान्य नियमों का पालन न करने के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

†**श्री रिशांग किशिंग :** मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के (क) भाग का उत्तर नहीं में दिया है। किन्तु मैं ऐसे उदाहरण जानता हूं जिनमें ऐसी नियुक्तियों में पहले से काम करने वाले अध्यापकों का अवक्रमण किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ऐसे अध्यापकों से सीधे अभ्यावेदन लेना चाहेंगे और क्या ऐसे मामलों में अध्यापकों को उत्पीड़ित तो नहीं किया जायगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हमारी तो यही सूचना है कि किसी को अवक्रमण नहीं किया गया है। हां, वे लोग नियमित मार्ग से अभ्यावेदन भेज सकते हैं और मेरे विचार में इस कारण से किसी को उत्पीड़ित नहीं किया जायगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्यों कि कुछ माननीय सदस्य को ज्ञात है और जो कुछ मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है उन दोनों में अन्तर है, अतः ऐसे लोगों के मामले में जो सेवा में हैं परन्तु जिनको अवक्रमित हुआ नहीं दिखाया गया है यदि उनको सामान्य मार्ग से अभ्यावेदन भेजने से इन्कार कर दिया जाये तो उनकी क्या स्थिति होगी ? क्या वे आपके पास सीधे आ सकते हैं अथवा नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि जहां तक जनवरी, १९५५ से मई, १९५६ तक की अवधि में स्नातक अध्यापकों की नियुक्ति का प्रश्न है, जिसके बारे में कि माननीय सदस्य सूचना प्राप्त करना चाहते हैं हमने कोई ऐसी नियुक्ति नहीं की है। कभी-कभी आपात नियुक्तियां कर ली जाती हैं, जो आवेदन पत्र आमंत्रित करने के बाद नियमित की जाती हैं। किन्तु फिर भी अगर कोई मामला है तो उसके बारे में नियमित माग से ही अभ्यावेदन करना होगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या हम यह समझें कि माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर में आपात नियुक्तियां नहीं सम्मिलित हैं?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैंने पहले ही कह दिया है कि स्नातक अध्यापकों की ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई है और इस खास तौर पर अवधि में जिसका कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है।

अग्रतला में बाढ़

†४१२. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल ही में अग्रतला नगर में आयी बाढ़ों के कारण सरकारी सम्पत्ति की कितनी हानि हुई है;

(ख) इस बाढ़ के कारण कितने व्यक्ति मरे हैं; और

(ग) कितने पशु मरे हैं?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) लगभग ३,६४,८१६ रुपये

(ख) ११

(ग) ८६

†**श्री बीरेन दत्त :** त्रिपुरा राज्य कलेक्टरी की कितनी सम्पत्ति की हानि हुई है?

†**श्री दातार :** जहां तक सरकार को हुई हानि का सम्बन्ध है, उसे लगभग ३,६४,०००रुपय की हानि हुई है।

†**श्री दशरथ देब :** क्या यह सत्य है कि इस बाढ़ से अग्रतला (त्रिपुरा) में सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय के प्रलेखों को बड़ी हानि हुई है और इस प्रकार जनता को भारी नुकसान हुआ है; यदि यह बात ठीक है तो कितने जनता के प्रलेखों और प्रलेख पुस्तकों के कितने खंड विक्षत हुए हैं?

†**श्री दातार :** मुझे इस हानि का ब्योरा तो पता है। किन्तु यह बात सत्य है कि कुछ अनिर्गमनीय नोटों तथा कुछ छोटे सिक्कों को क्षति पहुंची है।

†**श्री दशरथ देव :** क्या यह सत्य है कि अग्रतला (त्रिपुरा) की सदर कलेक्टरी में भूमि के बन्दोबस्त सम्बन्धी अनेकों अभिलेखों को क्षति पहुंची है?

†**श्री दातार :** जी नहीं।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय

†*४१५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साऊदी अरब के बादशाह ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय को कोई वित्तीय सहायता दी है;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो उसका उद्देश्य ; और

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारी उस रुपये का कैसे उपयोग कर रहे हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) जी, हां।

(ख) यह अनुदान विश्वविद्यालय में एक मेडिकल कालिज तथा अस्पताल बनाने के लिये दिया गया है।

(ग) अभी तक वह रुपया विश्वविद्यालय के अधिकारियों को नहीं दिया गया है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : कुल कितना अनुदान दिया गया है और क्या उसके उपयोग के सम्बन्ध में कोई शर्तें भी रखी गई थीं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह राशि १० लाख रुपये है और इसके साथ कोई शर्त नहीं है। किन्तु जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, यह अनुदान मैडिकल कालिज तथा अस्पताल बनाने के लिये दिया गया है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या साऊदी अरब में इस संबंध में कोई शिष्टमंडल भी भेजा गया था और क्या उसकी कोई आवश्यकता थी ? इस शिष्टमंडल पर कितना रुपया व्यय किया गया था?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जब साऊदी अरब के बादशाह यहां आये थे और वह अलीगढ़ विश्वविद्यालय में गये तब उन्होंने वहां के उप-कुलपति को साऊदी अरब में आकर विश्वविद्यालय के बारे में अधिक बातें बताने के लिये निमंत्रण दिया था। वह विश्वविद्यालय के कार्य से बहुत प्रभावित हुए थे, अतः उन्होंने उपकुलपति तथा उनके सहयोगियों को साऊदी अरब आने का निमन्त्रण दिया था। इस लिये यह शिष्टमंडल अलीगढ़ विश्वविद्यालय की ओर से वहां गया था। वास्तव में अभी उस शिष्टमंडल के वहां से वापस आने से पूर्व ही वहां के बादशाह ने मुझे अलीगढ़ विश्वविद्यालय में एक मेडिकल कालेज तथा अस्पताल बनवाने के लिये १० लाख रुपये का एक चैक भेज दिया। अभी तक मैंने वह रुपया अलीगढ़ विश्व-विद्यालय को नहीं दिया है। वह अभी तक मेरे पास ही है। क्योंकि मैं योरुप जा रहा था और मैंने यह सोचा कि यह रुपया बेकार नहीं पड़ा रहना चाहिये इसलिये मैंने इसे एक लघु कालीन निश्चित निक्षेप में लगा दिया था।

†**श्री कामत** : क्योंकि अलीगढ़ विश्वविद्यालय एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है इसलिये रूसी तथा अरबी नेताओं द्वारा सरकारी अधिकारियों को दिये गये उपहारों के बारे में गृह-कार्य मंत्री ने परसों जिस निर्देशक तत्व का जिक्र किया था, क्या वह सऊदी अरब के नरेश के द्वारा अलीगड़ विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग तथा प्रिन्सिपल को दिये गये इस उपहार पर भी लागू होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह किसी एक व्यक्ति को दिया गया उपहार नहीं है, यह उपहार तो विश्वविद्यालय को दिया गया है।

†**श्री कामत** : मैंने प्रिंसिपल को दिये गये उपहार कहा है .....

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न यहां उत्पन्न ही नहीं होता है।

†**श्री कामत** : आप उस समय उपस्थित नहीं थे .....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उस समय उपस्थित था किन्तु वह किसी अन्य मामले से सम्बन्धित बात थी, यहां विश्वविद्यालय की बात चल रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** क्या इसमें प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई ऐसी शर्त भी है कि साऊदी अरब के मेडिकल के विद्यार्थी यहां आयेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं कोई ऐसी बात नहीं जानता हूं, किन्तु अगर वे यहां आना चाहेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे ।

माध्यमिक शिक्षा

†*४१७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री २ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इस सिफारिश को जो कि शिक्षा के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड द्वारा स्वीकृत कर ली गयी है, कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाओं को अनिवार्य रूप से पढ़ाने की व्यवस्था की जानी चाहिये, कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये ह ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** यह विषय अभी विचाराधीन है।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या इस विषय पर राज्य सरकारों के विचार भी मंगाये गये हैं ? यदि हां तो भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों के क्या मत हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** राज्य सरकारों का मत पूछा गया है किन्तु अभी तक अधिक राज्यों के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। हमने उनको कई अनुस्मारक भी भेजे हैं।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या किसी राज्य सरकार ने उत्तर दिया है ? यदि हां, तो किस रूप में ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हम कुछ समय तक प्रतीक्षा करेंगे और फिर उन उत्तरों पर विचार किया जायेगा। उसके बाद ही मैं सभा को यह सूचना दे सकूंगा।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या कोई ऐसा भी राज्य अथवा विश्वविद्यालय है जहाँ पर इस निर्णय को लागू किया जा चुका हो ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं अनायास ही इसका उत्तर नहीं दे सकता हूं। किन्तु मुझे ज्ञात है कि कई राज्यों में ये तीन विषय जिनकी हमने सिफारिश की है पढ़ाये जा रहे हैं।

सेठ गोविन्द दास : इस सम्बन्ध में क्या भिन्न भिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की कोई परिषद बुलाने का विचार है और यदि है तो कब तक और इस संबंध में कब तक पूर्ण निर्णय हो जाने की आशा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, एज्युकेशन मिनिस्टर्ज़ (शिक्षा मंत्रियों) की कान्फ्रेंस ३० और ३१ अगस्त को बुलाई जा रही है जिसमें भाषा के सम्बन्ध में तथा अन्य शिक्षा सम्बन्धी मामलों पर विचार किया जायगा।

†**श्री डाभी :** वे कौन कौन सी तीन भाषाएं हैं जिनको अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाये जाने की सिफारिश की गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हमने राज्य सरकारों को दो फारमूले भेजे हैं :

पहला फारमूला यह है :—

(क) मातृ-भाषा अथवा प्रादेशिक भाषा, अथवा मातृ भाषा तथा प्रादेशिक भाषा का मिला जुला पाठ्यक्रम, अथवा मातृ भाषा और प्राचीन भाषा का मिला जुला पाठ्यक्रम अथवा प्रादेशिक भाषा तथा प्राचीन भाषा का मिला जुला पाठ्यक्रम ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) हिन्दी अथवा अंग्रेजी ;

(ग) कोई आधुनिक भारतीय अथवा योरुपीय भाषा, यदि वह ऊपर (क) और (ख) के अन्तर्गत नहीं ली गई है।

दूसरा फारमूला यह है :—

(क) जैसे कि ऊपर (क) में ;

(ख) अंग्रेजी अथवा आधुनिक योरुपीय भाषा ; और

(ग) हिन्दी—अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिये कोई और आधुनिक भारतीय भाषा।

भारतीय नौ सेना

†*४१८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय नौ-सेना में पनडुब्बियों की सेना रखने का कोई प्रस्ताव है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा०काटजू)** : यह बताना जन हित में नहीं होगा कि भारतीय नौ-सेना में पनडुब्बियों की सेना रखने का कोई प्रस्ताव है अथवा नहीं।

†**श्री कामत** : मैं एक औचित्य प्रश्न पर यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ही अकेले यह निर्णय कर सकती है कि कोई बात जनहित में है अथवा नहीं या इस विषय में आप की भी कुछ आवाज है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सामान्यत: यह कार्य सरकार का ही है कि वह निश्चय करे कि कौन सी बात बतानी है और कौन सी नहीं। अध्यक्ष उसके निर्णय में कोई मत नहीं देता है, क्यों कि स्पष्ट मामलों के अतिरिक्त सरकार ऐसा दावा नहीं करेगी।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हम इस सभा से किसी चीज़ को छुपाना नहीं चाहते हैं। किन्तु प्रारम्भ में ही प्रत्येक बात का खुलासा नहीं बताया जा सकता ह, क्योंकि इसमें हानि होने का डर रहता है। किन्तु मैं उस सभा को बताना चाहता हूं कि इस समय भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता हूं—हमारे पास कोई ऐसा निश्चित प्रस्ताव नही है।

†**श्री कामत** : यह उत्तर प्रतिरक्षा मंत्री के उत्तर से भिन्न है और अधिक संतोषजनक है।

विज्ञान मंदिर

†*४२०. **श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २१ मई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २२२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विज्ञान मन्दिरों की स्थापना करने के विषय में कोई निर्णय किया जा चुका है;

(ख) यदि हां तो किन किन स्थानों पर ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तथा (ग). अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने और विज्ञान मन्दिर खोलने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। इस समय केवल बाराबंकी में एक विज्ञान मन्दिर है।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव आया है कि उत्तर काशी, श्रीनगर, टिहरी गढ़वाल जैसे स्थानों में विज्ञान मन्दिर स्थापित हो सकते हैं, जहां कि मोटर सड़क भी नज़दीक है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री के० दे० मालवीय : जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया है यू० पी० सरकार से अभी कोई सलाह नहीं आई है कि किस ज़िले में और विज्ञान मन्दिर स्थापित किये जा सकते हैं।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या वहां से सलाह आने पर सरकार उस पर विचार करेगी?

श्री के० दे० मालवीय : जी हां, सरकार तो अवश्य ही विचार करेगी ?

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि विज्ञान मन्दिरों की स्थापना का भार राज्य सरकारों के ऊपर है या केन्द्रीय सरकार के ऊपर ? मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विषय में इनिशिएटिव (पहल) कौन लेता है ?

श्री के० दे० मालवीय : इनिशिएटिव तो केन्द्रीय सरकार लेती है। इस योजना के अन्तर्गत वह अपना एक कार्यक्रम बना लेती है और उसको स्टेट सरकारों के सलाह-मशविरे से कार्यन्वित करती है।

अन्दमान में कुटिर उद्योग

†*४२१. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३० अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १५६५ के उत्तर के सम्बन्ध में बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंदमान और निकोबार द्वीपों में कुटीर उद्योगों के विकास की योजना का ब्योरा तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या हैं ?

गृह-काय मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या इस सम्बन्ध में किसी योजना का सुझाव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो क्या सरकारी प्रस्तावों के साथ साथ इस पर भी विचार होगा ?

†**श्री दातार :** इन सभी सुझावों पर यथायोग्य विचार किया जायेगा। माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां पर अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से एक अधिकारी यह जांच करने के लिये भेजा गया है कि वहां किस प्रकार के उद्योग आरम्भ किय जा सकते हैं। उनके आने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

बुद्ध जयंती समारोह

†*४२३. **श्री अय्यणि :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण की २५००वी जयंती समारोह में दिल्ली तथा बुद्धजी के कार्यक्षत्रों से सम्बन्धित अन्य स्थानों पर कुल कितना धन व्यय किया है ; और

(ख) यह धन किन उद्देश्यों से व्यय किया गया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) दिल्ली में ६,०७१ रुपये १२ आ० ६ पा०; अन्य स्थानों पर कुछ नहीं।

(ख) दिल्ली म २३–५–१९५६ को बुद्ध जयंती के स्मारक के शिलान्यास के सम्बन्ध में तथा २५ मई १९५६ को हुई एक सार्वजनिक सभा के सम्बन्ध में यह धन व्यय किया गया था।

†**श्री अय्यणि :** यह धन किस खाते में डाला गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**डा० म० मो० दास** : बुद्ध जयंती के लिये निर्धारित धनराशि में से शिक्षा मंत्रालय ने यह धन व्यय किया था।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : बुद्ध जयंती स्मारक का डिज़ाइन किसने बनाया है? हमने सुना है कि सरकार एक विहार बनाने का भी विचार कर रही है? उस विहार पर कितना व्यय होगा?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: क्यों कि मेरा संबन्ध बुद्ध जयंती समारोह समिति से है, इसलिये इस प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। केवल भारत में ही नहीं, वरना संसार के सब देशों में से डिज़ाइन आमंत्रित किए गये थे। पुरस्कार भी रखे गये थे तथा एक चुनाव समिति नियुक्त कर दी गयी थी। हमें कई सौ डिज़ाइन प्राप्त हुए थे तथा समिति ने उनमें से तीन स्वीकार किये। जब हमने उन्हें देखा तो हमने पाया कि वह बहुत अच्छे डिज़ाइन थे। परन्तु कुछ ग़लतफ़हमी के कारण, वह हमारे विचारों की अपेक्षा कहीं अधिक अलंकृत थे। हमारा विचार एक सादे किन्तु भव्य डिज़ाइन का था। ये बहुत अच्छे थे तथा कुछ बहुत मूल्यवान थे परन्तु हमारे विचारों के अनुरूप नहीं थे। हमारे पास वह डिज़ाइन हैं तथा चुनाव कर्ताओं के मतानुसार हमें पुरस्कार भी देने हैं; परन्तु हमने कुछ डिज़ाइनरों से और सादा डिज़ाइन बनाने को कहा है।

†**श्री कामत** : क्या प्रधान मंत्री के बाद सरकार में दूसरा स्थान रखने वाले शिक्षा मंत्री इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये यहां उपस्थित नहीं रह सकते थे?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि कोई भी डिज़ाइन उच्च स्तर का नहीं था तथा यह कहा गया है कि अब लोक निर्माण विभाग को डिज़ाइन बनाने का यह कठिन काम सौंप दिया गया है, क्या यह सच है? अथवा यह बात है कि एक जापानी डिज़ाइन को अपेक्षित स्तर का बनाया जा रहा है तथा उसको अन्तिम रूप दिया जा रहा है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा है वह केवल अंशतः सच है। एक मुख्य स्मारक स्तम्भ के रूप में होगा तथा उसके गिर्द कुछ और भी जोड़ाजाड़ीकी जा सकती है। स्तम्भ का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग करेगा। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अपना डिजाइन बना सकता है। परन्तु हमारे पास भी कुछ अन्य डिज़ाइन हैं। जो पहले प्रस्तुत किये गये थ। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह कहना ठीक नही है कि डिज़ाइन उच्च स्तर के नहीं हैं। वे बहुत अच्छ डिज़ाइन थे। प्रश्न यह था कि वह बहुत अलंकृत थे और बड़े पैमाने पर थे। हमारा विचार एक सादा डिज़ाइन बनाने का था। केवल धन के पहलू के विचार से नहीं अपितु कलात्मक पहलू के विचार से भी। उदाहरण के तौर पर हम विहार नहीं बनाना चाहते हैं एक डिज़ाइन बड़ा विहार बनाने का था। हम विहार नहीं बनाना चाहते हैं; हम एक साधी सी चीज़ बनाना चाहते है।

†**श्री कामत** : प्रधान मंत्री मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाले थे किन्तु उसी समय मेरे दायें बैठी माननीय सदस्या बीचमें अपना प्रश्न पूछ ऊठीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया है; यह प्रश्न नहीं है।

भारतीय खान विद्यालय

*४२६. **श्री ख० चं० सोधिया** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेशणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खान विद्यालय के १९५६–५७ के आयकर में गत वर्ष के आयव्ययक की बनिस्बत ७ लाख रुपये का खर्च बढ़ गया है;

---

†मूल अंग्रजी में।

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य विस्तार-योजनाओं के कारण वार्षिक व्यय में बढ़ोतरी हुई है ; और

(ग) इन में से प्रत्येक पर कितनी अतिरिक्त राशि व्यय होने की आशा है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) से (ग) तक :—जी हां। १९५६-५७ के बजट अनुदान १९५५-५६ के संशोधित अनुमानित आंकड़ों से ७ लाख रुपये से भी अधिक बढ़ गये हैं। इस वर्ष से स्कूल में वार्षिक प्रवेश संख्या ५५ से ११० तक बढ़ाने के परिणाम स्वरूप बढ़ा हुआ खर्च, इस अतिरिक्त राशि द्वारा पूरा होगा।

श्री खू० चं० सोधिया : क्या कोयले के उत्पादन के लिये कोई स्कीम बनाई गई है, जिस के लिये ये ज्यादा विद्यार्थी आ गये हैं ?

श्री के० दे० मालवीय : इसी स्कूल में जियालोजिस्ट्स (भूतत्वज्ञ) और माइनिंग (खनन) इंजीनियर्ज को तालीम दी जाती है, जो कि सब तरह की खानों में—और विशेषत: कोयले की खानों में—काम करते हैं। यह जो तादाद बढ़ाई गई है, उस में जो इंजीनियर तैयार होंगे, वे कोयले की खानों में भी काम करेंगे।

आल इंडिया मुस्लिम एसोसियेशन

*४२९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया मुस्लिम एसोसियेशन ने सरकार से मांग की है कि केन्द्रीय तथा राज्य विधान मंडलों और स्थानीय निकायों में उनकी जनसंख्या के अनुपात से मुसलमानों के लिये सीटें सुरक्षित कर दी जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात के बारे में सरकार का क्या रुख है ?

विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

†**श्री राधा रमण** : कुछ दिन पूर्व फ़र्रुखाबाद अथवा कहीं और उत्तर-प्रदेश में एक सम्मेलन अखिल भारतीय मूस्लिम सम्मेलन के नाम से हुआ था जिसमें कुछ संकल्प पारित किये गये थे तथा यह संकल्प भारत सरकार की धर्म निरपेक्ष नीति के विरोधी थे। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को उसकी जानकारी है तथा क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री पाटस्कर** : जी नहीं। हमें इसकी जानकारी नहीं है, परन्तु यदि माननीय सदस्य ऐसा सुझाव देते हैं तो मैं इस मामले को देखूंगा।

संस्कृत विश्वविद्यालय

†*४३१. **श्री मादिया गौडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री ७ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किस स्तर पर है ; और

(ख) प्रस्तावित विश्वविद्यालय को कितनी धनराशि का अनुदान दिया जायगा ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) पंजाब विधान सभा ने कुरुक्षेत्र में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया है तथा उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर भी हो गये हैं। अधिनियम २४ मई, १९५६ से लागू हो गया है।

(ख) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदान सहायता के लिए कोई आवेदन पत्र अबतक प्राप्त नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री मादिया गौडा :** यह विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से कब प्रारम्भ होगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह निर्णय विश्वविद्यालय करेगा ; केन्द्रीय सरकार हमसे सम्बन्धित नहीं है।

†**डा० राम सुभग सिंह :** कुछ दिन पूर्व सभा में यह कहा गया था कि भारत सरकार उस संस्कृत विश्वविद्यालय को कुरुक्षेत्र में प्रारम्भ करने की स्थिति में नहीं है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार के किन विचारों के आधार पर उपमंत्री ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय एक आवेदन पत्र भेजेगा तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उस पर विचार करेगा।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में मंत्रालय का परामर्श मांगा गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह ली गई थी तथा कुछ कार ों से, जिनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, आयोग की राय थी कि संस्कृत विश्वविद्यालय पंजाब में स्थापित नहीं होना चाहिये। आयोग ने कितनी ही बातों पर विचार किया। प्रथम, यह कहा गया कि विश्वविद्यालय तबतक स्थापित नहीं होना चाहिये जब तक इसकी आवश्यकता पूर्णतः प्रतीत न हो। दूसरे, स्वयं पंजाब विश्वविद्यालय भी उचित रूप में स्थापित नहीं है। पंजाब विश्वविद्यालय के पास उपयुक्त भवन ही नहीं है। तीसरे, हमारी यह नीति है कि विश्वविद्यालयों को न बढ़ाकर उच्चतर शिक्षा संस्थाओं का समन्वीकरण करें। इन सब बातों पर विचार करके, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निकट भविष्य में पंजाब में एक दूसरा विश्वविद्यालय प्रारम्भ करना उचित नहीं समझा। परन्तु, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सुझावों के बावजूद भी, जब विश्वविद्यालय आरम्भ किया जा चुका है तब मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आवेदन पत्र पर उसके गुणावगुणों का ध्यान रखते हुए विचार करेगा।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या इस उत्तर का यह अर्थ है कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार की नीतियों में समानता नहीं है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** दुर्भाग्यवश इस मामले में ऐसा ही है।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में पंजाब सरकार ने एक विशाल योजना, जिसमें अन्य पुरातन पुस्तकों का अनुवाद आदि भी सम्मिलित है, बनाई है तथा भारत सरकार को भेजी है परन्तु भारत सरकार ने उस योजना को पूर्णतः स्वीकार न करके उसका एक भाग स्वीकार किया है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जैसा कि मैंने कहा पंजाब के राज्यपाल ने एक प्रस्ताव भारत के राष्ट्रपति को भेजा था। तब इस मंत्रालय का परामर्श मांगा गया था तथा हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्ष के पश्चात् सब तर्क राष्ट्रपति को भेज दिये थे। स्थिति इस प्रकार है। इस पर भी विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है।

†**श्रीमती जयश्री :** क्या बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय को संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की कोई योजना है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश में एक दसरा संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव है।

युनस्को वैज्ञानिक प्रदर्शिनी

†***४३२. श्री कामत :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५५ में यूनस्को ने भारत को 'हमारी इंद्रियों तथा विश्वज्ञान' पर हुयी वैज्ञानिक प्रदर्शिनी की सामग्री भेजी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) क्या प्रदर्शिनी की सामग्री को रखने के स्थान के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो कहां ;

(घ) क्या निर्णय लागू किया जा चुका है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) यूनेस्को ने प्रदर्शनी के कुछ भाग १९५५ में प्रस्तुत किये थे तथा शेष १९५६ में ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री कामत** : क्या यह सच है कि इनको दिल्ली लाने में बहुत बिलम्ब हुआ था, और यदि हां, तो इतना बिलम्ब किन कारणों से हुआ तथा ये चीज़े इतने दिन कहां पड़ी रहीं ?

†**डा० म० मो० दास** : बहुत विलम्ब तो नहीं हुआ है जब कि यह सामग्री भारत से बाहर ले जाने वाली थी, उस समय भारत सरकार ने यूनेस्को को लिखा कि यूनेस्को वह चीज़े भारत सरकार को हमारे वैज्ञानिक अजायब घर के लिये विशिष्ट वस्तुओं के रूप में दे दे । इसमें कुछ समय लगा क्योंकि परिवहन के लिये रेलवे द्वारा दी गई रियायतों जैसे वैगनों की प्राथमिकता आदि, ली जाने वाली थी ।

†**श्री कामत** : क्या प्रदर्शन होने वाली वस्तुएं ठीक रूप में दिल्ली पहुंच गई अथवा दिल्ली आते समय टूट या खोई भी गईं ?

†**डा० म० मो० दास** : भारत में परिवहन के समय कुछ वस्तुयें थोड़ी सी टूट गई हैं ।

†**श्री कामत** : बुरी तरह से टूट गई हैं ।

†**डा० म० मो० दास** : नहीं, थोड़ी सी ।

मनीपुर के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

† *४३५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर का स्थानीय लेखा परीक्षक पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को लेखों, मूलभूत नियमों आदि का प्रशिक्षण देने के लिये नियमित रूप से क्लास ले रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण का क्षेत्र तथा प्रकृति क्या है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने स्थानीय लेखा परीक्षक द्वारा ली जानेवाली परीक्षण को मान्यता दी है ; और

(घ) के परीक्षा परिणामों का परिक्षार्थियों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) मनीपुर के स्थानीय लेखा-परीक्षक लेखों, मूलभूत नियमों आदि की प्रशिक्षण कक्षायें कार्यालय के काल के पश्चात थोड़े समय के लिये, मनीपुर में निवास के समय, लेखों सम्बन्धी काम करने वाले पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिये, ले रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) छः मास के प्रशिक्षण कार्यक्रम में वित्तीय नियमों की सामान्य रूपरेखा कोषीय नियम, लेखा संहिता मूलभूत नियम तथा पेंशन नियम की सामान्य रूपरेखा बतायी जाती है ।

(ग) स्थानीय लेखा परीक्षक द्वारा कोई परीक्षा नहीं ली जाती ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या सरकार का विचार मनीपुर सरकारी सचिवालय के सभी पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने का है ।

†**श्री म० च० शाह** : जी, हां । हमें जानकारी हुई थी कि मनीपुर प्रशासन के विभिन्न कार्यालयों में लेखा की कार्यक्षमता उच्च स्तर की नहीं थी और इसीलिये सरकार का विचार वहां नियुक्त सभी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने का है ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : प्रशिक्षण कक्षा कब प्रारंभ की गई थी तथा अब तक कितने पदाधिकारी प्रशिक्षित किये जा चुके हैं ?

†**श्री म० च० शाह** : यह आंकड़े मेरे पास नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इनमें से कितने आदिम जाति के व्यक्ति हैं ?

†**श्री म० च० शाह** : मुझे अलग अलग आंकड़ों की जानकारी नहीं है ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या सरकार ने इस योजना पर कोई अतिरिक्त व्यय किया है और यदि हां तो कितना वार्षिक व्यय होता है ?

†**श्री म० च० शाह** : कोई अतिरिक्त धन व्यय नहीं किया गया है क्योंकि मनीपुर के स्थानीय लेखा परीक्षक ने कार्यालय के समय के पश्चात पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करना स्वीकार कर लिया है ।

स्कूलों में मार्ग नियमों का प्रशिक्षण

† *४३६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री २ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की सिफारिश के अनुसार, स्कूलों में नियमों को पढ़ाने के सम्बन्ध में तब से क्या निर्णय किया गया है?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : इस विषय पर स्कूल के बच्चों को आवश्यक शिक्षा देने के सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या राज्य सरकारों ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया है अथवा नहीं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हमें राज्य सरकारों से अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुयी है । मेरा विचार है कि वे इस मामले पर विचार कर रही हैं ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार को यह जानकारी है कि शिक्षा के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड के निर्णयों में सामान्यतः देर हो जाती है और यदि हां, तो क्या सरकार कुछ अन्य उपायों का विचार करेगी जिनके द्वारा शीघ्र निर्णय किये जा सकें तथा शीघ्र लागू किये जा सकें ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं स बात को नहीं मानता । कोई विलम्ब नहीं होता है । जैसे ही केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड कोई संकल्प पारित करता है, उसको अन्तिम रूप दिया जाता है तथा हम उसको लागू करने के लिये, राज्य सरकारों को भेजने में शीघ्रता करते हैं ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

जामसर जिपसम की खानों में मजदूरों की हड़ताल

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **श्रम** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान की जामसर जिपसम खानों के मजदूर पिछले अर्ध मास से हड़ताल पर हैं, यदि हां तो उनकी मांगें और हड़ताल के कारण क्या हैं ;

(ख) क्या लेबर कमिश्नर ने वहां का दौरा किया है, यदि हां तो उनके दौरे का क्या परिणाम निकला ;

(ग) श्रम अधिनियम के अन्तर्गत इन मजदूरों को क्या क्या सहूलियतें प्राप्त होती हैं; और

(घ) किस हद तक इन मज़दूरों की मांगे पूरी कर दी गई हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) २५ जून, १९५६ को हड़ताल घोषित की गई थी परन्तु सभी मजदूरों ने हड़ताल नहीं की थी।

मजदूरों की मांगें जिनके कारण हड़ताल हुई थी, इस प्रकार है :–

(१) मजदूरी में बढ़तरी ;

(२) ठेके पर काम करने वाले मजदूरों समेत, सभी मजदूरों को लाभांश देना ;

(३) हटाये गये ठेकेदारों को मज़दूरों की पुनः नियुक्ति ;

(४) कर्मचारियों की स्थाई संख्या का निश्चयीकरण तथा स्थायीकरण ;

(५) ठेके की मजदूरी की प्रथा की समाप्त करना ;

(६) हड़ताल काल का वेतन ;

(७) एक सहकारी समिति का निर्माण ।

(ख) मुख्य श्रम आयुक्त उस स्थान पर १७ जुलाई, १९५६ को गये थे। उन्होंने २५, २६ तथा २७ जुलाई, १९५६ को दलों से चर्चा की तथा समझौता करा दिया।

(ग) ये मजदूर खानों पर लागू विभिन्न श्रम अधिनियमों में उपबन्धित सभी सुविधाओं के अधिकारी हैं।

(घ) जैसा कि भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है, दलों में समझौता हो गया है।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या यह सही है कि रेलवे कुलियों को एक मन या एक बिस्तरे का प्लेट फार्म पर से गाड़ी पर रखने का सरकारी नियम के अनुसार तीन आने देने लाज़िमी हैं परन्तु जामसर के मजदूर जब कि २८ मन जिपसम को गाड़ी में भरते हैं तब केवल उन गरीबों को कम्पनी ४ आने ही देती है, और यदि हां, तो क्या यह न्याय संगत है ?

क्या यह सही है कि उक्त मजदूरों के रहने के लिये बहुत ही घटिया तरीके की झोपड़ियां हैं और उनके बच्चों के लिए शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य, बिजली और पानी की कोई सहूलियत नहीं है ?

श्री आबिद अली : यह मामला तो आपसी समझौते तक पहुच चुका है और जिन चीजों के बारे में समझौता नहीं हुआ है उनके बारे में ऐडजुडिकेटर (न्याय निर्णयक) नियुक्त हो जायगा।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या मैं जान सकता हूं कि एक मशीन से जिपसम निकालने पर ५०० मजदूर बेकार हो जाते हैं जब कि हमारी सरकार समाजवादी व्यवस्था के आधार पर देश से बेकारी हटाना चाहती है, तो जहां पर बेकारी हो वहां मशीनों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ?

श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई) : ये बातें सही भी हो सकती है और नहीं भी। प्रश्न पर कल समझौता हो गया था। यह भी तय हुआ था कि यदि मध्यस्थ के समक्ष उठाये गये प्रश्नों को वह नहीं सुलझा सका तो वह प्रश्न न्यायनिर्णयक के लिये भेज दिये जायेंगे।

डा० राम सुभग सिंह : लेबर कमिश्नर के प्रयास से जो समझौता हुआ है तो मैं जानना चाहता हूं कि उस समझौते के फलस्वरूप मजदूरों के हड़ताल करने से पहले की अवस्था में और आज की अवस्था में क्या अन्तर आया है ?

श्री आबिद अली : पहले जो मजदूर काम कर रहे थे उनको काम पर रख लिया जायगा। स्ट्राइक (हड़ताल) से पहले कुछ मजदूरों को हटा दिया गया था उनको भी रख लिया जाएगा और जिन मांगों के बारे में अभी तक फैसला नहीं हुआ है उनके बारे में ऐडजुडिकेटर ऐपांयन्ट (नियुक्त) होगा और कांटैक्ट लेबर (ठेके के मजदूर) जिनको हटा दिया गया था उनको भी रख लिया जाएगा।

श्री रा० नं० सिंह : क्या सरकार ने इस बात के ऊपर भी विचार करके देखा है कि उसने जो अभी हाल में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल (औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक) पास किया है उससे उत्तर प्रदेश के मजदूरों को कोई लाभ नहीं होगा ?

श्री आबिद अली : वह जो ऐक्ट पास किया है उसको तो हम और आप सब ने मिल कर यहां से पास किया है और मेम्बर साहब जानते होंगे कि उसमें क्या है और उसको सोच समझ करके ही पास किया गया है।

श्री प० ल० बारूपाल : क्या यह सही है कि मजदूरों से अगर जिपसम के साथ जरा सा भी मिट्टी का अंग डिब्बे म चला जाये तो सारा जिपसम उनको बिना मजदुरी दिये ही डिब्बे से बाहर फेंकवा दिया जाता है ?

श्री आबिद अली : यूनियन ने यह शिकायत नहीं की है।

श्री रा० न० सिंह : यह जो बिल आपने पास किया हुआ है इसमें यह दिया हुआ है कि जिस प्रान्त में ऐसा बिल पहले से पास हो चुका होगा वहां पर यह नहीं लागू होगा तो चूंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा बिल पास हो चुका है तो इस बिल का लाभ उत्तर प्रदेश को नहीं मिलेगा ?

श्री खण्डूभाई देसाई : मुख्य प्रश्न से यह अनुपूरक प्रश्न किस प्रकार उत्पन्न होता है ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न राजस्थान के सम्बन्ध में है, उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बालकों में अपराध करने की प्रवृत्ति

*३९४. **श्री भागवत झा आजाद:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बच्चों में अपराध करने की प्रकृति को रोकने के लिये क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ योजनायें सम्मिलित करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की स्थूल रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास):(क) जी, हां।

(ख) मांगी गई जानकारी के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १७**]

कर विशेषज्ञों का दल

†*३९५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों का कोई दल धन, पूंजी और लाभ पर करों की प्रणाली और अन्य प्रत्यक्ष करों के विषय में अध्ययन करने के लिये अमेरिका और अन्य देशों को भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो दल में कितने विशेषज्ञ हैं ; और

(ग) अमेरिका के अतिरिक्त किन किन अन्य देशों का उन्होंने दौरा किया है या करने का विचार करते हैं ?

† **राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)**: (क) और (ग). केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के कुछ पदाधिकारियों को अमेरिका, स्वीडेन और जापान में, उन देशों की प्रत्यक्ष कर प्रणालियों का अध्ययन करने के लिये, भेजा जा रहा है।

(ख) एक एक पदाधिकारी अमेरिका, स्वीडेन और जापान का दौरा करेगा और चौथा पदाधिकारी उनके काम का निरीक्षण और समन्वय करने तथा उन देशों में प्रशासन और संगठन के विस्तृत पहलुओं के अध्ययन के लिये बाद में जायगा।

उपभोक्ता मूल देशनांक

†*३९७. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **वित्त** मंत्री २३ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आधार पर परिवारों के आय-व्यय की जांच करने तथा श्रमजीवी वर्गों के उपभोक्ता मूल्य देशनांक तैयार करने की नयी योजना राज्य सरकारों के परामर्श से अंतिम रूप से तय की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की योजना है ; और

(ग) पूछताछ कब प्रारंभ होगी ?

† **प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** :(क) अभी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अन्धों की शिक्षा

†*४०१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में अन्धों की शिक्षा के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

† **शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : अन्धों की शिक्षा के लिये केन्द्रीय योजनाओं में की गयी व्यवस्था का एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १८**] राज्य-योजनाओं के विषय में आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र लोक सभा के पटल पर रखी जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

भारत का भाषा सम्बन्धी सर्वेक्षण

†*४०७. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भाषा सम्बन्धी सर्वेक्षण के लिये सरकार एक बोर्ड या समिति बनाने का विचार करती है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं ; और

(ग) उसका कार्य कब प्रारंभ होगा ?

† **शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सोने का भाव

†*४०९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में सोने के भाव में असाधारण बढ़ती की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भाव साधारण स्तर पर लाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं या किये जाने वाले हैं ?

† **वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) १९५६ के पहले चार महिनों में सोने का भाव बढ़ गया था। यद्यपि समय समय पर घटी-बढ़ी होती रही है, फिर भी मई के मध्य से सोने का भाव गिरता रहा है।

(ख) इस वर्ष के प्रारम्भ में सोने के भाव में हुयी बढ़ौती अंशत: मौसमी थी। चोरी छिपे लाये गये सोने की तथा करों में परिवर्तन और घाटे की अर्थव्यवस्था के विषय में आय-व्ययक के पूर्व की अफवाहों का भी सोने के भाव पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सोने के देशी उत्पादन में कमी और चोरी छिपे माल लाने के विरुद्ध कड़ी रोकथाम लागू करने के कारण भी सोने के भाव में बढ़ती हुई थी।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न का भाग (ग) उत्पन्न नहीं होता।

अपंगों की शिक्षा की राष्ट्रीय मंत्रणा परिषद

†*४१०. **डा० सत्यवादी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १३ और १४ अक्टूबर, १९५५ को हुई बैठक में अपंगों की शिक्षा की राष्ट्रीय मंत्रणा परिषद द्वारा की गयी सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ख) क्या बहरों और गूंगों के अतिरिक्त अन्य अपंगों की शिक्षा के लिये परिषद द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर राज्य सरकारों ने भेज दिये हैं ?

† **शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १९**]

(ख) प्रश्नावली अभी तक राज्य सरकारों के पास नहीं भेजी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

ताज महल

†*४१३. **श्री अनिरूद्ध सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन समाचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि कहा जाता है कि ताजमहल की इमारत के दैनंदिन वर्णन की फारसी की एक प्राचीन हस्तलिपि अब भी आगरा में काम करने वाले ४० पुश्तैनी खादियों में से एक के पास पड़ी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस प्रलेख का परीक्षण करवाया है ; और

(ग) क्या सरकार उसे प्राप्त करने का विचार करती है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (ग). सरकार ने समाचारपत्रों में इस आशय के कुछ समाचार देखे हैं किन्तु जांच करने पर ऐसे प्रलेख या उस व्यक्ति का जिसके पास वह हो, पता नहीं लगा है।

उत्तर प्रदेश की प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापक

†*४१४. **श्री मु० ला० अग्रवाल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों का वेतन बढ़ाने के लिये एक निदेश भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उस निदेश का पालन किया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को एक परिपत्र भेजा गया था।

(ख) जी हां।

गणित सम्बन्धी सम्मेलन

†*४१६. **श्री अमजद अली** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास्को में २३ जून, १९५६ को हुई गणित सम्बन्धी सम्मेलन में भारत का कोई प्रतिनिधि था ; और

(ख) अन्य कितने देशों ने सम्मेलन में भाग लिया ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिये कोई प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया था। यह जानकारी कि कोई भारतीय कांग्रेस में सम्मिलित हुआ था या नहीं और कितने देशों ने कांग्रेस में भाग लिया था, एकत्रित की जा रही है और वह सदन के पटल पर रख दी जायगी।

आसाम और बिहार में बाढ़

†*४१९. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और आसाम में अभी हाल की बाढ़ के कारण कितने लोगों को क्षति पहुंची है ; और

(ख) बिहार और आसाम में अभी हाल की भारी बाढ़ से पीड़ितों की सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** :

(क) बिहार १०,०१,३९७

आसाम १,२९,०२०

(ख) राज्य सरकारों द्वारा २ करोड़ रुपये तक की निर्मूल्य सहायता पर केन्द्रीय सरकार कुल व्यय के आधे तक और उससे अधिक व्यय पर तीन चौथाई तक अनुदान राज्य सरकारों को देती है।

रियायती दरों पर बिक्री के लिये बिहार सरकार को २२,०४५ टन चावल और १२,८६१ टन गेहूं दिया गया है।

त्रावनकोर-कोचीन में भ्रष्टाचार विरोधी उपाय

† *४२४. **डा० रामा राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य के पुलिस के विशेष महा निरीक्षक (भ्रष्टाचार विरोधी) को सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध घूस, भ्रष्टाचार और आपराधिक अवचार की शिकायतों को मुस्तैदी से निपटाने के लिये आवश्यक अधिकार दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार दी गयी नयी शक्तियों का ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) तब से काम की क्या प्रगति हुयी है ; और

(घ) भ्रष्टाचार की कौन सी बड़ी शिकायतों का अनुसंधान चल रहा है और वह कहा तक पहुंचा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) पुलिस के विशेष महानीरिक्षक (भ्रष्टाचार विरोधी) को, सरकार के बिना पूर्व निर्देशक के, सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों का अनुसंधान करने की शक्तियां दी गयी हैं और पुलिस के उप-महानिरीक्षक (भ्रष्टाचार विरोधी) का कार्यालय दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन पुलिस स्टेशन घोषित कर दिया गया है जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण त्रावनकोर-कोचीन राज्य पर होगा, जिससे शिकायतों की तुरंत जांच की जा सके।

(ग) और (घ). माननीय सदस्य का ध्यान तारांकित प्रश्न संख्या ३९९ के मेरे आज के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है। शिकायतों के ब्यौरे और अनुसंधान की वर्तमान स्थिति बताना लोकहित में नहीं होगा।

राज्य बैंक

† *४२५. **श्री वोडयार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के राज्य बैंक ने पाकिस्तान में अपनी दो शाखाएं बंद करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो बंद करने के क्या कारण है ; और

(ग) अभी विदेशों में राज्य बैंक की कितनी शाखाएं हैं ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) भारत के राज्य बैंक ने ३० जून, १९५६ को पाकिस्तान में निम्न स्थानों पर अपना काम समाप्त करके अपनी शाखाएं बंद कर दी हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

हैदराबाद (सिन्ध), लायलपुर, मीरपुरखास।

(ख) भारत के राज्य बैंक की स्थापना पर पाकिस्तान के राज्य बैंक ने १ जुलाई, १९५५ से एक साल की अवधि के लिये पाकिस्तान में स्थित भारत के राज्य बैंक की शाखाओं के लिये अनुज्ञप्ति पर निर्बन्धन लगा दिया। बाद में पाकिस्तान के राज्य बैंक ने केवल लाहौर और ढाका स्थित भारत के राज्य-बैंक की शाखा ओं के लिये १ जुलाई, १९५६ से तीन साल की अवधि बढ़ा दी। किन्तु हैदराबाद (सिन्ध) लायलपुर और मीरपुखसि की शाखाओं के लिये कोई अवधि बढ़ाने से इन्कार कर दिया। इस प्रकार वे शाखाएं बंद कर दी गयी हैं।

(ग) अभी विदेशों में भारत के राज्य बैंक की निम्न शाखाएं हैं :

लंदन . . .	(ब्रिटेन)
रंगून	(बर्मा)
कोलंबो	(लंका)
कराची	(पाकिस्तान)
लाहौर	(पाकिस्तान)
ढाका	(पाकिस्तान)
नरायनगंज	(पाकिस्तान)
चिटगांव	(पाकिस्तान)

जामा मस्जिद, दिल्ली

†*४२८. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली की जामा मस्जिद का नवीकरण करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मस्जिद पर कितनी धनराशि खर्च करने के विचार है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) दिल्ली की जामा मस्जिद, नवीकरण का विचार नहीं है ; केवल कुछ खास मरम्मत की जा रही है।

(ख) १,१३,८०० रुपये।

छुट्टी संबधी नियम

†*४३०. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **वित्त** मंत्री २९ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित श्न संख्या २६४५ के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के छुट्टी के नियमों में असमानताएं दूर करने के संबंध में सरकार ने तब से कोई अंतिम निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस तारिख से उसे लागू किया जायगा ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

पूर्वी कमान

†*४३३. **पंडित ह्रा० ना० तिवारी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी कमान का कोई एकक रांची में स्थित है ;

(ख) क्या रांची में सेना-कर्मचारियों ने पहले जिन इमारतों को ले रखा था, वे अब खाली पड़ी हुई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें किस काम में लाया जाता है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) कुछ सेना एकक रांची में रखे गये हैं किन्तु पूर्वी कमान के मुख्य कार्यालय का कोई भाग अब वहां नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सेना कर्मचारियों के लिये रहने के स्थान, और भंडार तथा कार्यालय स्थान के रूप में उसका उपयोग किया जाता है।

सार्वजनिक स्कूल निरीक्षण समितियां

†*४३४. **डा० सत्यवादी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक स्कूलों के कार्यकरण के निरीक्षण के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) क्या उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). सार्वजनिक स्कूलों के निरीक्षण के लिये कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है। किन्तु कुछ स्कूलों के लिये तीन शिक्षा-विशारदों के निरीक्षण-दल एतदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेज

†*४३७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के सम्बद्ध कालिजों को तैरने का जलाशय खुले हुए थियेटर और मनोरंजन की अन्य सुविधाओं के लिये वित्तीय सहायता देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो १९५६–५७ में कितने कॉलिजों को ऐसी सहायता दी जायेगी ; और

(ग) प्रत्येक कॉलिज को अधिक से अधिक कितनी सहायता दी जायेगी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). यह अनुदान के लिए प्राप्त आवेदन, परियोजना की प्रकृति और अनुमानित मूल्य पर निर्भर करेगा।

पवन शक्ति

†*४३८. **श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी प्रदेश में पवन शक्ति के विकास और उपयोग की योजना का क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: यह विषय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषण परिषद के विचाराधीन है।

टाटा को विश्व बैंक का ऋण

†*४३९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री रा० प्र० गर्ग :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा हाल ही में टाटा आयरन एण्ड स्टील वर्क्स को कुल कितना ऋण दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार से उस ऋण के अभिगोपन के लिये कहां गया था ; और

(ग) यदि हां, तो करार की क्या शर्तें थीं।

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) ३५.७१ करोड़ रुपये (७ करोड़ ५० लाख डालर) ;

(ख) जी, हां।

(ग) शायद माननीय सदस्य का अभिप्राय भारत सरकार और कम्पनी के प्रस्तावित करार से है। अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

अन्दमान शिक्षा समिति

***४४०. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री ६ दिसम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान शिक्षा समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है; और

(ख) उन में से कितनी कार्यान्वित की जा चुकी हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास): (क) ७७ सिफारिशों म से ६३ मंजूर की गई हैं

(ख) ४३।

भारतीय औद्योगिक संस्था, खड़गपूर

†*४४१. **डा० रामा राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिकों संस्था, खड़गपुर, के ढलाई प्रशिक्षण में इस वर्ष भर्ती किये गये विद्यार्थियों की वर्तमान संख्या (राज्यवार) क्या है ; और

(ख) हाल ही के भारत-अमेरिका समझौते के अनुसार जब यह केन्द्र पूर्ण रूपेण विकसित हो जायेगा तब विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जायेगी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २०**]

केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्था

†*४४२. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्था के वार्षिक व्यय के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से कुछ अंशदान लेती है ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो १९५६–५७ में कुल कितनी राशि, राज्यवार, ली जायेगी ; और

(ग) इस स्कूल के वार्षिक व्यय का बंटवारा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच किस सिद्धान्त के आधार पर किया जाता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** :(क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न हीं नहीं उठते।

छेद करने के लिये बरमे

*४४३. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विश्व नाथ राय :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल का पता लगाने के लिये बरमें खरीदने के सम्बन्ध में भारत और रूस के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये बरमे कब और किन-किन स्थानों पर लगाये जायेंगे ; और

(ग) इन बरमों के चलाने के बारे में भारतीयों को प्रशिक्षण देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान योजनाओं के अनुसार खूरदने के बरमे सब से पहले १८५५–५८ में पंजाब (ज्वालामुखी) तथा राजस्थान के क्षेत्र में काम में लाये जायेंगे।

(ग) रूसी यन्त्र विशेषज्ञों के दल खोदने के बरमें लगायेंगे तथा खुदाई का काम भी आरम्भ करेंगे। इसके अतिरिक्त वे खुदाई के बरमों को चलाने, मरम्मत करने तथा सम्भालने आदि के कार्यों में भारतीयों को छः मास तक प्रशिक्षण भी देंगे। आसाम तेल कम्पनी, डिगबोई में कुछ भारतीय व्यघनकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। खुदाई के कार्यों में प्रशिक्षित करने के लिये कुछ भारतीय यन्त्र विशेषज्ञों को रूस भेजने का प्रस्ताव भी है।

चोरी छिपे लाया गया सोना

†*४४४. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री हो० ना० मुकर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ जून, १९५६ को बम्बई में चोरी छिपे लाया गया चार लाख रुपये के मूल्य का सोना पकड़ा गया ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ;

(ग) क्या इस के परिणामस्वरूप किसी अन्तर्राष्ट्रीय गुटसम्बन्धी एक सनसनी पूर्ण बातों का पता चला है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या विवरण है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)**:(क) और (ख). ३ जून, १९५६ को बम्बई में लगभग ३,६६,००० रुपये के मूल्य का ३६५८ तोला सोना पकड़ा गया था। यह सोना बम्बई और फारस की खाड़ी के बीच चलने वाले 'दारेसा' नामक बी० आई० एस० एन० के जहाज़

†मूल अंग्रेजी में।

के तृतीय और चतुर्थ इंजीनियर से बरामद हुआ। इसमें १,६०,००० रुपये की १,६०० तोला सोना तृतीय इंजीनियर के पास से बरामद हुआ और १,३१,००० रुपये का १३१० तोला सोना उसके कमरे से। इसी प्रकार ७५,००० रुपये का ७४८ तोला सोना चतुर्थ इंजीनियर के पास से बरामद हुआ।

(ग) जी, नहीं। सिवा इसके की ये व्यक्ति विदेशी थे। किसी अंतर्राष्ट्रीय गुट जैसी कोई चीज़ नहीं है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सेनाओं के कर्मचारी

†*४४५. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में अभी तक, विशेष प्रशिक्षण के लिये कितने प्रतिरक्षा कर्मचारी बाहर भेजे गये हैं ;

(ख) उनके कब तक लौटने की संभावना हैं और

(ग) अभी तक उन पर कितना व्यय हुआ है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** :(क) ८३ ;

(ख) ७ लौट आये हैं, ४० चालू वर्ष में आ जायेंगे, ३४ सन १९५७ और २ सन् १९५८ में आयेंगे।

(ग) उनके वेतन और भत्तों के अतिरिक्त (जो वे किसी न किसी रूप में प्राप्त करेंगे) उन पर किया गया व्यय ३१ जुलाई, १९५६ तक लगभग ६.२ लाख रुपये हैं।

लोह अयस्क

†*४४६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में भूतत्त्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा की गयी खोज से पंजाब में लौहे की खानों का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो लोहा किन स्थानों पर, किस किस्म का और कितने परिमाण में है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मांगी गई सूचना का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २१]**

वनस्पति

†*४४७. **श्रीमती कमलेन्दुमति शाह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २९ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २६६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वनस्पति को रंगीन करने के लिये कोई अच्छे रंग की खोज की गई है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जी नहीं।

नोट का कागज बनाने की मिल

†२४१. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश स्थित होसराबाद में नोट का कागज़ बनाने की मिल खोलने की दिशा में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : नोट का कागज़ बनाने की मिल खोलने और उसे किस स्थान पर खोला जाये, ये प्रश्न अभी विचाराधीन हैं।

बुनियादी और प्रारंभिक शिक्षा

†२४२. **श्री राम कृष्ण :**
श्री मादिया गौडा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का एक बुनियादी और प्रारम्भिक शिक्षा परिषद बनाने का विचार हैं ;

(ख) यदि हां, तो परिषद कब तक बनाई जायेगी ; और

(ग) परिषद के सदस्यों के क्या नाम है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बहु-प्रयोजनीय स्कूल

†२४३. **श्री राम कृष्ण :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में राज्यवार कितने बहु-प्रयोजनीय स्कूल स्थापित किये जायेंगे ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : सूचना एकत्र की जा रही है और बाद में दे दी जायेगी

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में अफसरों की नियुक्ति

†२४४. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २४ मार्च, १९५६ से अब तक त्रावणकोर-कोचीन राज्य में कितने नये अफसर नियुक्त किये गये हैं और किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) उनकी श्रेणी, सेवा की शर्तें और वेतन-स्तर क्या हैं ?

† **गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) २४ मार्च, १९५६ से अब तक ९०२ अफसर नियुक्त किये गये हैं। इस समय यह कहना संभव नहीं है कि इस वर्ष और कितने व्यक्ति नियुक्त किये जायेंगे।

(ख) नये अफसरों के बारे में अपेक्षित सूचना देते हुए एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या २२**]

बहु-प्रयोजनीय स्कूल

†२४५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक स्कूलों को बहु-प्रयोजनीय स्कूल बनाने के लिये १९५६–५७ में विभिन्न राज्यों को (राज्यवार) कितनी रकम दी गई ह और दिये जाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: अभी तक कोई अनुदान नहीं दिया गया है। १९५६-५७ के अनुदान की रकम राज्य से प्राप्त विस्तृत योजनाओं के आधार पर निर्भर होगी।

कार्डाइट फैक्टरी

†२४६. **श्रीमती रेणू चक्रवर्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरवनकाडू में इस समय कितनी कार्डाइट फैक्टरियां हैं और उन में से अभी कितनी पूरे समय काम करती हैं और कितनी, कुछ समय के लिये ;

(ख) प्रतिरक्षा तथा असैनिक उपयोग के लिये कौन सी वस्तुएं फैक्टरी में तैयार की जा सकती हैं ; और

(ग) वे वस्तुएं कौन सी हैं जो युद्ध काल में प्रतिरक्षा की आवश्यकता के लिये बनाई जाती थीं किन्तु अब बन्द कर दी गई हैं ?

† **प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) कार्डाइट फैक्टरी की मशीनरी में विविध रासायनिक क्रिया की इकाइयां होती हैं। ये संख्या में १० हैं और इन में से कोई भी पूरे समय के लिये काम नहीं करती।

(ख) प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के लिये रासायनिक द्रव्यों की सहायता से बंदूक और राइफल कार्डाइट की बहुत सी वस्तुए बनाई जाती है। असैनिक उपयोग के लिये जो वस्तुएं बनाई जा सकती हैं वे ये हैं:—सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसीटोन, नकली चर्मवस्त्र के लिये औद्योगिक नाइट्रोसिलोलूज, ग्रेन्ड चर्म और लाख की चीजें।

(ग) एन्टीगैस रेस्पीरेटर में काम आने वाला एक्टीवेटेर चारकोल।

सैन्य, इंजीनियरी सेवा के कर्मचारी

२४७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ७ मार्च, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ५३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक सैन्य इंजीनियरी सेवा के कितने व्यक्तियों को अतिरिक्त समझा गया है ; और

(ख) उन में से कितने व्यक्तियों को अन्य धंधों में लगा दिया गया है ?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :(क) तथा (ख). वह सूचना एकत्रित की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जायगी।

मनीपुर में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी

†२४८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के कितने अफसर हैं ;

(ख) प्रथम और द्वितीय श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के अफसर को, उत्तरपूर्वी सीमा एजेन्सी भत्ते सहित, कितना वेतन और भत्ता मिलता है ;

(ग) उनमें स्थायी और अस्थायी अफसरों की संख्या कितनी है ; और

(घ) संघ लोकसेवा आयोग के अनुमोदन के बिना मनीपुर सरकार द्वारा सीधे नियुक्त किये गये अफसरों की संख्या कितनी है ?

† **गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) प्रथम श्रेणी के अफसरों की संख्या ११, द्वितीय श्रेणी के अफसरों की संख्या ३० ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) कोई उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी भत्ता नहीं दिया जाता है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी में से प्रत्येक के वेतन और भत्तों का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २३**]

(ग) स्थायी अफसरों की संख्या १५ और अस्थायी अफसरों की संख्या २६।

(घ) मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

तम्बाकू उत्पादन शुल्क

†२४९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में राज्य वार तम्बाकू उत्पादन शुल्क से कुल कितनी आमदनी हुई ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह) :** उपलब्ध सूचना दर्शाते हुए एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या २४**]

विदेशी बैंक

†२५०. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में जिन विदेशी बैंकों को भारत में व्यापार करने का लाइसेन्स नहीं दिया गया है उनके क्या नाम हैं ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

†**राजस्व तथा प्रतिरक्षा मंत्री (श्री अ० चं० गुह):** (क) पिछले तीन वर्षों में जो विदेशी बैंक भारत में चल रहे हैं उन में से किसी को लाइसेन्स देना अस्वीकार नहीं किया गया। केवल दो अन्य बैंकों के आवेदन प्राप्त हुए हैं जो अभी विचाराधीन हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

*२५१. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और पेप्सू में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के दसवें दौर का क्या कार्यक्रम है ; और

(ख) पंजाब और पेप्सू में नमूना सर्वेक्षण के नवें और दसवें दौर से क्या परिणाम निकले हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के दसवें दौर में इन विषयों पर आंकड़े एकत्रित करने का कार्य सम्मिलित था ; रोजगार और बेकारी, छोटे दस्तकारी के धन्धे परिवारों का आय व्यय, घरेलू धन्धे प्रमुख कृषि वस्तुओं के मूल्य तथा भूमि उपयोग का अध्ययन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, नमूने के आधार पर समस्त भारतीय संघ में इसी प्रकार आंकड़े एकत्रित कर रहा है। अतः पंजाब और पेप्सू में भी वे ही विषय चुने गये जो भारत के अन्य भागों में चुने गये हैं। दसवां दौर दिसम्बर, १९५५ में प्रारम्भ हुआ था और जून, १९५६ में पूरा हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) नवें दौर में एकत्रित सामग्री की जांच, गणना और विश्लेषण किया जा रहा है जब कि सर्वेक्षण के दसवें दौर का क्षेत्रीय कार्य हाल ही में पूरा हुआ है। इन सर्वेक्षणों के परिणामों तक पहुंचना तभी संभव होगा जब उन की सामग्री की जांच, गणना और विश्लेषण पूरा हो जायेगा।

दया याचिकायें

†२५२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५६ से अब तक विभिन्न राज्यों में मृत्यु की सजा प्राप्त अपराधियों से अथवा उनकी ओर से अन्य लोगों से कितनी दया याचिका प्राप्त हुयीं हैं ;

(ख) उनमें से कितनों को माफी दी गयी है ; और

(ग) कितनी अर्जियां अभी विचाराधीन हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) ५६।

(ख) किसी भी अपराधी को माफी नहीं दी गयी, किन्तु १५ कैदियों के मामले में मृत्यु की सज़ा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया।

बहु-प्रयोजनीय स्कूल

†२५३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह दर्शाते हुए एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि पंजाब और पेप्सू में किन-किन बहु-प्रयोजनीय स्कूलों को १९५५–५६ में केन्द्रीय सहायता दी गयी अथवा १९५६–५७ में दी जाएगी और उनमें से प्रत्येक को कितनी कितनी राशि दी गयी अथवा दी जायेगी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २५**]

स्वयंसेवी शिक्षा संगठन

†२५४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में शिक्षा का काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को सन् १९५५–५६ में कितनी सहायता दी गयी

(ख) संगठनों के नाम जिनकी पंजाब सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सिफारिश की गयी तथा उनके नाम जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने सहायता दी ; और

(ग) सन् १९५६–५७ का क्या कार्यक्रम है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क): ५,०७,९१८ रूपये।

(ख)

उन स्वयंसेवी संगठनों/शिक्षा संस्थाओं क नाम जिनकी सिफारिश सन् १९५५–५६ में पंजाब सरकार ने कन्द्रीय सहायता क लिये की	केन्द्रीय सहायता दी गयी या नहीं
१. किरोरी मल ट्रस्ट, भिवानी (पोस्ट ग्रेजूएट बेसिक ट्रेनिंक कॉलिज)	हाँ
२. खालसा कॉलिज फार वोमेन, सिघवान खुर्द, लुधियाना . .	हाँ
३. देव समाज बेसिक ट्रेनिंग कॉलिज फार वोमेन, फीरोजपुर.	हाँ
४. डी. एम. कॉलिज, मोगा	हाँ
५. अंध विद्यालय, अमृतसर .	हाँ
६. खालसा हाई स्कूल, खरार	हाँ

†मूल अंग्रेजी में।

(ख)

उन स्वयंसेवी संघटनो/शिक्षा संस्थाओं के नाम जिनकी सिफारिश सन् १९५५-५६ में पंजाब सरकार ने केंद्रीय सहायता के लिये की	केंद्रीय सहायता दी गई या नहीं
७. जनता हाई ऐण्ड ट्रेनिंग स्कूल, भूटाना . .	हाँ
८. साहित्य सदन, अबोहर	हाँ
९. ननकाना साहब एज्यूकेशन ट्रस्ट (इंजीनियरिंग कालिज, लुधियाना)	हाँ
१०. कौंसिल ऑफ नैशनल इन्स्टीटयूट ऑफ इंजीनियरिंग (रजिस्टर्ड), होशियारपुर	हाँ
११. मोन्टगोमारी गुरु नानक बेसिक ट्रेनिंग स्कूल, जालन्धर . .	नहीं
१२. जी. एच. खालसा हाईस्कूल एन्ड जूनियर बेसिक ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट, होशियारपुर	नहीं
१३. ऑल इंडिया जाट होरोज मेमोरियल कालेज, रोहतक . .	नहीं
१४. देव समाज स्कूल, अम्बाला	नहीं
१५. राधाकृष्ण आर्य बेसिक ट्रेनिंग कालेज, नवां शहर . .	नहीं
१६. सेन्ट्रल जनता सुधार कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सोनीपत .	नहीं
१७. दयानन्द ऐंग्लो वैदिक सोसाइटी, जालन्धर (टेकनिकल इन्स्टीच्यूट, जालंधर)	नहीं
१८. सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा (पंजाब) (टेकनिकल इन्स्टीच्यूट, बैजनाथ)	नहीं

(ग) शिक्षा के क्षेत्रों में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों की सहायता के लिये निम्न कार्यक्रम १९५६-५७ के लिये अब तक मंजूर किये गये हैं ;

(१) हिन्दी के विकास के लिये हिन्दी संगठनों को अनुदान। कोई निश्चित धनराशि निर्धारित नहीं की गयी है किन्तु आवश्यकता के अनुसार, हिन्दी विकास योजनाओं के लिये एकत्रित धनराशिमें से रुपया दिया जायेगा।

(२) माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों की विद्यमान सेवाओं को सुदृढ बनाने और निम्न क्षेत्रों में विशेष शिक्षा संबंधी महत्व की नयी सेवाएं चालू करने के लिये अनुदान :-

(१) हाई स्कूल और हायर सेकन्डरी शिक्षा संस्थाओं का सुधार ;

(२) शिक्षकों का प्रशिक्षण ;

(३) व्यवसायिक मार्गदर्शन ; और

(४) गवेषणा।

इस प्रयोजन के लिये इस वर्ष २५ लाख रूपये का उपबंध है।

(३) (एक) इंजिनियरिंग संस्थाओं को गत वर्ष इस प्रयोजन के लिये स्वीकृत किए गए अनुदानों को जारी रखना ।

(दो) इंजिनियरिंग संस्थाओं के लिये ऐसे अनुदान देना जो अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिये मंजूर किये जायें।

स्वयंसेवी संगठनों के लिये अलग से कोई विशिष्ट प्रबंध नहीं किया गया है। प्राविधिक शिक्षा योजनाओं के लिये कुल उपबन्ध में से निधियां दी जायेंगी।

दिल्ली पुलीस

†२५५. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस फोर्स में अभी कितने व्यक्ति हैं ; और

(ख) उनकी संख्या में गतवर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** :(क) १०,०५५।

(ख) ५।

विमान-वाहक जहाज

† २५६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार का भारतीय नौसेना के लिये एक विमान वाहक जहाज़ खरीदने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू)** : जी, हां।

स्त्री व बाल कल्याण केन्द्र

†२५७. **श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५४–५५ और १९५५–५६ में टेहरी गढ़वाल और ब्रिटिश गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) के जिलों में कितने स्त्री व बाल कल्याण केन्द्र खोले गये हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : आवश्यक जानकारी वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनबन्ध संख्या २६**]

पासपोर्ट नियमों का उल्लंघन

†२५८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५६ में अब तक पंजाब राज्य में पासपोर्ट नियमों का उल्लंघन करने के कारण कितने पाकिस्तानी राष्ट्र-जनों पर जुर्माना किया गया और कैद की सजा दी गयी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : जून १९५६ तक ४८६ व्यक्तियों को ।

भाग 'ग' राज्यों में आत्महत्याएं

†२५९. **श्री दी० च० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी से ३० जून, १९५६ तक भारत के भाग 'ग' राज्यों में राज्यवार कितनी आत्महत्याएं हुई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: आवश्यक जानकारी वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनबन्ध सख्या २७**]

---

†मूल अंग्रेजी में।

भारत में पाकीस्तानी राष्ट्रजन

†२६०. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में स्थायी रूप से रहने के लिये पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के १९५६ में अबतक कितने वीजा दिये गये हैं ; और

(ख) कितने पाकिस्तानीयों को १९५५ और १९५६ में अबतक भारतीय नागरिकता दी गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) १९५६ में ३० जून तक परिवार सहित ५४४ पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को भारत में स्थायी निवास के लिये वीजा दिये गये थे।

(ख) चूंकि नागरिकता अधिनियम, १९५५ के अधीन भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया आदि के नियम ७ जुलाई, १९५६ को जारी किये गये थे, इसलिये १९५५ और १९५६ में पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

विज्ञान मंदिर

†२६१. **श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आसाम में कोई विज्ञान मंदिर चालू किये जायेंगे ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** आसाम में विज्ञान मंदिरों की स्थापना के लिये राज्य सरकार की ओर से प्रस्थापनाओं की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . ३९१–४२३

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	
३९६	पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा में तूफान .	३९१–९२
३९८	प्रतिरक्षा सामान तथा उपकरण आदि .	३९२–९३
३९९	त्रावणकोर-कोचीन में भ्रष्टाचार के मामले .	३९३–९४
४००	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग	३९४–९६
४०२	सोना तथा डालर की संचितियां .	३९६–९७
४०३	सरकारी कर्मचारियों की ईमानदारी	३९७
४०४	भारत के शास्त्रीय ग्रन्थों का अनुवाद .	३९७–९८
४०५	हैदराबाद राज्य बैंक	३९८
४०६	दक्षिण पूर्व एशिया को सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल . .	३९९–४००
४०८	बुनियादी शिक्षा . . .	४००–०१
४११	मनीपुर के स्कूलों में अध्यापक .	४०१–०२
४१२	अग्रताल में बाढ़ .	४०२
४१५	अलीगढ़ विश्वविद्यालय .	४०२–०४
४१७	माध्यमिक शिक्षा	४०४–०५
४१८	भारतीय नौ सेना .	४०५
४२०	विज्ञान मंदिर .	४०५–०६
४२१	अंडमान में कुटीर उद्योग	४०६
४२३	बुद्ध जयंती समारोह . . .	४०६–०७
४२६	भारतीय खान विद्यालय . . .	४०७–०८
४२९	ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसियेशन .	४०८
४३१	संस्कृत विश्वविद्यालय . .	४०८–०९
४३२	यूनेस्को वैज्ञानिक प्रदर्शिनी . .	४०९–१०
४३५	मनीपुर के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण . .	४१०–११
४३६	स्कूलों में मार्ग नियमों का प्रशिक्षण	४११

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५–जामसर जिप्सम की खानों में मजदूरों की हड़ताल ४१२–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर ४१३–२९

तारांकित प्रश्न संख्या

३९४	बालकों में अपराध करने की प्रवृत्ति . . .	४१३–१४

[दैनिक संक्षेपिका]

प्रश्नों के लिखित उत्तर— (क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या		पृष्ठ
३९५	कर विशेषज्ञों का दल	४१४
३९७	उपभोक्ता मूल्य देशनांक .	४१४
४०१	अन्धों की शिक्षा . . .	४१४
४०७	भारत में भाषा सम्बन्धी सर्वेक्षण . . .	४१५
४०९	सोने का भाव	४१५
४१०	अपंगों की शिक्षा की राष्ट्रीय मंत्रणा परिषद .	४१५
४१३	ताज महल	४१६
४१४	उत्तर प्रदेश की प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापक	४१६
४१६	गणितीय कांग्रेस . .	४१६
४१९	आसाम और बिहार में बाढ़	४१६–१७
४२४	त्रावणकोर-कोचीन में भ्रष्टाचार विरोधी उपाय . .	४१७
४२५	राज्य बैंक	४१७–१८
४२८	जामा मस्जिद, दिल्ली . .	४१८
४३०	छुट्टी सम्बन्धी नियम . .	४१८
४३३	पूर्वी कमान	४१९
४३४	सार्वजनिक स्कूल निरीक्षण समितियां . .	४१९
४३७	सम्बद्ध कालेज . .	४१९
४३८	पवन शक्ति . .	४१९–२०
४३९	टाटा को विश्व बैंक का ऋण .	४२०
४४०	अन्दमान शिक्षा समिति . .	४२०
४४१	भारतीय औद्योगिक संस्था, खड़गपुर	४२०
४४२	केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्था . .	४२०–२१
४४३	छेद करने के लिये बरमे . . .	४२१
४४४	चोरी छिपे लाया गया सोना. .	४२१–२२
४४५	सेनाओं के कर्मचारी . .	४२२
४४६	लौह अयस्क . . .	४२२
४४७	बनस्पति . .	४२२

अतारांकित प्रश्न संख्या		
२४१	नोट का कागज बनाने का मिल .	४२२–२३
२४२	बुनियादी और प्रारंभिक शिक्षा	४२३
२४३	बहु-प्रयोजनीय स्कूल	४२३
२४४	त्रावणकोर-कोचीन राज्य में अफसरों की नियुक्ति	४२३
२४५	बहु-प्रयोजनीय स्कूल .	४२३–२४
२४६	कार्डाइट फैक्टरी . . .	४२४

[दैनिक संक्षेपिका]

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		पृष्ठ
२४७	सैन्य इंजीनियरी सेवा के कर्मचारी . . .	४२४
२४८	मनीपुर में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी .	४२४–४२५
२४९	तम्बाकू उत्पादन शुल्क	४२५
२५०	विदेशी बैंक	४२५
२५१	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण .	४२५–२६
२५२	दया याचिकायें . .	४२६
२५३	बहु-प्रयोजनीय स्कूल	४२६
२५४	स्वयंसेवी शिक्षा संगठन . .	४२६–२७
२५५	दिल्ली पुलिस	४२८
२५६	विमान-वाहक जहाज़ . . .	४२८
२५७	स्त्री व बाल कल्याण केन्द्र . .	४२८
२५८	पासपोर्ट नियमों का उल्लंघन .	४२८
२५९	भाग 'ग' राज्यों में आत्महत्यायें .	४२८
२६०	भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन . .	४२९
२६१	विज्ञान मंदिर	४२९

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ६, १९५६

(१६ जुलाई से ३ अगस्त, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

तेरहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ६ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

भाग २—वाद-विवाद, खण्ड ६—१६ जुलाई से ३ अगस्त, १९५६

अंक १, सोमवार, १६ जुलाई, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

देश में बाढ़ें १

संसद् भवन के आसपास प्रदर्शनों पर प्रतिबन्ध . . . २

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २–४

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ४–५

राज्य पुनर्गठन विधेयक ५

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ५

बिहार और पश्चिम बंगाल (राज्य-क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक . ५–६

प्रतिलिप्यधिकार विधेयक—

संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव ७, ८–१९

सभा का कार्य ७–८

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १९–३५

खण्ड २ से ३१ और १ . . . . . ३५–४०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४०

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४०–४४

दैनिक संक्षेपिका ४५–४७

अंक २, मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ४९

राज्य पुनर्गठन के बारे में याचिका . . ४९

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४९–६७

खंडों पर विचार—

खंड २ से १३, खंड १ और अधिनियमन सूत्र . . ६७–८१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ८१–८५

दैनिक संक्षेपिका . . ८६

अंक ३, बुधवार, १८ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ८७

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन . . . ८८

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—
पचपनवां प्रतिवेदन ८८

कारखाना (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका . . . ८८

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक —
विचार करने का प्रस्ताव ८८–१२०

दैनिक संक्षेपिका १२१

अंक ४, शुक्रवार, २० जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
सरकार की वस्त्र सम्बन्धी नीति तथा हथकरघा उद्योग का भविष्य . १२३–२५

सभा का कार्य १२५

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—
खंड २ से १४ और १ . . . . . १२५–३५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३५–३८

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३८–४३

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—
पचपनवां प्रतिवेदन १४३

आय-कर विभाग के कार्य-संचालन की जांच के बारे में प्रस्ताव . . १४३–६४

संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीकी तथा एशियाई राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व के बारे में संकल्प १६४

दैनिक संक्षेपिका १६५–६६

अंक ५, शनिवार, २१ जुलाई, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
विशाखापटनम् बन्दरगाह और पत्तन श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल की पूर्व सूचना १६७–६८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १६८

कार्य-मंत्रणा समिति—
अड़तीसवां प्रतिवेदन १६८–६९

सभा का कार्य १६९

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १६९–२०५

दैनिक संक्षेपिका २०६–०७

अंक ६, मंगलवार, २४ जूलाई, १९५६ पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव—

विशाखापटनम बन्दरगाह और पत्तन श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल की पूर्व सूचना . . . २०९–१०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २१०–११

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन २११–१३

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २१३–२३

खण्ड २ से ३३, खंड १ और अधिनियमन सूत्र २२३–७६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . २७६

दैनिक संक्षेपिका . २७७

अंक ७, बुधवार, २५ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २७९–८०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति—

छप्पनवां प्रतिवेदन २८०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कच्छ में भूकम्प २८०–८१

श्री चिं० द्वा० देशमुख द्वारा मंत्री पद से त्यागपत्र के बारे में वक्तव्य . २८१–८५

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २८५–३३२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३३३

अंक ८, गुरुवार, २६ जुलाई, १९५६

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५-५६) खंड ५, अंग १ . . . ३३५

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) के विधेयक के बारे में याचिका ३३५

राज्य पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३३५–७८

दैनिक संक्षेपिका ३७९

अंक ९, शुक्रवार, २७ जुलाई, १९५६	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
संसद् भवन के पास प्रदर्शन करने पर प्रतिबन्ध	३८१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३८१–८२
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—	
सोलहवां प्रतिवेदन	३८२
राज्य पुनर्गठन विधेयक तथा संविधान (नवां संशोधन)	
विधेयक के बारे में याचिकायें	३८२–८३
सभा का कार्य	३८३
राज्य पुनर्गठन विधेयक	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	३८३, ३८३–४००
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
छप्पनवां प्रतिवेदन	४००–०३
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक . . .	४०४
भारतीय बालक दत्तक ग्रहण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	४०४–०८
भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी मुकदमेबाजी विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	४०८–१०, ४११–१२
संसद् भवन के पास प्रदर्शन	४१०–११
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४३५ का संशोधन)—	
विचार करने का प्रस्ताव	४१२–१३
खण्ड २, ३ और १	४१३–१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	४१४
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)—	
विचार करने का प्रस्ताव	४१५
दैनिक संक्षेपिका	४१८-२०
अंक १०, शनिवार, २८ जुलाई, १९५६	
लोक लेखा समिति—	
सत्रहवां प्रतिवेदन	४२१
सभा का कार्य	४२१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . .	४२२
राज्य पुनर्गठन विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	४२२–५७
दैनिक संक्षेपिका	४५८

अंक ११, सोमवार, ३० जुलाई, १९५६ — पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४५९

अनुपस्थिति की अनुमति ४५९–६०

समिति के लिये निर्वाचन—

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था ४६०

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक ४६०

राज्य पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४६०–५०२

दैनिक संक्षेपिका . . . ५०३

अंक १२, मंगलवार, ३१ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ५०५

राज्य-सभा से सन्देश ५०५

राष्ट्र-मंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन तथा अपनी विदेश यात्रा के संबंध में प्रधान मंत्री का वक्तव्य . . . ५०६–०९

नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . ५०९–१०

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५११–४८

खंड २ से १५ . . . ५४८–५२

दैनिक संक्षेपिका ५५३

अंक १३, बुधवार, १ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५५५–५६

राज्य-सभा से सन्देश ५५६–५७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन ५५७

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५-५६) खंड ५ अंक २ और ३ . . ५५७

राज्य पुनर्गठन विधेयक ५५७–६००

खंड २ से १५ . . . . . ५५७–६००

दैनिक संक्षेपिका ६०१–०२

अंक १४, गुरुवार, २ अगस्त, १९५६—क्रमशः	पृष्ठ
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	६०३–४५
खंड २ से १५	६०३–३५
खंड १६ से ४९ और अनुसूची १ से ३	६३५–४५
दैनिक संक्षेपिका	६४६
अंक १५, शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	६४७
सभा का कार्य	६४८
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . .	६४८–७४
खंड १६ से ४९	६४८–७४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
सत्तावनवां प्रतिवेदन	६७५
संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीकी तथा एशियाई राष्ट्रो को प्रतिनिधित्व देन में संबंधी संकल्प	६७५–९२
चल चित्रों के निर्माण तथा प्रदर्शन पर नियंत्रण एवं विनियमन के बारे में संकल्प	६९२
दैनिक संक्षेपिका	६९३
अनुक्रमणिका	(१–४३)

भा०स०मु०ना–वि० ३–२०५ लोक-सभा—१२-२-५८–१८०

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शनिवार, २८ जुलाई, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२·०४ म० प०

लोक लेखा समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

†**श्री व० बा० गांधी (बम्बई नगर-दक्षिण)** : मैं विनियोग लेखा (रेलवे) १९५३–५४ के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति (१९५५–५६) का सत्रहवां प्रतिवेदन अंक १—प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं ३० जुलाई, १९५६ से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिये इस सभा के सरकारी कार्य की घोषणा करना चाहता हूं ।

राज्य पुनर्गठन विधेयक पर, इस सप्ताह में विधेयक के लिये स्वीकृत समय के बंटवारे के अनुसार, विचार जारी रहेगा । यदि पूर्वाधारित समय से पूर्व विधेयक पर विचार और पारित होने का क्रम पूरा हो गया—जिसकी संभावना नहीं है—तो सरकार निम्न दो विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, इस सभा द्वारा विचार तथा पारित होने के लिये प्रस्तुत करेगी :—

(१) नदी बोर्ड विधेयक; और

(२) अन्तर्राज्य जल विवाद विधेयक ।

सभा द्वारा बिहार और पश्चिम बंगाल (क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक पारित हो जाने के पश्चात् संविधान (नवम संशोधन) विधेयक पर विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

1—200 L.S./56.

सभा–पटल पर रखे गये पत्र

दूसरी पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी समिति 'ख' की कार्यवाही और उसका सार

†**श्री वेंकटरामन** (तंजोर) : मैं दूसरी पंचवर्षीय योजना (उद्योग, खनिज, परिवहन और संचार) सम्बन्धी समिति 'ख' की कार्यवाहियों और उनके सार की प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस-२७३/५६**]

राज्य पुनर्गठन विधेयक–जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा पंडित गोविन्द वल्लभ पंत द्वारा २६जुलाई, १९५६ को प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :—

"कि भारत के राज्यों के पुनर्गठन और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

सामान्य चर्चा के लिये २० घण्टे रखे गये हैं; और अब तक ९ घण्टे ६ मिनट व्यतीत किये गये हैं। क्योंकि बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं, इसलिये सदस्यों को अपने भाषण को संक्षिप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। पहले कही गई बातों की पुनरुक्ति न करके नवीन बातें लेनी चाहियें। अब श्री देशपाण्डे अपना भाषण जारी करेंगे।

†**श्री गो० ह० देशपांडे** (नासिक मध्य) : कुछ लोगों ने राज्य पुनर्गठन के मामले को कुछ वर्षों के लिये स्थगित करने या इसे बिल्कुल ही न उठाने की बात कही है। परन्तु जब लोगों की इच्छा है कि राज्यों का उचित रूप से पुनर्गठन होना चाहिये, फिर यह बात बड़ी विचित्र प्रतीत होती है। लोगों को वयस्क मताधिकार देने के पश्चात् उन्हें अपनी भाषा में अपने राज्य का प्रशासन चलाने का अवसर न देने का कोई कारण नहीं है।

स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने भी और अन्य लोगों ने भी इस बात पर जोर दिया था। यह पुरानी मांग है। प्रसन्नता का विषय है कि अब जो राज्य बन रहे हैं वे अधिकतर भाषा के आधार पर हैं। निस्संदेह केवल भाषा ही एकमेव आधार नहीं बन सकती। श्री सक्सेना ने एकभाषा-भाषी राज्यों की आलोचना करते हुए द्विभाषाभाषी राज्यों की स्थापना पर जोर दिया, जब कि वह स्वयं एकभाषाभाषी राज्य में रहते हैं। पहले बहुभाषाभाषी राज्य थे और उनका अनुभव संतोषप्रद नहीं है। राज्य पुनर्गठन आयोग का भी यही मत है। अब फिर उसी स्थिति को लाने में क्या बुद्धिमत्ता है ?

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में एकभाषाभाषी राज्य बनाने के सम्बन्ध में जो उपबन्ध हैं मैं उनसे प्रसन्न हूं। परन्तु बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाने से रोकने के उपबंध का मैं विरोध करता हूं। आयोग ने कहा है कि गुजरात की अपेक्षा महाराष्ट्र से बम्बई का अधिक घनिष्ट सम्बन्ध है, इसलिये बम्बई को अवश्य ही महाराष्ट्र के साथ मिलाया जाना चाहिये। आयोग ने बम्बई के लिये द्विभाषी राज्य का हल बताया था। अब डा० कुंजरु ने कहा है कि यदि बम्बई को द्विभाषाभाषी राज्य नहीं बनाया जाता तो इसे महाराष्ट्र के साथ मिला देना चाहिये।

कल श्री डाभी ने बम्बई को "द्वीप" की संज्ञा दी है। इसे तो सब जानते हैं। यदि मराठी-भाषाभाषी क्षेत्रों का चित्र खींचा जाये तो उसमें बम्बई निश्चित और अनिवार्य रूप से आता है। हमने अल्पसंख्यकों को शिकायत का कोई भी अवसर नहीं दिया। केवल गुजराती लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं और कोई भी विरोध नहीं करता।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

जनमत संग्रह की बात कही गई है। परन्तु किसी और राज्य के बारे में भी जनमत संग्रह हुआ है ? जो प्रदेश जनमत संग्रह चाहते हैं क्या वहां जनमत संग्रह किया गया है ? फिर अकेले बम्बई में ही जनमत संग्रह क्यों करवाया जाये। जनमत संग्रह से देश की रक्षा और अखण्डता नष्ट होने की आशंका है।

कलकत्ता भारत की राजधानी था और बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा आसाम की भी राजधानी था। किन्तु राज्य पुनर्गठन होने पर वह एकभाषाभाषी राज्य की राजधानी बना। क्या कलकत्ता बम्बई से कम विश्वजनीन है ? वास्तव में कलकत्ता बम्बई से बड़ा और अधिक विश्वजनीन नगर है। कल को गैर-बंगाली लोग भी कलकत्ता को केन्द्रीय प्रशासन में लाने की मांग करने लगेंगे। मद्रास की भी यही स्थिति है। जब मद्रास और कलकत्ता एकभाषाभाषी राज्य में जा सकते हैं, फिर बम्बई क्यों एकभाषाभाषी राज्य में नहीं जा सकता ? इससे पता चलता है कि महाराष्ट्रीयों पर संदेह किया जाता है, हम इसे सहन नहीं कर सकते। हम अपने अधिकारों के लिये रक्त के अन्तिम बिन्दु रहने तक लड़ेंगे। कहा जाता है कि आयोग ने महाराष्ट्र वालों के लिये दो राज्यों की सिफारिश की थी, किन्तु अब उन को एक राज्य में मिला कर केन्द्रीय सरकार ने बड़ी कृपा की है। हम इस स्थिति को मानने को तैयार नहीं हैं।

संतुलित द्विभाषाभाषी राज्य के नाम पर हमारे साथ बड़ा भारी अन्याय किया गया है। मैं श्री मोरार जी देसाई और श्री पाटिल के इस तर्क पर आपत्ति करता हूं कि महाराष्ट्र वालों को गुजरातियों की सुविधा के अनुसार अपने आपको ढलना चाहिये। महाराष्ट्रीय लोगों ने अभी द्विभाषाभाषी राज्य का विरोध नहीं किया। अपितु बम्बई प्रदेश कांग्रेस समिति और गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति ने इससे इनकार किया है। गुजराती सब महाराष्ट्रीय लोगों को एक प्रशासन में नहीं आने देना चाहते। इसी अन्याय के कारण महाराष्ट्रीय लोगों में क्षोभ है। हम अल्पसंख्यकों को सब प्रकार की रियायतें देने को तैयार हैं, परन्तु बम्बई महाराष्ट्र का अंग है और महाराष्ट्र में मिलना चाहिये। हम श्री अशोक मेहता की इस बात को भी मान गये कि बम्बई निगम को विशेष अधिकार दे दिये जायें, परन्तु उनका उद्देश्य तो महाराष्ट्रीय लोगों को बम्बई से वंचित रखना है। हम बम्बई के बिना नहीं रह सकते। यदि पांच वर्ष तक केन्द्रीय प्रशासन में बम्बई को रखा गया तो प्रयत्न यह होगा कि वहां से महाराष्ट्रीय लोगों को निकाल दिया जाये। दिन प्रतिदिन झगड़े होंगे। जब तक यह आश्वासन नहीं दिया जाता कि बम्बई स्वयमेव महाराष्ट्र में मिला दिया जायेगा वहां शान्ति नहीं रह सकती। देश के हित के लिये १ या दो वर्ष तक बम्बई को केन्द्रीय प्रशासन में रख कर उसे महाराष्ट्र में मिला दिया जाना चाहिये।

यदि महाराष्ट्रीय बम्बई से अपनी सरकार का प्रशासन चलायें तो इसमें क्या हानि है ? वहां के इतने कर्मचारियों के जीवन में अव्यवस्था लाने का कोई लाभ नहीं है। और बम्बई के बगैर महाराष्ट्र का विकास संभव नहीं है।

श्रीमती जयश्री ने डांग जिला को गुजरात में मिलाने की मांग की है। परन्तु १९५१ की जनगणना के अनुसार वहां ९६ प्रतिशत मराठी बोलने वाले लोग हैं। धर्मपुर तालुक में भी ९५ प्रतिशत मराठी भाषी लोग हैं। यह स्थिति बासडा तालुक और सोनगढ़ की है। इन सब प्रदेशों को महाराष्ट्र के साथ मिलाया जाना चाहिये।

सेठ गोविन्द दास और श्रीमती जयश्री ने कहा है कि बम्बई केन्द्रीय प्रशासन में जाने से अफ्रीका में नहीं चला जायेगा। परन्तु क्या महाराष्ट्र में मिलने से वह अफ्रीका में चला जायगा ? आज या कल बम्बई महाराष्ट्र में अवश्य मिलेगा। इस सभा और बाहर वालों की हमारे साथ सहानुभूति है। मैं सभा से अपील करता हूं कि यह गुजरातियों और महाराष्ट्रीयों का प्रश्न नहीं अपितु यह सारे राष्ट्र का प्रश्न है। गुजराती और महाराष्ट्री बंधुत्वभाव से रहते रहे हैं। यह अव्यवस्था तो केवल अस्थायी है। इस समस्या के संतोषजनक हल पर समस्त देश की समृद्धि निर्भर है।

[श्री गो० ह० देशपांडे]

इसमें पूंजी और श्रम के प्रश्न का भी कुछ समावेश है। इस दृष्टिकोण से भी यह समाजवादी ढंग के समाज के समर्थकों को चाहिये कि वे इसे केन्द्रीय प्रशासन में न लाने का प्रयत्न करें। केन्द्रीय प्रशासन में यही वर्ग-संघर्ष अवश्यंभावी है। महाराष्ट्रीय लोगों में बेचैनी होने का परिणाम यह होगा कि वे लोग चुप नहीं बैठेंगे और जब तक हम अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर लेते संघर्ष जारी रखेंगे। हम शान्तिपूर्वक युद्ध करेंगे। हम कम देश भक्त नहीं है। इन शब्दों में मैं सभा से अपील करता हूं कि बम्बई को महाराष्ट्र के साथ मिलाया जाये।

मैं कर्नाटक के मित्रों से निवेदन करता हूं कि मैसूर में जो क्षेत्र जा रहा है उसमें छः लाख महाराष्ट्रीय हैं, और उनमें ७१ प्रतिशत लोग मराठी बोलते हैं। इस समस्या की ओर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये। यदि आवेश में कोई ऐसी बात कही गई है जिससे किसी सदस्य की भावना को चोट पहुंची हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं तो इस समस्या का हल चाहता हूं और यह महाराष्ट्रीय लोगों की उचित मांग है। इसका शीघ्र ही हल निकलना चाहिये।

†**श्री अशोक मेहता** (भंडारा): मैं किसी कारणवश संयुक्त समिति की कार्यवाहियों में भाग नहीं ले सका, और नहीं विमति टिप्पण दे सका हूं।

यहां बहुत क्रोध और आवेश से परिपूर्ण भाषण हुए हैं। कुछ लोगों और मेरे नेता द्वारा दी गई मंत्रणा की अवहेलना करने के कारण ही यह कठिन स्थिति उत्पन्न हुई है। निस्संदेह यह प्रशासन सम्बन्धी समस्या है, परन्तु हम देखते हैं कि यह भावनाओं का प्रश्न बन गया है और हल करने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता।

पंजाब में जो स्थिति है उससे मुझे बड़ा दुख हुआ है। जब प्रादेशिक सूत्र बनाया जा रहा था और अकाली उसे स्वीकार करने को तैयार थे, तब मैंने अनुभव किया था कि ऐसा हल हो सकता है जिससे पंजाब के दोनों समाजों को सतोष प्राप्त हो। परन्तु एक पक्ष का ही परामर्श लिया गया और अब फिर वही विवाद खड़ा हो गया है। यह दो भाषाओं और दो धार्मिक सम्प्रदायों का झगड़ा नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार धीरे-धीरे नागरिक ग्रामीण तनाव बढ़ता जा रहा है। शहरी लालाओं और देहाती जाटों में झगड़ा पैदा हो रहा है। यह प्रारंभ है परन्तु इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। यदि हम इसे प्रशासनिक समस्या मानते रहे और भावनाओं का कोई मिलान न किया तो समस्या अधिकाधिक जटिल होती जायेगी।

पंजाब में कठिनाई यह है कि जब एक बड़े अल्पसंख्यक समाज को मिलाने का विचार है, दूसरा बड़ा सम्प्रदाय, दूसरे प्रदेश में अल्पसंख्यक की स्थिति को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यदि बहुसंख्यक समाज सब जगह बहुसंख्यक समाज बनने पर आग्रह करता है, तो कैसे व्यवस्था की जा सकती है? लेने और देने का सूत्र अपनाना ही पड़ता है। क्योंकि अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक, किसी भी स्थिति में भारतीयों को कोई लाभ हानि नहीं हो सकती।

बम्बई नगर के प्रश्न पर अच्छी तरह विचार नहीं किया गया। गुजरातियों और महाराष्ट्रीय लोगों के साथ मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध है और मेरा दोनों भाषा वर्गों से सम्बन्ध है। दोनों समाज एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। इसलिये मैंने उपयुक्त द्विभाषाभाषी राज्य का हल बताया था। अब भी देर नहीं हुई है। एकन-एक दिन यही हल अपनाना होगा, क्योंकि गुजराती और महाराष्ट्रीय दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता।

यदि एकभाषाभाषी राज्य ही बनाना है तो बम्बई को महाराष्ट्र के बाहर क्यों रखा गया है?

---

†मूल अंग्रेजी में।

बम्बई विश्वजनीन नगर है। महाराष्ट्रीय लोग चिल्ला रहे हैं "बम्बई महाराष्ट्र का भाग है"। परन्तु बम्बई विश्वजनीन ही रहेगा; इसे कभी भी केवल महाराष्ट्रीय नगर नहीं बनाया जा सकता। परन्तु यदि बम्बई की ५० प्रतिशत महाराष्ट्रीय जनता में बेचैनी रही तो भी यह विश्वजनीन नहीं रह सकेगा। जब दोनों ओर समझौते की भावना हो, तभी यह विश्वजनीन रह सकता है। इसे न तो महाराष्ट्र से पृथक किया जा सकता है और न ही एकभाषाभाषी नगर बनाया जा सकता है। इसका कोई हल निकालने की आवश्यकता है।

बम्बई नगर को पर्याप्त स्वायत्त शासन दिया जाना चाहिये था और इसे महाराष्ट्र में मिलाया जा सकता था। इससे महाराष्ट्रीय लोग भी संतुष्ट रहते और बम्बई के लोग भी इसे विश्वजनीन बनाये रखते। मैंने यह उपाय बताया था, परन्तु इस पर चर्चा किये बिना ही रद्द कर दिया गया और यह स्थिति उत्पन्न हुई। यह जानना आवश्यक है कि बम्बई को महाराष्ट्र से अलग रखकर इस समस्या को सुलझाया नहीं जा रहा है। यदि बम्बई केन्द्रीय प्रशासन में रहता है, तो फिर यह वह नगर नहीं रहेगा जो अब तक था और महाराष्ट्र में शान्ति न रहेगी।

नया महाराष्ट्र राज्य पश्चिमी भारत का ही एक राज्य नहीं है, अपितु यह भारत के मध्य में स्थित है। यदि इस बड़े महाराष्ट्र में अशान्ति, निराशा, अविश्वास, आदि की भावना रहती है तो क्या शेष भारत में आशा व विश्वास के साथ व्यवस्थित अर्थ-व्यवस्था बन सकेगी। कोलाबा के मेरे मित्र ने कहा था कि महाराष्ट्र के विरुद्ध द्वेष भावना है। यद्यपि कई बार मेरा और प्रधान मंत्री का मतभेद हुआ है, परन्तु मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि वह किसी के प्रति द्वेष-भावना रखते हैं। परन्तु उनके साथी, श्री सी० डी० देशमुख का ऐसा महसूस करना एक चेतावनी संकेत है, तथा इस चेतावनी संकेत की उपेक्षा करना देश की वास्तविकताओं से मुंह मोड़ना है। श्रीमान्, विश्वास कीजिये कि आज कल लाखों महाराष्ट्रीयों की यही भावना है कि उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। उनका ऐसा महसूस करना ठीक है या नहीं, यह भिन्न बात है, परन्तु यह एक तथ्य है और इसका ध्यान रखना होता। यदि प्रत्येक व्यक्ति सहमत हो तो द्विभाषी राज्य बनाइये और या अन्यथा बम्बई को महाराष्ट्र में मिला दीजिये। परन्तु नगर को अधिकतम यथासम्भव स्वायत्त शासन का अधिकार दिया जाना चाहिये। मुझे विश्वास है कि यह प्रश्न सुलझाया जा सकता है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस मामले की जांच की जाय और इस समस्या को पारस्परिक सद्भावना की नीति से सुलझाया जाय।

इस सुझाव से मुझे आश्चर्य हुआ कि बम्बई के भविष्य का विनिश्चय बम्बई के लोगों द्वारा किया जाना चाहिये। आप कभी भी यह प्रश्न लोगों के मतदान द्वारा निश्चित किये जाने के लिये नहीं रख सकते। अतः इसके निबटारे का उत्तरदायित्व संसद को अपने ऊपर लेना चाहिए। अपने उत्तरदायित्व से यूं मुंह न मोड़िये। अतः यदि इस मामले पर बाद में विनिश्चित किया जाना हो, तो भी यह विनिश्चय संसद् को ही करना चाहिये। यदि आप इसका विनिश्चय करने के लिए बम्बई के लोगों का मत लेने हैं; तो बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात और यहां तक कि सारे भारत में अशान्ति फैल जायेगी। आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि भारत का यह रूप इन्द्रधनुष के समान है जिसमें एक रंग दूसरे में मिलता है और फिर एक नया रंग बन जाता है; कुछ ऐसे स्थान हैं जहां दो रंग एक दूसरे में मिलते हैं, और वह उन्हें अलग करना नहीं चाहता। क्या भारत का रूप इन्द्रधनुष जैसा है? अथवा, क्या हम यथार्थतम भाषावार राज्य बनाना चाहते हैं? यदि आप भाषावार राज्य बनाना चाहते हैं, तो अवश्य बनाइये। परन्तु प्रश्न यह है कि आप किन मूल धारणाओं के आधार पर यह कार्य कर रहे हैं? मुझे आश्चर्य है कि गृह-कार्य मंत्री ने हमें वे मूल धारणायें, वे सिद्धान्त नहीं बताये हैं जिनके आधार पर वह राज्य पुनर्गठन करना चाहते हैं और इसका परिणाम यह है कि प्रत्येक अपनी ओर खींचता है।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में, पृष्ठ १३६–१३८ पर, गृह कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया परिपत्र का पाठ दिया गया है। इसके पैरा ९ का शीर्षक है; 'अखिल भारतीय सेवाओं म कम से कम ५० प्रतिशत व्यक्ति राज्य के बाहर से लिये जायेंगे'। इस सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्रालय ने क्या सुझाव दिया है? नोट में कहा गया है :

[श्री अशोक मेहता]

"मुख्य मंत्रियों से इस प्रश्न पर अनौपचारिक रूप में चर्चा की गई। कड़े नियमों की आवश्यकता नहीं है, परन्तु अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भावी बांट करने में आयोग की सिफारिशों का ध्यान रखा जायेगा।

अब हम अपने विद्यमान राज्य समाप्त कर रहे हैं। क्या सारे गुजरातियों को गुजरात भेज दिया जायेगा, और क्या सारे महाराष्ट्री लोग महाराष्ट्र में रहेंगे? हमें यहां इस प्रश्न के बारे में विनिश्चय करना है। हम चाहते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करने के लिये कम से कम ५० प्रतिशत अधिकारी अन्य भाषा वाले वर्ग से लिये जायंगे। अगले परा में न्यायाधीशों के बारे में कहा गया है कि कुछ मामलों में इन सिफारिशों को लागू करने में कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। यही बात लोक सेवा आयोगों की रचना के बारे में है। ये तीनों सुझाव राज्य पुनर्गठन आयोग ने दिये थे, क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया था कि एक भाषावार न्यसन होने के साथ साथ दूसरी ओर प्रशासनीय समन्वय होना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है।

फिर, भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के परित्राण के समूचे प्रश्न को लीजिये। यह आवश्यक है कि इन मामलों का उत्तरदायित्व केन्द्र अपने ऊपर ले। हम इस प्रश्न को खण्ड-परिषदों पर नहीं छोड़ सकते। मैं नहीं चाहता कि एक भाषा वर्ग के लोग अपने अधिकारों के परित्राण के लिये अपने राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों की ओर देखें। अतः यह आवश्यक है कि भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के परित्राण का उत्तरदायित्व इस महान् सभा को, राष्ट्रपति को दिया जाय। इस सम्बन्ध में श्री फ्रैंक एन्थनी एक उपयुक्त संशोधन रख रहे हैं और आशा करता हूं कि उस पर चर्चा करते समय उसकी सब बातों पर विचार करेंगे। मेरे माननीय मित्र डा० लंका सुंदरम् ने कहा था कि भाषा-सम्बन्धी अल्पसंख्यकों की संख्या ४ करोड़ है। यह संख्या बढ़ जायेगी। आज यह संख्या ४ करोड़ है, कल यह १४ करोड़ हो सकती है। अतः उनके अधिकारों के परित्राण के लिये आवश्यक है कि केन्द्र को अपेक्षित अधिकार प्राप्त हों। नोट के पैर ७ में उल्लेख है :

"राज्य सरकारों का ध्यान व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतन्त्रता तथा अवसर-समता के अधिकार सम्बन्धी सांविधिनिक उपबन्धों की ओर आकर्षित किया जा रहा है, तथा यह सुझाव दिया जा रहा है कि विद्यमान प्रतिबन्धों का पुनर्विलोकन इस दृष्टि से किया जाना चाहिए।" ये मेरे सांवधानिक अधिकार ह। परन्तु अब मुझे राज्य सरकारों से विनम्रतापूर्ण प्रार्थना करनी होगी कि कृपया 'इन्हें संविधान के अनुसार बनाइये।' यह बात मेरी समझ में नहीं आती। हम लोग अपने राज्यों के नहीं अपितु समूचे भारत के नागरिक है और यह सभा सर्वोच्च सभा है। संविधान ने जो अधिकार व विशेषाधिकार दिये है, वह किसी प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं छीने जा सकते। उनका परित्राण करना इस सभा और उच्चतम न्यायालय का उत्तरदायित्व है। यह समस्या दृष्टि से ही एक गलत है। और मै गृह-कार्य मंत्री प्रधान मंत्री और सारे सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि इस ओर ध्यान दें कि श्री फ्रैंक एन्थनी ने जो यह मूल प्रश्न उठाया है इसकी जांच की जाय।

मुझे आश्चर्य होता है कि हिमाचल प्रदेश के लोकतन्त्रात्मक अधिकार छीन लिये गये हैं। मनीपुर का भी यही हाल है। वहां आदिम जातियों के लोग रहते हैं और उनकी भाव गृहणक्षमताओं पर विचार करना पड़ेगा। यदि आप वास्तव में इन आदिम जातियों के लोगों में यह भावना उत्पन्न करना चाहते हैं कि उन्हें अधिकतम स्वायत्तता प्राप्त है, तो उन्हें सहायता दीजिये और उनके साथ वसा व्यवहार कीजिये जसा कि हम जम्मू तथा काश्मीर के लोगों के साथ करने को तैयार हैं। परन्तु मनीपुर और हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ हम ऐसा व्यवहार करने को तैयार नहीं है। मनीपुर और त्रिपुरा केन्द्रीय प्रशासन में रहेंगे। वहां अनुपयुक्त अधिकारी भेजे जायेंगे। यहां मेरे माननीय मित्र शिकायत करते रहेंगे और प्रति बार मंत्री लोग खड़े होकर

रस्मी तौर पर सामान्य उत्तर देंगे। इस प्रकार राष्ट्र नहीं बना करते। अतः राज्य पुनर्गठन की इस समस्या पर चर्चा करते समय, हमें इस पर केवल एक विधान आदि की दृष्टि से ही नहीं अपितु मनोवेगों के समायोजन के रूप में विचार करना चाहिये।

अन्त में मैं एक बार फिर प्रधान मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह बम्बई के प्रश्न को एक ऐसा प्रश्न न मानें जो बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों द्वारा हल किया जा सके। इसका तो कोई ऐसा हल निकालना होगा जिससे सारे सम्बन्धित लोग महसूस करें कि उस हल से प्रत्येक का मान रह गया है और प्रत्येक के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है।

†**श्री गाडगिल** (पूना मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र श्री अशोक मेहता के प्रति वयोवृद्ध समादर प्रकट करना चाहता हूं।

कल सत्याग्रहियों के प्रदर्शन के समय जो भी हुआ उससे प्रकट होता है कि विधि तथा व्यवस्था की समस्या अनिवार्यतः मानव को समझने की समस्या है और कुशल-व्यवहार द्वारा ही सफलतापूर्वक सुलझाई जा सकती है। यदि नवम्बर से जनवरी तक बम्बई में भी यही ढंग अपनाया जाता, तो देश का इतिहास ही कुछ और होता। लोगों ने हमसे प्रार्थनायें की हैं परन्तु बम्बई और संयुक्त महाराष्ट्र की समस्या श्री अशोक मेहता से अच्छा किसी ने नहीं समझते हैं। हमपर प्रान्तीयता का लांछन लगाया जाता है, परन्तु मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने यह कभी नहीं कहा कि हम महाराष्ट्री पहले हैं। हमने सदैव ही यह कहा है कि हम भारतीय पहले हैं और महाराष्ट्री बाद में और अच्छे भारतीय बनने के लिए हम अच्छे महाराष्ट्री बनना चाहते हैं। अतः जब हम इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं, तो मैं इस पर एक महाराष्ट्री से अधिक अखिल भारतीय दृष्टिकोण से विचार करता हूं, क्योंकि हम नई व्यवस्था के समाज के लिये भारत का निर्माण करना चाहते हैं। हम भारत को एक ऐसा रूप देना चाहते हैं जिसका केवल हमको ही नहीं अपितु हमारी भावी सन्तति को भी गर्व होगा। हम भारत को इतना ऊंचा उठाना चाहते हैं कि यह कहा जा सके कि भारत में जन्म लेना बड़े सौभाग्य की बात है। यह केवल तब ही सम्भव हो सकता है जब कि देश के प्रत्येक भाग और प्रत्येक वर्ग को वैयक्तिक नागरिकता के अधिकारों के ही मामलों में नहीं अपितु वर्ग सम्बन्धी अधिकारों के मामलों में भी सन्तोष प्राप्ति हो। किसी वर्ग-विशेष को निकृष्ट-स्तर प्रदान करना गलती है।

जब यह बात संसद के विचाराधीन थी, बहुत से संसदसदस्यों ने महाराष्ट्र के पक्ष का समर्थन किया और केवल मुझे ही नहीं अपितु दिल्ली तथा अन्य नगरों के समाचार पत्रों को ऐसा प्रतीत हुआ कि सभा बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाने के लगभग पक्ष में है। इसी कारण गुजराती समाचार पत्रों ने लिखा है कि संसद में उनके सदस्य अपना काम ठीक नहीं कर रहे हैं; श्री शाह, मेरे पास आपके समाचार पत्र के 'कटिंग' हैं। फिर, उन्होंने अपने नेता श्री मुरार जी देसाई और श्री ढेबर से प्रार्थना की कि वे हस्तक्षेप करें और इस बात पर ध्यान दें कि किये गये विनिश्चय में परिवर्तन न हो।

†**श्री चि० चा० शाह** (गोहिलवाड सोरठ) : यह बिल्कुल गलत बात है। क्या वह समाचार पत्रों में कोई बात दिखा सकते हैं? क्या यह कहीं किसी समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है?

†**श्री गाडगिल** : मेरे माननीय मित्र श्री शाह यद्यपि अभ्यर्थी हैं, परन्तु उन्होंने अभी तक यह कला नहीं सीखी है कि यह मेरी बात का उत्तर देने का विचार करने से पहिले शान्तिपूर्वक सुनें कि मैंने क्या कहा है। मैंने कहा है कि यह प्रार्थना की गई है।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में प्रधान मंत्री के वक्तव्य का निर्देश किया गया है। इस कारण हमें देखना यह होगा कि वह वक्तव्य किन परिस्थितियों, किस समय, किस स्थान पर और क्यों दिया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री गाडगिल]

मैं यह प्रश्न नहीं उठाता कि प्रधान मंत्री को संवैधानिक अधिकार है अथवा नहीं अपितु मैं तो इसके परिणाम में अधिक दिलचस्पी रखता हूं। मुझे इससे भी मतलब नहीं कि केबिनेट द्वारा भली प्रकार विचार करने के पश्चात ऐसा कहा गया था अथवा उससे पहले। मेरा सम्बन्ध तो केवल इससे है कि प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य का क्या परिणाम निकला है। कम से कम मैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यह हमारे दल के नेता का निदेश है तो फिर भला उसकी अवहेलना कैसे की जा सकती है। आखिरकार यह निदेश हमारे प्रधान मंत्री का है, जो हमारे ही दल के हैं। यह चीज तो बहुत कुछ प्राचीन काल का स्मरण कराती है जब कि पिता अपने लड़के के लिये एक वधू निश्चित कर लेता था जब कि लड़का किसी और ही लड़की के साथ विवाह करना चाहता था। अतः कहना यह पड़ेगा कि आज संसद् की प्रभुता का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है।

आज यदि बहुमत दल का नेता कोई घोषणा कर देता है तो दल के नेता उसे मानने के लिये बाध्य हो जाते हैं। मुझे बताया गया है कि यहां तक कि संयुक्त समिति की बैठकें होने से पूर्व ही एक दल-विशेष के लोग पहले ही मिल कर अपने नेता की सम्मति बता दिया करते हैं।

अतः आज प्रश्न यह नहीं कि बम्बई महाराष्ट्रीयों को दिया जा रहा है, अपितु यह तो सिद्धान्त का प्रश्न है। इस कारण प्रश्न तो यह है कि क्या हमें अपने स्वतन्त्र विचार व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है।

प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि इसमें कुछ निश्चय की बात भी हो सकती है और कुछ समय बाद हम इसके गुणावगुणों पर विचार कर सकते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने बम्बई शहर को केन्द्र अथवा राज्य के अधीन रखकर अलग करने के विरोध में अपनी सम्मति दी है। अनेक पत्रों ने पहले यह सोचा था कि गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्य बनेंगे और बम्बई महाराष्ट्र में मिला दिया जायेगा। किन्तु किन्हीं विशेष कारणोंवश उन्होंने यह सुझाव दिया था कि इस प्रबन्ध को उन्हों ने अस्थायी अथवा आयात कारीन व्यवस्था समझा है।

डा० कुंजरू भी बम्बई नगर को अलग रखने के विरोध में हैं। बम्बई या दो द्विभाषी राज्य बने और यदि ऐसा सम्भव न हो सके तो उसे महाराष्ट्र में मिला दिया जाना चाहिये। इन सब बातों को जाने दीजिये तो भी यह सोचिये कि बम्बई नगर को अलग रखना क्या देश के हित में होगा ? शान्ति और व्यवस्था मद्यनिषेध तथा बेकारी आदि की समस्याओं को दृष्टि में रखते हुये यही कहना पड़ता है कि बम्बई नगर को अलग रखने से ना जाने कितनी कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी।

मैं अपने गुजराती मित्रों को आश्वासन दिलाता हूं कि उनका सबसे बड़ा परित्राण हमारी सद्भावना है। हम पिछले १५० वर्षों से पड़ोसी रहे हैं। हम लोगों की बहुत सी चीजों में साम्यता है इस कारण यदि हमें दो राज्य मिल जायें तो हम आपस में मिल कर तय कर लेंगे। मैंने पश्चिमी बंगाल और बिहार के विलयन का भी विरोध किया था। जिस पर मुझे लोगों ने प्रतिक्रियावादी कहा था किन्तु आज वही चीज सत्य सिद्ध हो रही है।

बात यह है कि हम आपस में सम्पर्क रखना चाहते हैं। श्री अशोक मेहता की शिक्षा महाराष्ट्र में हुई और मेरी गुजरात में। श्री शंकरराव देव और आचार्य विनोबा भावे मेरे सहपाठी थे। मैं तो गांधी जी की भांति हिन्दू दर्शन में विश्वास रखता हूं "बुरे कार्य से घृणा करो, उस कार्य के करने वाले से नहीं"।

हमें इस समस्या पर शान्तिपूर्ण ढंग से विचार करना चाहिये। ऐसा करने से पुलिस का प्रशासन हो जायेगा। इन छः वर्षों में मद्यनिषेध सम्बन्धी अपराध बढ़ गये हैं और निषिद्ध वस्तुओं के एक बड़े गुप्त कारखाने का पता लगा है।

इसी प्रकार बम्बई में बेकारी की समस्या को लीजिये जो निरन्तर उग्र रूप धारण करती चली जा रही है। क्या केन्द्रीय सरकार इसे रोक सकेगी? व्यवस्थित अपराधों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस सब का परिणाम आखिर क्या होगा। अमीरों पर भी तो गरीबी का प्रभाव पड़ेगा ही, जो मैं चाहता हूं कि बहुत धीरे-धीरे और समन्वित ढंग से बढे। अत: बम्बई को अलग रखना न केवल प्रशासकीय, राजनीतिक अथवा आर्थिक दृष्टिकोण से ही खतरनाक होगा अपितु सारे देश की दृष्टि से भी इसका बुरा प्रभाव ही पड़ेगा।

बम्बई आखिर है कितना बड़ा। १९४८ तक यह केवल २१ वर्ग मील में फैला हुआ था। बाद में हम लोगों ने महाराष्ट्र के जिलों आदि में से सत्तर वर्ग मील क्षेत्र और दे दिया था। आज मेरे मित्र श्री पाटस्कर जो आज मंत्रिपद पर हैं, शायद यह बात भूल गये हैं। मुझे आशा है कि मतदान के समय वह महाराष्ट्र को नहीं भूलेंगे। आज हमें न जाने क्या क्या मौखिक आश्वासन दिये जाते हैं। क्या हम यह महसूस नहीं करते कि बम्बई का आर्थिक अस्तित्व पृष्ठ देश पर निर्भर करता है।

ऐसा सुझाव इसलिये दिया जाता है कि बम्बई असफल रहा है। १९४६ में अविभाजित भारत में क्या हुआ था? बम्बई में हिंसा के सम्बन्ध में कुल ११५० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। उन ११५० लोगों से बदला लेने के लिये आप ३० लाख लोगों से दण्ड दे रहे हैं, उनका अधिकार छीन रहे हैं। क्या यही लोकतन्त्रवाद है।

तर्क यह दिया गया है कि असन्तोष समाप्त होना चाहिये। मेरा विनम्र निवेदन है कि प्रधान मंत्री इस पर पुन: विचार करें। इस प्रश्न का निर्णय लोकतन्त्रात्मक ढंग से निगम द्वारा किया जाने वाला है अथवा जनमत संग्रह से? यदि ऐसा है तो जिसके पास धन है वह सारे झगड़ों को ठीक समय पर शुरू कर देगा। बाद में हमसे कह दिया जायेगा कि एक पखवारा पहले झगड़े हो जाने से.....

कहा यह जाता है कि हमने ठोस सुझाव नहीं दिये हैं। हम लोगों ने पहले द्विभाषी राज्य का सुझाव दिया था, जो रद्द कर दिया गया। अब स्थिति यहां तक बिगड़ गई है कि द्विभाषी राज्य बनाने की बात कहना और अधिक मुसीबतें मोल लेना होगा। इसी प्रकार मेरे पहले के अन्य प्रस्ताव भी रद्द किये जा चुके हैं। आप चाहे १०–१५ वर्ष और ले लीजिये किन्तु ईमानदारी से कह दीजिये कि "बम्बई आपका है और अभी उसका संविलयन कर दिया जायेगा"। हमें अपने ठोस सुझावों को कार्यान्वित करने का एक अवसर तो दीजिये।

मैं तो कहता हूं कि बम्बई महाराष्ट्रीयों को दे दीजिये। उसी को राजधानी बना दीजिये और एक सीमा आयोग नियुक्त कर दीजिये जिससे ये सारे प्रश्न शान्तिपूर्वक और ठोस ढंग से तय हो जायेंगे। मेरे इन शब्दों पर प्रधान मंत्री ने विचार किया है और अभी फिर करेंगे।

मेरे मित्र श्री स० का० पाटील ने यह बड़ी अपमानजनक बात कही है कि कुछ लोगों ने पदलोलुपता के कारण यह आन्दोलन चलाया है। मेरी समझ में नहीं आता कि यदि ऐसा ही होता तो इतने लोग सत्याग्रह क्यों करते और १६०० लोग यहां प्रदर्शन के लिये नहीं आते। महाराष्ट्र को आपने इतना गिरा दिया है कि वहां के लोग इसे अपने लिये अपमानजनक समझते हैं। श्री देशमुख ने यदि कुछ कठोर शब्दावली का प्रयोग किया है तो उसमें महाराष्ट्र की वास्तविक स्थिति की स्पष्ट झलक है। प्रत्येक व्यक्ति को यही आश्चर्य होता है कि आखिर बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाया क्यों नहीं जाता? पता नहीं आप किन लोगों की सम्मति चाहते हैं? केवल हिन्दुस्तान टाइम्स नामक समाचार पत्र को छोड़ कर, जो सरकार के और विशेष कर गृह-कार्य मंत्री के पक्ष में है, सभी पत्रों ने कहा है––"हमारी समझ में नहीं आता कि यह क्या हो रहा है?" १५ जनवरी के हिन्दुस्तान टाइम्स नामक पत्र में छपा है कि बम्बई को केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र रखना सर्वोत्तम उपाय है और महाराष्ट्रीयों को बता देना चाहिये कि जब तक वर्तमान नेतृत्व रहेगा तब तक इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता।

[श्री गाडगिल]

यह निर्णय किन लोगों के लाभ के लिये किया गया है ? आपने तो अल्पसंख्यकों के लिये परित्राण का सुझाव दिया है। यदि महाराष्ट्री आपके लिये अच्छे हैं तो बम्बई के अल्पसंख्यकों के प्रति भी उनका व्यवहार अच्छा ही रहेगा। आप किसके हितों की रक्षा कर रहे हैं ? यह बड़ा स्पष्ट सा प्रश्न हो जाता ह ?

हमारे सामने प्रश्न यह है कि बम्बई जनसाधारण का है या उन सम्पत्ति स्वामियों का है जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के समय में उन सम्पत्तियों का अर्जन किया है। ये लोग व्यापारी लोग हैं, ये लोग वे हैं जिन्होंने गोआ की आर्थिक नाकाबन्दी को विफल बनाया। मैं प्रधान मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह प्रतिष्ठा के इन छोटे विचारों को छोड़कर इस बात पर विचार करें कि किसी विशिष्ट विनिश्चिय के परिणाम क्या होंगे ? यदि दुर्भाग्यवश कोई आपति उठ खड़ा होता है, तो विचारिये कि क्या होगा ? यदि इन सब बातों का ध्यान रखना जाय तो ठीक विनिश्चय किया जायेगा। यदि यह महाराष्ट्र को दे दिया जाता है, तो क्या यह किसी ऐसे राज्य में चला जाता है जो भारत में नहीं है ? फिर, हमसे कहा जाता है कि इस छोटे से टुकड़े की चिन्ता क्यों करते हो। यह बात आप हमारे गुजराती मित्रों से क्यों नहीं कहते ? इसके यहां या वहां रहने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे सारे गांव का सम्पूर्ण व्यापार व वाणिज्य उनके हाथ में है। हममें आपस में कोई दुर्भावना नहीं है। आप इसे क्यों पैदा करते हैं ? अतः मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह आगे बढ़ने और जनता की मांग को अस्वीकार करने से पहले भली प्रकार से विचार कर ले। महाराष्ट्र के लोगों की यह बहुत ही न्याय-संगत, उचित और समन्याय मांग है। अब, यह आप पर इस महान देश के भाग्य विधाताओं पर है कि आप न्याय के पक्ष में मत देते हैं या उसके विरुद्ध। यदि इस मतभेद पर असहयोग होना अनिवार्य है, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इसमें कोई बुरी भावना न होगी। मैं कांग्रेस में सदैव ही उच्च सिद्धान्तों और उच्च आदर्शों के लिये रहा हैं, यद्यपि आजकल यह प्रत्येक अवसरवादी का आश्रय बन गई है। यह पवित्र मन्दिर धन-विनिमय करने वालों से भर गया है तथा प्रधान मंत्री और मेरे मित्र श्री ढेबर इसमें परिवर्तन करने का अक्सर प्रयत्न कर रहे हैं। प्रधान मंत्री के केवल कहने से ही सम्पूर्ण वातावरण बदल जायेगा। निराशा की भावना प्रसन्नता में परिणत हो जायेगी, तथा मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि कोई भी जाति हमसे अधिक समाजवाद के पक्ष में नहीं है, क्योंकि हमारे पास निर्धनता खोने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

हम अपने स्वप्न के महान भारत के निर्माण में प्रधान मंत्री को पूरा सहयोग देंगे। केवल आवश्यकता है कि वह अपना निर्णय दें, वरन भाग्य में जो लिखा है, वह होकर ही रहेगा। मेरा इस प्रश्न पर समझौता नहीं हो सकता। यद्यपि मुझे अपने ध्येय में असफलता हो, मेरा मन संतुष्ट रहेगा कि मैंने अपने मन की बात देश के प्रतिनिधियों के सम्मुख रख दी है।

†**डा० जयसूर्य** (मेदक) : मेरी मातृ-भाषा बंगला और 'पितृ-भाषा' तेलगू मानी जाती है। परन्तु मैं उनके दो-चार शब्दों से अधिक कुछ नहीं जानता। अतः कोई भी मुझे भाषायी कट्टरपन्थी नहीं कह सकता। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के इस प्रतिवेदन के ऐतिहासिक तथ्य क्या हैं। इस प्रतिवेदन से तो मुझे कुछ पता न लगा। दक्षिण में १५२६ ई० में बहमनी साम्राज्य का भाषावार पुनर्गठन हुआ था। मैं चाहता हूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने उस समय के भारत के मानचित्र को देखा होता। तब, वहां मराठी, तेलगू और कन्नड़ भाषायें बोली जाती थीं और इनके क्षेत्रों के अनुसार ही राज्य पुनर्गठन हुआ था। मुगल राज होने पर यह साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया ? फिर, अंग्रेज आये और उन्होंने कहा कि दक्षिण स्वाधीन नहीं रह सकता। परन्तु उन सबने दक्षिण के महत्व को अनुभव किया और उन्होंने सारे मामले के बारे में सामान्य बुद्धि से काम लिया। उनके बाद हमारी सरकार सत्तारूढ़ हुई। सर्व प्रथम, पुलिस

†मूल अंग्रेजी में।

कार्यवाही हुई । फिर, सरदार पटेल ने हैदराबाद का विघटन करने का विनिश्चय किया । परन्तु सरकार ने निजाम से लगभग १८ करोड़ रुपये का ऋण लिया, तथा वे फिर हैदराबाद के मामले में ठंडे पड़ गये । मैं यह बताना चाहता हूं कि ऐसे महत्त्वपूर्ण मामलों में हमारी सरकार का व्यवहार कितना अस्पष्ट रहा है ।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने बम्बई के बारे में सिफारिश की । बम्बई नगर के बारे में जो सुझाव दिया गया था उसका परिणाम यह हुआ कि बम्बई-नगर-रूपी पूंछ किस राज्य-रूपी कुत्ते के लगाई जाय । यहां, एक नहीं अपितु दो विभिन्न दिशाओं में खींचने वाले कुत्ते हैं । इसी से बम्बई के सन्तुलित राज्य, एक द्विभाषी राज्य की धारणा बनी । जो सफल न हुई । फिर, दूसरा प्रश्न यह उठा कि बम्बई नगर का क्या हो ? महाराष्ट्रीयों ने यह कभी नहीं कहा कि वे द्विभाषी राज्य नहीं चाहते । परन्तु उन्होंने यह पूछा था कि "आप हमारा सिर क्यों काटना चाहते हैं ?" वे बम्बई के द्विभाषी राज्य से विदर्भ को अलग रखना चाहते थे । बड़े आश्चर्य की बात है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने विदर्भ के बारे में यह निष्कर्ष कैसे निकाला । आयोग के प्रतिवेदन में जो कुछ कहा गया है, यदि हम उसे पढ़ें तो आश्चर्य होता है । उन्होंने कहा है कि "सदैव से ही क्षेत्र के बाहर के लोगों पर कुछ संदेह रहा है "। अर्थात्, विदर्भ के लोग महाराष्ट्रीयों पर, महाराष्ट्र के लोग गुजरातियों पर और तिलंगाना के लोग आन्ध्र के लोगों पर संदेह करते हैं "। क्या भारत को मिला कर एक करने का यह ढंग है ? जो प्रतिपाध विषय गलत सिद्ध हो चुका है, वह क्यों अपनाया जाय ?

अब मैं बम्बई के प्रश्न पर आता हूं । एक ओर तो यह कहा जाता है कि हम विभाजन नहीं चाहते, और दूसरी ओर हम कहते हैं कि 'समस्या को स्वतः खत्म होने दो' । परन्तु उपेक्षा से समस्या खत्म नहीं होती, वे तो स्वेच्छापूर्ण सहयोग से समाप्त होती है । यदि आप एक सीमा आयोग बना दें तो ये सारी समस्यायें समाप्त हो जायं । मैं आपसे पूछता हूं कि सीमा आयोग बनाये बिना आप प्रत्येक बात को कैसे समाप्त करेंगे । मुझे तो चिन्ता इस बात की है कि हमने जो गलतियां की हैं वे कैसे ठीक होंगी । श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि लोगों की इच्छानुसार कार्य करना, यह जानना कि वे क्या महसूस करते हैं और उन्हें क्या दुःख है, लोकप्रिय सरकार का कर्त्तव्य है । यदि सरकार गलती करती है, तो वे उसे ठीक करनी चाहिये । बात यह नहीं है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन का अवश्य पालन किया जाय अपितु यह है कि हम या तो इसे ठीक करें और या अस्वीकार कर दें ।

प्रादेशिक परिषदों सम्बन्धी यह सारी बातें मेरी समझ में नहीं आती । पंजाब जैसे द्विभाषी राज्य के लिए एक प्रादेशिक समिति की बात तो मैं समझ सकता हूं, परन्तु आन्ध्र प्रदेश जैसे एक भाषी राज्य के बारे में नहीं । तिलंगाना को एक विकास बोर्ड देने में क्या हानि ह । 'चाचा नेहरू' और 'अम्मीजान' से मिलने एक के बाद दूसरा प्रतिनिधि मण्डल आ रहा है, परन्तु कुछ भी विनिश्चय नहीं होता । तिलंगाना में आजकल यह स्थिति है कि उच्च कमान कुछ कहता है और गृह मंत्रालय कुछ कहता है । यही गड़बड़ी चल रही है ।

मैं प्रादेशिक परिषदों के निबन्धन और शर्त्तें जानना चाहता हूं । मेरे पूछने पर उन्होंने कहा "कल आपको दिखा दूंगा "। मने कहा "लिखकर दीजिये "। उन्होंने कहा "यह राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है "। यह बात मेरी समझ में नहीं आती इस सभा को यह जानने का अधिकार है कि सरकार क्या विनिश्चय कर रही है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुडगांव) जनाब स्पीकर साहब, अभी हाउस ने एक तकरीर सुनी है । मेरे दोस्त जयसूर्य नें जिस चीज का जिक्र हाउस के सामने किया उसको मैं कांक्रीट फार्म (ठोस रूप) में आपके रूबरू रखना चाहता हूं । उन्होंने जिक्र किया तैलंगाना और आंध्र का, मैं आपके सामने थोड़ा सा पंजाब का जिक्र करना चाहता हूं जिसके बारे में आप कई तकरीरें सुन चुके हैं ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

अभी जयसूर्य साहब ने फरमाया कि एक रीजनल कौंसिल का फार्मला बना, लेकिन आज तक उनको पता नहीं कि वह क्या चीज है। आज तक उनको यह खबर नहीं कि उसकी क्या कैरेक्टेरिस्टिक्स (मुख्य बातें) हैं और उससे क्या फर्क हो जाता है, उसके सही माने क्या हैं। फिल वाकया रीजनल कौंसिल का एक नया ख्याल है और लोगों को उसका कुछ पता नहीं, मुझे तो यह भी पता नहीं है कि खुद गवर्नमेंट को भी इसका पूरा पता है या नहीं कि उन्होंने क्या चीज बनाई है। मैं एक चीज जानता हूं। पंजाब में आज लोग कहते हैं कि वहां बड़ा अमन व अमान है, लेकिन अखबारों के पढ़ने से पता चलता है कि फिल वाकया पंजाब का एक हिस्सा ऐसा है जो कि रीजनल कौंसिल से खुश नहीं है। जहां तक अम्बाला डिवीजन का सवाल है, वहां के लोग आम तौर पर इससे खुश हैं, बगैर जाने बूझे हुए कि यह क्या चीज ह, सिर्फ उसके नाम से ही खुश हैं। हम लोग १०० बरस से इतने मजलूम हैं, जब से कि वहां पर सन् १८५७ की जंग में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करने के जुर्म में इस इलाके को सजा दी गई थी कि उसको पंजाब के साथ जोड़ दिया जाय वह सजा आज १०० बरस से ज्यों की त्यों चली आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम सोचते थे कि स्वराज्य आयेगा और हमारी तकलीफ दूर हो जायेंगी। मगर वह ख्याल हमारा दुरुस्त साबित नहीं हुआ। हम आठ बरसों से देख रहे हैं कि वहां पर वही पुराना इन्तजाम, पुरानी शकल, वही सजा हमको दी गई थी, आज तक कायम है। मैंने पिछली दफा हाउस में फिगर्स (आंकड़े) दिये थे और आगे चल कर मैं आपकी इजाजत से हाउस की एजुकेशन के वास्ते उन फिगर्स (आंकड़े) को दोहराउंगा, सिर्फ यह दिखाने के लिये कि वहां पर आखिर ट्रबल (कठिनाई) क्या है। लेकिन वक्त कम है। फिर भी यह बात मैं निहायत अदब से अर्ज कर सकता हूं कि बावजूद इस इल्म के कि हमारे लीडरान ने हर एक शख्स को पूरा मौका दिया कि वह उन तक ऐप्रोच (पहुंच) करे, जिस तरीके से पंजाब का फार्मूला तय किया गया उसके अन्दर कुछ लोगों को शिकायत बाकी रह गई। जिस वक्त वहां के लोग यहां पर आते थे और उनसे, जिनके कि हाथ में पंजाब की किस्मत है, पूछते थे कि क्या फैसला हुआ, क्या टर्म्स (शर्तें) सैटल (फैसला) हुई तो उनको कोई भी चीज नहीं बताई जाती थी। यहां तक कि जब इस हाउस में इस बारे में तकाजा हुआ तो उस वक्त मैंने होम मिनिस्टर (गृह मंत्री) साहब से पूछा कि खुदा के लिये हमें बताइये कि क्या फैसला हुआ है उस वक्त उन्होंने एक कागज हमारे सामने रखा। मुझे यह शिकायत नहीं है कि आपने क्या फैसला किया। इसके बारे में मैं आगे चल कर अर्ज करूंगा। मुझे शिकायत यह है कि आपने क्लोज्ड सीक्रिट (अत्यन्त गुप्त) रखकर इसका फैसला किया जिसका कि इल्म हमको नहीं होने दिया। क्या किसी को मिला है और क्या नहीं मिला है इसको तो अभी तक जाने दीजिये। लेकिन यह जो तरीका आपने अख्तियार किया यह गलत था और इससे साइकोलोजिकल फ्रस्ट्रेशन (मनोवैज्ञानिक निराशा) लोगों में फैला और साइकोलोजिकल डिफिकलटीज (मनोवैज्ञानिक कठिनाइयां) उठीं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज पंजाब में अगर इस रिजनल फार्मूले (प्रादेशिक सूत्र) को लोग समझ जाते तो शायद इतनी दिक्कत पैदा न होती जितनी कि आपके इस चीज को दबाये रखने और किसी को भी इसका पता न होने देने की वजह से पैदा हुये है। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि इन टर्म्स को मालूम करने के लिए एक शख्स को भूख हड़ताल करनी पड़ी और तब जाकर बताया गया कि यह फार्मूला क्या है।

स्टेटस रिआर्गेनाइजेशन बिल (राज्य पुनर्गठन विधेयक) में इस रिजनल फार्मूले का कतई भी कहीं जिक्र नहीं है। मैंने सारी रिपोर्ट (प्रतिवेदन) पढ़ी है लेकिन मुझे इस रिजनल फार्मूले का कहीं जिक्र नहीं मिला है। इसके बाद मैंने कॉंस्टीट्यूशन (संविधान) नवां एमेंडमेंट (संशोधन) बिल पढ़ा और उसकी दफा २२ में या किसी और दफा में मुझे इसकी तफसील का जिक्र तक नहीं मिला। इस बिल के आखिर में जाकर इसके एपेंडिक्स 'ए' (परिशिष्ट क) में यह लिखा हुआ है।

"पंजाब राज्य में प्रादेशिक योजना की रूप रेखा" अब आप ही बताइये कि किसी दफा पर अगर मैं कोई एमेंडमेंट भेजना चाहता हूं तो उस अमेंडमेंट को कैसे भेजूं और किस तरह से अगर मैं चाहूं कि कोई एमेंडमेंट इस फार्मूले में हो तो उसको मैं कराऊं। आपने जो एपेंडिक्स

(परिशिष्ट) लिख दिया और उसमें आउटलाइन लिख दिया, इस एपेंडक्स और इस आउट लाइन (रूपरेखा) पर कोई एमेंडमेंट नहीं हो सकती । अब मैं अगर चाहूं कि कोई एमेंडमेंट हो तो वह मंजूर नहीं हो सकती । मैं तो यही समझता हूं कि आप यह चाहते हैं कि पंजाब के बारे में कोई एमेंडमेंट न पेश हो सके और महज एक एग्जेक्टिव आर्डर (कार्यपालिका के आदेश) के जरिये ही यह सारा काम हो जाये । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एक बार माइनोरिटी कमेटी (अल्प-संख्यक समिति) की एक मीटिंग हो रही थी और उसमें सरदार पटेल ने कहा था कि हमने यह फैसला कर लिया है और आप इस पर कोई नुक्ताचीनी (आलोचना) न करो । अगर आप चाहते हैं कि हम कोई नुक्ताचीनी न करें तो आप भी हमें बता दीजिये कि यह फैसला जो हमने कर लिया है और आप इस पर कोई नुक्ताचीनी न कीजिये । इस चीज को मैं ज्यादा पसन्द करूंगा बजाय इस इनडायरेक्ट तरीके के । मैं चाहता हूं कि पंजाब के अन्दर कोई भी तबका ऐसा न हो जिसको कोई दुःख हो या गवर्नमेंट के खिलाफ कोई शिकायत हो । मैं खुश हूं कि आपने जो फैसला किया उसमे हमारे सिख भाई खुश हैं और उन्होंने उसको पसन्द किया है और अपने फैसले पर वे कायम हैं । जिस तरह से भी पंजाब का झगड़ा खत्म होता है उसमें मैं खुश हूं । मैं इसकी परवा नहीं करता कि कौन सी माइनारिटी (अल्प संख्यक) ज्यादा हो जाती है या कौन सी कम होती है । मैं जानता हूं कि पंजाब में कहीं पर हिन्दू माइनौरिटी में हैं और कहीं पर मैजोरिटी में और कहीं पर सिख मैजोरिटी में हो गये हैं और कहीं पर माइनौरिटी में इसकी मुझे कोई परवा नहीं है । यह चीज मुझे खटकती नहीं है कि क्यों कोई मैजोरिटी में हो गया है और क्यों कोई माइनौरिटी में हो गया है । जो मैं चाहता हूं वह यह है कि पंजाब के लोग सुख और शांति से रहें, मिल-जुल कर रहें, भाई-भाई की तरह से रहें । कोई भी एग्रीमेंट (करार) जो इस चीज को लाने में मदद देता है उसका मैं स्वागत करता हूं और उसको पसन्द करता हूं । लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि इन्सान के जो फंडेमेंटल राइट्स (मूलभूत अधिकार) हैं या इंडिवेजुअल राइट्स (व्यक्तिगत अधिकार) हैं उन पर किसी तरह से भी आपके फैसले से चोट नहीं लगनी चाहिये । तो मैं यह कह रहा था कि मेरी शिकायत यह है कि जो तरीका फैसला करने का अख्तियार किया गया और जिस तरह से इसको पुट (प्रस्तुत) किया गया था और जिस तरह से आउटलाइन (रूपरेखा) को एक एग्जेक्टिव इंस्ट्रक्शन (कार्यपालिका अनुदेश) बना दिया गया उस पर मुझे सख्त एतराज है । आपने हमें इस काबिल भी नहीं रखा कि हम इसको क्रिटिसाइज (आलोचना) कर सकें । मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह तरीका ठीक नहीं है । अगर आप डेमोक्रेटिक तरीका बरतना चाहते हैं और मुझे आप इजाजत देते हैं कि मैं अगर चाहूं तो कोई तरमीन पेश करूं और उसके माने जाने के लिए आग्रह करूं तो आप मुझे पूरा मौका उस तरमीन को पेश करने का दीजिये । लेकिन इस वक्त आप दिखाना चाहते हैं कि इजाजत दी गई और आप यह भी चाहते हैं कि मैं इससे फायदा न उठाऊं ।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो रिजनल फार्मूला आपने बनाया है क्या यह हम लोगों को तसल्ली दे सकता है ? मैं इस झगड़े में नहीं पड़ूंगा कि आया यह फार्मूला जो कि पंजाब को दो हिस्सों में तकसीम करता है यह वाजिब है या नहीं । मैं जिस झगड़े में पड़ना चाहता हूं वह यह है कि आपने रिजनल फार्मूले तीन जगहों पर बनाये । एक तो आपने आंध्र तैलंगाना में इसे बनाया । एक इसे महाराष्ट्र में बनाया और तीसरे पंजाब में । तेलंगाना और आंध्र के बारे में तो यह हुआ है कि वहां के लीडर आपस में मिले हैं और उन्होंने एग्रीमेंट (सहमत होना) कर लिया है और उस एग्रीमेंट के मुताबिक काम होगा जिसमें सर्विसेस वगैरा के बटवारे का जिक्र है । मैं इससे बढ़कर कोई अच्छी चीज नहीं देखता । अगर कहीं के लोग मिल-जुल कर कोई फैसला कर लेते हैं तो इससे बढ़कर कोई और स्वागत योग्य चीज नहीं हो सकती है । मैं उनको इसके लिये मुबारिकबाद देता हूं और साथ ही साथ आपको भी कि आपने उनको फैसला करने में मदद दी । जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है उसको आपने तीन टुकड़ों में तकसीम किया है । पहले तो आपने यह कहा है कि विकास प्रयोजनों के लिए धन का समान बटवारा होगा, दूसरे वोकेशनल ट्रेनिंग (व्यवसायिक प्रशिक्षण) का जिक्र किया है, और तीसरे आपने टैक्निकनकल ट्रेनिंग का जिक्र किया है । इन तीनों बातों के आधार पर आपने उनका फैसला कर दिया है । और साथ की सर्विसेस के बारे में जिक्र

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

किया है। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि इस बैकवर्ड इलाके के लिये जिसको मैं ही बकवर्ड नहीं कहता हूं बल्कि सारा पंजाब बैकवर्ड (पिछड़ा हुआ) कहता है और हर राइटफुल थिंकिंग (ठीक विचार करने वाला) आदमी मानने को तैयार है, आपने क्या किया है। पिछली बार हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने जब तकरीर की तो उस तकरीर के दौरान उन्होंने यह कहा कि अम्बाला डिवीजन के साथ, यानी हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। सर्विसिस (संखाएं) में, इंडस्ट्री (उद्योग) के लिहाज से, कम्युनिकेशंस (संचार) की दृष्टि से, इरीगेशन (सिंचाई) की दृष्टि से और हर तरह से हमारा इलाका जो है वह पसमांदा (पददलित) है। इस चीज को उन्होंने तसलीम किया। मेरे पास फीगर्स मौजूद हैं जिनको कि मैं आगे चलकर आपको पढ़कर सुनाऊंगा जो कि आपके लिए एक आई ओपनर (आंख खोलने वाली) सिद्ध होंगी। मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूं कि आपने इन शिकायतों को दूर करने के लिये क्या चीज इस बिल में रखी है? अब आपका जो बिल है इस से अम्बाला डिवीजन सही मानों में एक लिंग्विस्टिक माइनौरिटी (अल्प संख्यक भाषा भाषी) बन जाती है क्योंकि जालन्धर और अम्बाला के बीच में हिंदी बोलने वालों की तादाद दूसरों की निसबत आधी से कम है और वह शायद ६० या ७० लाख होगी। पिछले सौ सालों से इनके साथ बेइन्साफी होती आई है, और पिछले आठ सालों से, जब से कि भारत आजाद हुआ है, आपकी गवर्नमेंट ने उनके प्रति अपना रुख अपना रखा है जैसा कि एक कौनकरर (विजेता) एक कानकर्ड (विजित) के साथ अपनाता है। ऐसी सूरत में मैं प्रार्थना करता हूं कि यह सवाल बहुत अहम है और इसकी तरफ ध्यान दिया जाय। यही सवाल हमारे फ्रंक एन्थनी साहब ने उठाया है और मैं इसको बहुत ज्यादा महत्व देता हूं। आप, यह जो लिंग्विस्टिक माइनौरिटीज को सेफगार्डस (परित्राण) देने का मामला है, उसको लाइटली न लें। यह सबसे जरूरी सवाल है।

आज हमने बम्बई के बारे में तकरीरें सुनीं। सारे देश के बारे में भी लोगों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। चार करोड़ आदमी जो लिंग्विस्टिक माइनौरिटी में है, मल्टी-लिंग्विल स्टेट्स 'बहुभाषा भाषी राज्य' में ही नहीं है, बाई-लिंग्विल स्टेट्स में भी हैं और यूनीलिंग्विल स्टेट्स में भी वे हो सकते हैं, उनके बारे में आपने क्या सोचा है? मैं अदब से अर्ज करता हूं कि आप चाहे बम्बई का फैसला कर दें, सारे हिन्दुस्तान का फैसला कर दें, लेकिन जब तक आप लिंग्विस्टिक माइनौरिटीज का जो सवाल है उसको हल नहीं करते तब तक जो आप वैलफेयर स्टेट (कल्याण-कारी राज्य) लाना चाहते हैं और जिस चीज का नक्शा हमारे सामने अशोक मेहता साहब ने खींचा है, उसको ला नहीं सकेंगे। इसको लाने का तरीका क्या है? किस तरह से वह चीज आ सकती है? पेशतर इसके कि मैं इस चीज पर आऊं, पहले मैं आपके सामने, आपकी इजाजत से अम्बाला डिविजन के बारे में मेरे पास जो फिगर्स (आंकड़े) हैं, उनको रखना चाहता हूं। पहले यह बैकवर्ड एरिया (पिछड़ा हुआ क्षेत्र) हुआ करता था और अब यह लिंग्विस्टिक माइनौरिटी होगा। इस चीज के बारे में आप किसी से भी पूछ सकते हैं, लेकिन कोई दो ओपिनियंस (राय) नहीं हो सकतीं। हर एक आपको यही कहेगा कि यह जो हालत है यह दूर होनी चाहिये। अब मैं जो फिगर्स हैं उनको आपके सामने पेश करता हूं। पंजाब के सैंटर में दो मिनिस्टर हैं और दोनों ही जालंधर डिवीजन के हैं। पंजाब में आठ मिनिस्टर हैं जिनमें से सात जालंधर डिविजन के हैं और एक अम्बाला डिविजन का। पंजाब असैम्बली के स्पीकर (अध्यक्ष) और काउंसिल (परिषद) के चेयरमैन (सभापति) दोनों के दोनों जालंधर डिविजन के हैं। पंजाब हाई कोर्ट के सात जज हैं और सातों के सातों जालंधर डिविजन के हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमिशन (पंजाब लोक सेवा आयोग) के तीन मेम्बर हैं, और तीनों ही जालंधर डिविजन के हैं। पंजाब स्वाडिनेट सर्विसिस सिलैकशन बोर्ड (आधीन सेवा चुनाव बोर्ड) के तीन मैम्बर हैं और तीनों ही जालंधर डिविजन के हैं। जो वहां का चीफ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी (मुख्य संसदीय सचिव) है, वह भी जालंधर डिविजन का है। काउंसिल आफ स्टेट (राज्य परिषद) में पंजाब के आठ मेम्बर हैं और आठों के आठों जालन्धर डिविजन के हैं। इसके आगे और देखिये। पंजाब लैजिस्लेटिव कौंसिल (विधान परिषद) में गवर्नर (राज्यपाल) और असेम्बली (विधान सभा) द्वारा नामिनेटेड (नाम निर्दिष्ट) १८ मेम्बर्स में से सिर्फ २ अम्बाला के हैं। लोक-सभा की ६ सीटों में से सिर्फ ३ हरयाना प्रान्त को दी गई हैं।

कमेटी मेम्बर्स सिलेक्टिड बाई दि विधान सभा की तादाद १६ है और उनमें से सिर्फ ४ अम्बाला के हैं। आफिशियल कमेटीज (सरकारी समितियां) में गवर्नमेंट के द्वारा नामिनेटिड २ मेम्बर हैं और उनमें से कोई भी हरयाना का नहीं है।

अब जरा सर्विसिज़ की हालत देखिये। आई० सी० एस० (भारतीय असैनिक सेवा) और आई० ए० एस० (भारतीय प्रशासन सेवा) के २४ मेम्बर्ज में से हरयाना का कोई भी नहीं है। सेक्रेटरीज (सचिव) डिप्टी सेक्रेटरीज (उपसचिव) अंडर सेक्रेटरीज (अवर सचिव) और असिस्टेंट सेक्रेटरीज (सह सचिव) की तादाद १५ है, लेकिन उनमें से कोई भी हरयाना का नहीं है। २० हैड्ज आफ दि डिपार्टमेंट्स (विभागों के प्रमुख पदाधिकारियों) में से सिर्फ २ हरयाना के हैं। १३ डिप्टी कमिश्नर्स (उप आयुक्त) में से अम्बाला का कोई भी नहीं है। सुपरिटेंडेंट्स आफ पुलिस (पुलिस अधीक्षक) की तादाद २० है, लेकिन उनमें से अम्बाला का कोई भी नहीं है। गजेटि आफिसर्ज की तादाद ३४८ है और उनमें से सिर्फ ४० अम्बाला के हैं।

अभी मैंने सर्विसिज़ (सेवा) और लेजिस्लेचर्स (विधान मंडल) और पार्लियामेंट (संसद) में अम्बाला के रिप्रेजेन्टेशन (प्रतिनिधित्व) का ज़िक्र किया है। अगर मैं एग्रिकल्चर (कृषि) और इरिगेशन (सिंचाई) का ज़िक्र करूंगा, तो आप हैरान रह जायेंगे। भाखरा डैम (बांध) प्राजेक्ट (परियोजना) से पहले सारे पंजाब में ४२ लाख एकड़ जमीन सैलाब होती थी, जिसमें से अम्बाला की सिर्फ ८ लाख एकड़ जमीन सैलाब (सिंचाई) होती थी। भाखरा डैम प्राजेक्ट से हम लोग बहुत खुश हैं और इसके लिये पंजाब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट आफ इंडिया के मशकूर हैं। इस प्राजेक्ट (परियोजना) से उन्होंने हमारे इलाके को पर्मानेंट कहत (स्थायी दुर्भिक्ष) से बचा लिया है। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि भाखरा डैम प्राजेक्ट के बाद हरयाना को २९ लाख एकड़ जमीन को इरिगेट करने के लिए पानी मिलेगा, जब कि जालंधर को तेरह लाख एकड़ जमीन इरिगेट करने के लिए पानी मिलेगा। जालंधर को जितना भी पानी मिले, उससे मुझे खुशी ही होगी, क्योंकि जालंधर आखिर हमारे प्रदेश का एक हिस्सा है। मेरी शिकायत सिर्फ यह है कि एक कुनबे में एक छोटे भाई की भी कुछ तो हैसियत होती है। उसे इस तरह शोषित करना दुरुस्त नहीं है। पिछली दफा मैंने कहा था कि हम सिखों और जालंधर के हिन्दुओं को चाचा और ताऊ मानते हैं। उसके बाद हमारी पोजीशन बढ़ कर इस फार्मूले से छोटे भाई की हो गई है। चूंकि हमारे इलाके को पानी कम मिलता है, इसलिये हमारी पैदावार पंजाब की पैदावार के एक तिहाई से भी कम है, हालांकि आधी से ज्यादा जमीन हम काश्त करते हैं। हमको पानी उस मिकदार में नहीं मिलता है, जिस मिकदार में जालंधर को मिलता है। यानी पानी में भी तमीज है (भेदभाव) है। आपके यहां फैक्टरी मजदूर २८५ रुपया कमा लेता है, लेकिन हमारे यहां लैंड लेबरर को १०४ रुपया मिलता है। जालंधर के मुकाबले में हमारा स्टैन्डर्ड आफ लिविंग (जीवन स्तर) आधा भी नहीं है। हमारे लोगों की ताकत, जिस्म, खाने-पीने की चीजें देखिए, हम सबमें बहुत पीछे हैं।

अब जरा इंडस्ट्रीज (उद्योग) को भी देखिये। सारे पंजाब में इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन हमारे इलाके में कोई इंडस्ट्री नहीं है। हां, जगाधरी में, जो कि यू० पी० के एक किनारे पर है, इंडस्ट्रीज का जाल बिछा हुआ है। उसको छोड़ कर हमारा इलाका इंडस्ट्रीज से भी वंचित है।

यही हाल एजूकेशन (शिक्षा) का है। पंजाब में ४५०० प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं, जिनमें से हमारे यहां सिर्फ १४०० हैं। हाईस्कूलों की तादाद ५०० है, लेकिन हमारे इलाके में सिर्फ १७० हैं। पंजाब के ४२ कालिजों में से सिर्फ १६ अम्बाला में हैं। हमको गवर्नमेंट की जो ग्रान्ट मिलती है, वह भी बीस फी सदी से ज्यादा नहीं है।

मेडिकल फैसिलिटीज के मामले में भी हमारे साथ यही सलूक किया जा रहा है। जो कमजोर है, उसकी तो ज्यादा मदद की जानी चाहिए, लेकिन हालत यह है कि कुल ७००० बैड्ज (बीमारों के लिये जगहें) में सिर्फ २३०० हमारे यहां हैं।

पंजाब में १४३ माडल विलेजिज (आदर्श गांव) हैं, जिनमें से हरयाना प्रान्त को पांच फी सदी से भी कम मिले हैं।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

हमारे यहां २६५० विलेज हैं, जिनमें पीने के पानी की तकलीफ है। हमारे इलाके में पानी की सख्त कमी है। लोग दस-दस मील से पीने के लिए पानी लेने जाते हैं। वे सुबह से शाम तक पानी ढोते रहते हैं। पानी की कमी को दूर करने के लिये हम को छः लाख रुपया दिया गया जब कि इसके मुकाबले में जालंधर के ९० विलेजिज के लिये १७ लाख रुपया दिया गया। संचार के बारे में हालत नागुफता बेह (अवर्णनीय) है——ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं।

अभी तक मैंने यह जाहिर करने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या सलूक खा रखा है। अब मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने हमारे साथ क्या सलूक किया है। कांग्रेस हाई कमान्ड में पंजाब का सिर्फ एक ही आदमी है और वह जालंधर का है——हरयाना का कोई नहीं है। ए० आई० सी० सी० (अखिल भारतीय कांग्रेस समिति) के १६ डेलीगेट्स में से हमारे यहां के सिर्फ ४ डेलीगेट (प्रतिनिधि) हैं।

†**श्री कृ० चं० शर्मा**: इस सभा का कांग्रेस संगठन पर नियंत्रण नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अगर इस बात को रहने ही दें, तो अच्छा है। कांग्रेस ने हरयाना के साथ क्या सलूक किया, इस बारे में यह हाउस क्या करेगा ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब, यहां पर इस बारे में शिकायत की गई है कि प्राइम मिनिस्टर ने बम्बई में ए० आई० सी० सी० की मीटिंग में क्या कहा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेन्ट का कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं है। यह बात कहने की जरूरत इसलिये है कि कांग्रेस ही यहां की मैजारिटी पार्टी है——रूलिंग (शासक) पार्टी (दल) है। उसका ही यहां पर रूल है। मैं बताना चाहता हूं कि उस ने हमारे इलाके के साथ कैसा सलूक किया है। फिर भी मैं आपके हुक्म की तामील करके आगे नहीं पढ़ूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी तो उसी पार्टी में हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : न सिर्फ मैं पार्टी में हूं, मैं गवर्नमेंट का भी उतना ही हिस्सा हूं जितना कि दूसरे हैं। जो कुछ हो रहा है, उसके लिये जितने आप जिम्मेदार हैं, उतना ही मैं भी जिम्मेदार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं सारा ही जिम्मेदार हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : दोनों ही जिम्मेदार हैं।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे जालंधर के लोग भी उतने ही प्यारे हैं, जितने कि अपने इलाके के। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है और न ही मुझे यह शिकायत है कि उनके साथ अच्छा सलूक क्यों हो रहा है। यहां सवाल तो सिर्फ इन्साफ का है।

यहां पर लिंग्विस्टिक माइनारिटीज का जिक्र किया गया है। यह सारे हिन्दुस्तान का सवाल है। आप उसको कैसे हल करना चाहते हैं ? श्री फ्रैंक एन्थनी का मिनट आफ डिसेन्ट (विरोधी टिप्पण) मैंने पढ़ा है। मुझे मालूम है कि कांस्टीट्यूशन (संविधान) में क्या कमी है, एस० आर० सी० (राज्य पुनर्गठन आयोग) रिपोर्ट (प्रतिवेदन) में पैराग्राफ ८३५ से लेकर पैराग्राफ ८४१ तक का हैडिंग है——रीजनल ग्रीवेन्सेज (प्रादेशिक शिकायतें) और इसमें कई तजवीजें दी गई हैं। कहा गया है कि स्पेशल डेवेलपमेंट बोर्ड (विशेष विकास बोर्ड) बनाये जायें और बोर्ड टु लुक इन्टु इकनामिक ग्रीवेन्सेज (आर्थिक शिकायतें देखने के लिए) बनाये जांय, लेकिन मैं देखता हूं कि इस बिल में उनका कोई जिक्र नहीं है। इसमें कुछ भी बनाने का प्राविजन (उपबन्ध) नहीं है। मैं

---

†मूल अंग्रेजी में।

यह जानना चाहता हूं कि लिंग्विस्टिक माइनारिटीज को क्या सेफगार्ड्ज (परित्राण) दिये गये हैं। मैं तो यह महसूस करता हूं कि इस किस्म की ग्रीवेन्सेज को दूसरा कोई नहीं जान सकता है सिवाय उसके जो हेरो के नीचे हैं जिनको वे पिंच करती हैं, वही जानते हैं।

जाके पैर न फटे बिवाई
सो क्या जाने पीर पराई

मैं जानता हूं कि लिंग्विस्टिक माइनारिटीज के साथ किस किस्म का सलूक हुआ है। इस सिलसिले में क्या किया जाना चाहिए, यह तो कमीशन से ज्यादा अच्छी तरह मैं बता सकता हूं। कांस्टीच्यूशन में दफा २९ में माइनारिटीज को अपनी अपनी लैंगुएज (भाषा) स्क्रिप्ट (लिपि) और कल्चर (संस्कृति) को कन्जर्व (सुरक्षित) करने का राइट (अधिकार) दिया गया है। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमिटमेंट (वचन बद्धता) नहीं है कि हम उनके लिये कुछ करेंगे। अंग्रेजी और उर्दू वाले जब यह डिमांड करते हैं कि उनको इस बात का भी हक दिया जाय कि वे अपने प्रदेशों में अपनी जबानों में इम्तिहान ले सकें, तो मेरे ख्याल में उनकी यह डिमांड बिल्कुल वजा और जायज है। लेकिन मैं यह भी अर्ज कर दूं कि कोई लैंगुएज सिर्फ स्कूल खोलने से कनजर्व नहीं हो सकती है। उसको गवर्नमेंट की इमदाद की भी जरूरत है। दफा ३४७ में प्रैजिडेंट (राष्ट्रपति) को यह अख्तियार दिया गया है कि वह किसी भी स्टेट में किसी लैंगुएज के रेकगनीशन (मान्यता) के बारे में हुक्म दे सकता है, लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि रिजनल फार्मूले में तो स्क्रिप्ट (लिपि) का जिक्र है, जो कि बिल्कुल अनकांस्टीच्यशनल (अवैधानिक) है। मैंने पिछली दफा भी अर्ज किया था कि आप लैंगुएज का मामला तय कर सकते हैं। स्पोकन लैंगुएज (बोली) का, धारा के ये शब्द हैं कि लिखित भाषा के प्रतिकूल स्क्रिप्ट के बारे में न प्रैजिडेंट को, न गवर्नमेंट आफ इंडिया को और न लोकल गवर्नमेंट को अख्तियार है कि वह किसी कम्यूनिटी पर कोई स्क्रिप्ट ठूंस सके। मैं पंजाबी बोलने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि दफा १४ की रू से मेरठ और हिसार के आदमी में तफ़रीक नहीं की जा सकती है। मैं जानता हूं कि साउथ ने हिन्दी को पढ़ाना स्वीकार किया है। मुझे यह भी पता है कि अपर इंडिया को एक-एक दूसरी जबान सीखने के लिये हमारे लीडर कहते हैं, जिस को कि मैं खुशी से कबूल करता हूं। आपने पंजाबी रखी है इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे पंजाबी पढ़ें। हम पंजाब की हर एक चीज को प्रेम की निगाह से देखते हैं, हमें पंजाबी से कोई मुखालिफत नहीं है। लेकिन यह अलग चीज है कि मैं पंजाबी को पढ़ूं या गुरुमुखी को सीखूं। पंजाब में सिख लोग एक तरह से गुरुओं की मानोपली (एकाधिकार) बनाये हुए बैठे हैं, लेकिन पंजाब में हिन्दुओं के दिलों में गुरुओं का उतना ही मान है जितना कि सिखों के दिलों में। मैं गुरुमुखी का हेटर (घृणा करनेवाला) नहीं हूं। लेकिन अगर आप उसको मेरे ऊपर जबरदस्ती ठूंसना चाहेंगे तो मैं इसकी मुखालिफत करूंगा। आपको कांस्टीट्यूशन की दफा ३४७ के अनुसार ऐसा करने का अख्तियार नहीं है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि आपको यह नहीं करना चाहिए।

आप कहते हैं कि इकानामिक इनईक्वालिटी (आर्थिक असमानता) को दूर करने के लिए आप डोमीसिलियरी (अधिवास सम्बन्धी) रूल्स हटायेंगे। ये रूल्स अगर एक इलाके के लिए बन सकते हैं तो दूसरे इलाके के लिये भी बन सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसे रूल्स बनाये जायें जो कि कांस्टीट्यूशन के खिलाफ हों। मैं अर्ज करूगा कि रीजनल माइनारिटीज पर भी फंडामेंटल हक्क नाहक है।

आज आपका ३५० ए० बना हुआ है। उसके मुताबिक आप डाइरेक्टिव प्रिंसिपल (निदेशक तत्व) रखना चाहते हैं तो रखिये। लेकिन मैं जानता हूं कि उनको अमल में लाना कितना मुश्किल है। आप इसको डाइरेक्टिव प्रिंसिपल में रखिये। क्यों आप इसको फंडामेंटल आर्टिकिल्स में रखकर कांस्टीट्यूशन की बेहुर्मत (अपमान) कराना चाहते हैं। सन् १९४९ में जो आप ने पास किया था उस पर कितना अमल हुआ। यह बेसूद चीज है। जो चीज इंपारटेंट (महत्वपूर्ण) है वह यह है कि हर एक आदमी को, हर एक छोटे ग्रुप को, हर एक लिंग्विस्टिक माइनारिटी (अल्प

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

संख्यक भाषा भाषी) को बराबर के इकानामिक (आर्थिक) राइट (अधिकार) दिये जांय। यह न हो कि एक इलाके में कुछ लोग खुशहाल रहें और आप स्टेट के दूसरे हिस्से की परवाह न करें। मैंने महाराष्ट्र में यह देखा, रायलसीमा में यह देखा कि अगर एक राज्य में एक इलाके के लोग खुशहाल हों और दूसरे के बुरे हाल मे हों तो वहां झगड़ा हुए बगैर नहीं रह सकता। गवर्नमेंट कैसे दूसरे इलाकों को खुशहाल करेगी। गवर्नमेंट को ऐसा करने के लिए सबसे पहले यह चीज रखनी चाहिय कि दस बरस तक पिछड़े हुए इलाकों के लोगों को वेटेज मिलेगा और उनको दूसरों के बराबर लाने की कोशिश की जायेगी। जब तक लोग बराबर के दरजे में नहीं होंगे तब तक अनरेस्ट रहेगा। मैं अदब से अर्ज करूंगा कि आयन्दा के लिये फानेनशल ऐलोकेशन (वित्त वितरण) करने से यह बात दूर नहीं हो सकती। इसलिए जो मैंने कहा है वह सबसे पहले कीजिये और बाद को आयन्दा के लिये भी सेफगार्ड (परित्राण) कीजिये। मेरे इलाके में और पंजाब में लोग समझते हैं कि आपका फार्मूला बहुत अच्छा है। वे समझते हैं कि इसकी वजह से वे आयन्दा सारे एक्सप्लायटेशन (शोषण) से बच जायेंगे। जालंधर के इलाके वाले बहुत एडवान्स्ड (प्रगतिशील) हैं। वे हमसे सोशली (सामाजिक रूप से), एजूकेशनली (शिक्षा के सम्बन्ध में) और इकानामीकली (आर्थिक दृष्टि से) बहुत आगे हैं। पिछड़े इलाके वाले मामूली तौर से उनके बराबर नहीं आ सकते। जो लोग इस फार्मूले को अच्छा समझते हैं उनका ख्याल गलत है जब तक दोनों इलाकों को बराबरी पर नहीं लाया जाता। जो मैंने कहा है जब तक आप वह नहीं करेंगे तब तक स इलाके में सेटिसफेक्शन नहीं हो सकेगा।

हमारा जालंधर और अम्बाला वालों से कोई झगड़ा नहीं। जब तक आप इस इलाके के लिए अलहदा डेवलपमेंट बोर्ड नहीं बनाते, इसका डेवलपमेंट (आर्थिक विकास) नहीं करते, और यहां के लोगों का लेवेलिंग (स्तर) अप नहीं करते, तब तक जो कुछ आप देते हैं उससे पूरा फायदा नहीं हो सकता।

मैं आपकी इजाजत से एक चीज और अर्ज करना चाहता हूं। वह यह है कि इन सेफगार्डस् के अन्दर सेंटर अपनी कोई भी जिम्मेवारी महसूस नहीं करता। मैं जनाब की तवज्जह (ध्यान) कांस्टीट्यूशन की आर्टिकिल्स (अनुच्छेद) ३५५ और ३६५ की तरफ दिलाना चाहता हूं। आर्टिकिल ३६५ में लिखा है कि अगर सेंटर कोई डाइरेक्टिव (निदेश) दे और स्टेट गवर्नमेंट उस डाइरेक्टिव को न माने तो उसे अख्तियार है कि फौरन करार दे कि स्टेट गवर्नमेंट (राज्य सरकार) का एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) कांस्टीट्यूशन की प्रावीजन्स के मुताबिक नहीं चल रहा है और सेंटर उसी वक्त चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट के अख्तियार सल्ब कर सकता है और अपना रूल कर सकता है। तो मेरा कहना यह है कि इन दफात में इतनी ताकत सेंटर को दी हुई है कि वह स्टेट गवर्नमेंट्स को होश में ला सकता है।

आपने प्रावीजन किया है कि अगर लेजिस्लेचर और रीजनल काउंसिल में झगड़ा हो तो गवर्नर उसका फैसला करेगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन मेकिंग बाडी के सामने भी यह बात आयी थी कि गवर्नर को इलेक्टेड होना चाहिए, लेकिन इस चीज को नहीं रखा गया। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकतीं। अगर आप गवर्नर को यह अख्तियार देंगे तो उसकी मौजूदा कांस्टीट्यूशनल पोजीशन नहीं रह सकेगी और उसको आप एक्टिव पालिटिक्स (राजनैतिक कार्य) में ले आवेंगे और वह ठीक तरह से इन्तिजाम नहीं कर सकेगा। उस हालत में गवर्नर और स्टेट के चीफ मिनिस्टर एक दूसरे का गला पकड़ेंग और सारा मामला दरहम बरहम हो जायेगा। मिस्टर एंथनी ने जो तजवीज पेश की है कि एक कमीशन मुकर्रर किया जाये, उसकी रिकमेंडेशनों (सिफारिशों) पर पार्लियामेंट में बहस हो, और उनका इम्प्लीमेंटेशन (लागू) गवर्नर करे, यह सेफगार्ड आप दे सकते हैं और इससे फायदा होगा, और बाकी सेफगार्ड तो इल्ल्यूजरी (भ्रमपूर्ण) साबित होंगे। गवर्नर के डिसीशन (निर्णय) पर जो कि वहीं रहता है वह कानफिडेंस (विश्वास) नहीं होगा। अगर गवर्नर कमजोर हुआ

तो वह अपने मिनिस्टरों के खिलाफ माइनारिटीज को रिलीफ नहीं दिलवा सकेगा। अगर गवर्नर स्ट्रांग हुआ तो वह जरूर अपने मिनिस्टरों से लड़ेगा और नतीजा कनफ्यूजन (गड़बड़) होगा। इसलिये मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा प्रावीजन नहीं करते कि माइनारिटीज को पूरा पूरा रिलीफ मिल सके, तो आपको चाहिए कि आप इस स्टेट रिआर्गेनाइजेशन और कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल को बांध कर रख दें और वापस ले लें। अगर आप इनको पास करना चाहते हैं तो मुझे एक ही तजवीज नजर आती है जो कि मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी है।

†**श्री चि० चा० शाह** : इस बहुत ही जटिल और नाजुक समस्या पर संयुक्त समिति ने जिस शीघ्रता और सराहनीय ढंग से विचार किया है, उसके लिये मैं उसे बधाई देना चाहता हूं।

पुनर्गठन की इस समस्या पर अब हम चौथी बार चर्चा कर रहे हैं। अतः बातों व तर्कों की कुछ पुनरावृत्ति होना अनिवार्य है। गृह-कार्य मंत्री ने हमें बताया है कि संयुक्त समिति ने इस समस्या की बहुत ही सावधानीपूर्वक बड़ी गहरी जांच की है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि हो सकता है कि सभा सामूहिक-बुद्धिमत्ता से वर्तमान विधेयक में कहीं कहीं कोई परिवर्तन कर सके, परन्तु संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक में वस्तुतः अब परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे हर्ष है कि संयुक्त समिति ने महाराष्ट्र, गुजरात और बम्बई के लिए एक ही उच्च न्यायालय रखा है। मैं आशा करता हूं कि कम से कम यह महान संस्था तीनों प्रदेशों के बीच एक समन्वयकारी संस्था का काम करेगी।

इसके अतिरिक्त मेरे माननीय मित्र श्री फ्रैंक एन्थनी ने भाषा सम्बन्धी अल्प संख्यकों के संरक्षण के बारे में बहुत ही अच्छा प्रस्ताव रखा है। भाषा सम्बन्धी अल्प संख्यकों में जो डर उत्पन्न हो गया है, उसे दूर करने के लिए, मैं समझता हूं कि हम, कुछ उत्तम उपबन्ध अर्थात् संवैधानिक उपबन्ध कर सकते हैं; और करना भी चाहिये।

अब मैं बम्बई की समस्या पर आता हूं। यह वास्तव में एक कठिन और जटिल समस्या है। फिर भी, उस हल को समझने के लिए जो हमने किया है, इस समस्या के तथ्यों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। १९४८ में, जब कि कर आयोग नियुक्त किया जाने वाला था, उन राज्यों के प्रतिनिधियों ने जो भाषावार इकाइयां बनाना चाहते थे, डा० राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में एक सभा की और सबने सर्वसम्मति से एक सूत्र बनाया। वह सूत्र यह था कि कांग्रेस विधान के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन किया जाय। फिर, कर आयोग के नियुक्त हो जाने पर पहिली बार यह मांग रखी गई कि बम्बई महाराष्ट्र में रहे। कर आयोग, जे० वी० पी० समिति और राज्य पुनर्गठन आयोग इस बात से सहमत हैं कि बम्बई किसी भी परिस्थिति में एक भाषी राज्य में नहीं रह सकता। मेरे माननीय मित्र श्री अशोक मेहता भी इस बात से सहमत हैं कि बम्बई को केवल महाराष्ट्र का एक नगर नहीं बनाया जा सकता। फिर, यदि यह किसी एक भाषी राज्य में मिलाया जाता है, तो अनिवार्यतः यह केवल महाराष्ट्र का ही नगर बन सकता है। यही कारण है कि इसके एक भाषी राज्य में मिलाये जाने का विरोध किया जा रहा है। यह बात मैं केवल एक गुजराती के रूप में नहीं कह रहा हूं अपितु बम्बई नगर से वह लगाव होने के कारण कह रहा हूं जो मुझे उससे है क्योंकि मैं अपने जन्म से आज तक बम्बई में ही रहा हूं।

अमृतसर कांग्रेस सम्मेलन में आपने त्रिराज्यीय सूत्र के संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। लेकिन अब यह बड़े जोर से कहा जा रहा है कि यदि बम्बई महाराष्ट्र में नहीं मिलाया जायेगा तो यह एक भीषण आर्थिक तथा राजनैतिक गलती होगी। यहां तक कि राज्य पुनर्गठन आयोग का भी निष्कर्ष यह था कि बम्बई शहर के सम्बन्ध में विशेष प्रकार से विचार करना होगा।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार का आज का निर्णय कोई एकदम नहीं किया गया है। यह निर्णय कांग्रेस की भाषा सम्बन्धी नीति के अनुसार है साथ ही यह प्रत्येक आयोग और समिति के निष्कर्षों से भी संगत है। भूतपूर्व वित्त मंत्री ने आगे वक्तव्य में यह कहा था कि इस निर्णय के समर्थन में दिया गया एक भी तर्क वैध अथवा मान्य नहीं है। इससे यह ज्ञात होता है

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री चि० चा० शाह]

कि सारी समितियां आयोग सरकार और कांग्रेस जिन्होंने यह निर्णय किया, सब मर्ख थे। यह कहना नितांततः अनुचित ह. इससे ज्ञात होता है कि उसके समान बुद्धिवादी व्यक्ति भी भावावेश और पक्षपात का शिकार हो गया है। वित्त मंत्री ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति को बहुत तौल तौल कर बोलना चाहिये क्योंकि उनके शब्दों का बहुत प्रभाव होता है। श्री अशोक मेहता ने उनके शब्दों की आलोचना करते हुए कहा है कि जब उनसा भी ऐसा कह सकता है तो आपको उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिये। वस्तुतः जो व्यक्ति ऐसा कह सकता है तो उसमें महानता रही ही कहां है। श्री देशमुख ने कहा है कि सत्ताधारी बल महाराष्ट्र से शत्रुता रखता है उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जनता की नागरिक स्वतन्त्रताओं की रक्षा के अपने सिद्धान्तों के प्रति सच्चे नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह देश आपका है क्योंकि बम्बई में हुए गोली काण्ड की जांच नहीं की गई है वस्तुतः यदि कांग्रेस महाराष्ट्र से शत्रुता रखती है तो उसे एक दिन भी जीवित रहने का अधिकार नहीं है। जहां तक सिद्धान्तों के प्रति आस्था का सवाल है हमने जेल में नागरिक स्वतन्त्रता के सिद्धान्त तब सीखे थे जब वे ब्रिटिश सरकार की सेवा कर रहे थे। गोली कांड की जांच के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है। प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा कि घाव को अधिक समय बहते रहने देना ठीक नहीं है। श्री अशोक मेहता ने भी इस गोली कांड की जांच का विरोध किया है।

मैंने इस वक्तव्य का जिक्र इसलिये किया है कि इससे देश की बहुत हानि हुई है। श्री नि० च० चटर्जी व श्री म० शि० गुरुपादस्वामी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की है। अनेकानेक दृष्टि-कोण से इस वक्तव्य की देश तथा विदेशों में व्याख्या की गई है। परिणामस्वरूप देश को बहुत हानि पहुंची है।

उन्होंने कहा है कि प्रधान मंत्री महाराष्ट्र से विद्वेष रखते हैं। मेरे विचार से प्रधान मंत्री का कट्टर से कट्टर शत्रु भी ऐसी बात कहने का साहस नहीं कर सकता है। श्री अशोक मेहता और श्री गाडगिल ने इसका प्रतिवाद किया है और श्री नेहरू पर पूरी आस्था प्रगट की है।

जहां तक बम्बई का सम्बन्ध है मध्यस्थता हो सकती है। लेकिन श्री शंकर राव देव ने कहा है कि वे बम्बई के प्रश्न पर प्रधान मंत्री की भी मध्यस्थता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यदि आप मध्यस्थता नहीं चाहते तो एक और अन्य तरीका भी है। बम्बई के लोग प्रजातंत्रीय तथा राजनैतिक दृष्टि से काफी प्रगतिशील हैं इसलिये बम्बई के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय करने के पूर्व उनकी राय लेनी चाहिये। सरकार ने यह कहा है कि पांच वर्ष बाद बम्बई की जनता ही बम्बई के भविष्य का निर्णय करेगी। इससे अधिक और क्या किया जा सकता है। यह निर्णय कांग्रेस की नीति के अनुरूप है। लेकिन इतने पर भी दंगे फिसाद हुए हैं और लोगों को भड़काया गया है। कहा गया है कि तीन करोड़ लोगों में निराशा फैल जायेगी। अवश्य हमें उनके नैराश्य को दूर करना चाहिये, लेकिन क्या ऐसा उन्हें बम्बई और बेलगांव देकर ही हो सकता है?

अतः मेरा निवेदन है कि जो लोग मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते, बम्बई निवासियों का मत जानना स्वीकार नहीं करते उन्हें अन्याय के विरुद्ध शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री गाडगिल और भूतपूर्व वित्त मंत्री ने यह आरोप भी लगाया है कि प्रधान मंत्री ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में जो घोषणा की थी उससे संयुक्त समिति तथा इस सभा का मत बहुत प्रभावित हुआ है। मेरे विचार से यह आरोप अनुचित है। क्योंकि एक नेता के रूप में उन्हें सलाह देने और मार्ग प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है और यदि हम उनके अनुयायी हैं तो हमें उनकी बातें माननी चाहियें। और यदि वे सच्चे नेता हैं तो वे हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे न कि हमारी बातों को मानेंगे क्योंकि उन्हें हमसे अधिक दूरदर्शिता प्राप्त है वह व्यापक हितों को ध्यान में रखते हैं, सारे देश और विश्व पर उससे होने वाली प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते है। इसलिये मेरा विचार हैं कि प्रधान मंत्री की घोषणा नैतिक, राजनतिक और संवैधानिक सभी दृष्टियों से उचित है।

श्री देशमुख ने कहा है कि उनसे परामर्श नहीं किया गया है। मैं नहीं जानता कि उनसे परामर्श किया गया कि नहीं कि उनसे अधिक सक्षम महाराष्ट्रीय नेताओं से परामर्श किया गया। प्रधान मंत्री की यही दुर्बलता उनका सबसे बड़ा गुण है और इसीलिये वह विश्व में सबसे बड़े प्रजातांत्रिक हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यह सोचे कि उसके पद के कारण उससे अवश्य परामर्श लिया जाता था तो यह अपने को अधिक महत्वपूर्ण समझना है। वस्तुतः परामर्श के पश्चात् ही यह निर्णय हुआ था।

बम्बई को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिये जो तर्क रखे गये हैं उन सभी का सभा में उत्तर दिया जा चुका है। उनका मुख्य तर्क यह है कि भौगोलिक रूप से बम्बई महाराष्ट्र का अंग है। इस समय हम भाषावार राज्य बना रहे हैं अतः हमें भाषा सम्बन्धी तर्क को ही मान्यता देनी चाहिये। भौगोलिक एकता होने का सिद्धान्त इसलिये भी कोई मान्यता नहीं रखता क्योंकि मध्य प्रदेश का निर्माण भौगोलिक एकता के आधार पर नहीं हुआ है। कच्छ गुजरात में इसलिये शामिल नहीं है कि वह भौगोलिक रूप से गुजरात का अंग है। इसीलिये प्रधान मंत्री ने भी अन्तिम निश्चय ही किया था कि यद्यपि भौगोलिक रूप से बम्बई महाराष्ट्र का अंग है तथापि यह केन्द्र द्वारा प्रशासित राज्य रहेगा।

भौगोलिक एकता का सिद्धान्त भयावह है, यह संकीर्णता और विद्वेष को जन्म देता है जो देश की राष्ट्रीय एकता के मार्ग में रोड़ा है।

दूसरा तर्क आर्थिक है। वे कहते हैं जब तक महाराष्ट्र को बम्बई नहीं दिया जायेगा तब तक महाराष्ट्र राज्य घाटे का राज्य रहेगा। यदि ऐसा ही था तो उन्होंने पृथक राज्य की मांग ही क्यों की थी। गुजराती लोग तो तब भी संयुक्त राज्य के पक्ष में थे। अब वे कहते हैं कि हमें आर्थिक संसाधन चाहिये। गुजरात भी बम्बई के बिना घाटे का ही राज्य रहेगा लेकिन महाराष्ट्रीयन लोग बम्बई को केवल अपने ही लिये चाहते हैं, जब कि वह दोनों की ही संयुक्त सम्पत्ति है। महाराष्ट्रीयन लोग दूसरे सब लोगों को उन आर्थिक संसाधनों से वन्चित करना चाहते हैं जो सारे राष्ट्र की सम्पत्ति है।

यह कहना भी गलत है कि कुछ लोगों की गलती से बम्बई महाराष्ट्र को नहीं दिया जा रहा है। किन्तु यह बात गलत है। बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाने का निर्णय इन दंगो से पूर्व ही किया गया था और वस्तुतः इन दंगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बम्बई को पृथक रखने का निश्चय ही ठीक है।

स्वयं मेरे ५० प्रतिशत से अधिक कर्मचारी महाराष्ट्रीय लोग हैं और मेरे उनसे बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं लेकिन अब वहां भी घृणा और विद्वेष का वातावरण पैदा किया जा रहा है। और हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री के भाषण से तो घृणा को और भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे महाराष्ट्रीयनों और जनता में उत्तेजना फैलेगी अतः हमें कुछ धैर्य रखना चाहिये।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ५०००० व्यक्ति की जीविका बम्बई पर ही निर्भर है। बम्बई में रहने वाले ९५ प्रतिशत गुजराती निम्न-माध्यम प्रकार के लोग हैं और उनकी अवस्था बहुत दयनीय है। महाराष्ट्रीय लोग भी बम्बई पर निर्भर रहते हैं, तब यह कहना कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की मांग पूरी करनी चाहिए अन्यथा मैं संघर्ष करूंगा, अनुचित है। अतः अब महाराष्ट्रीय लोगों को धैर्य रखना चाहिये। प्रधान मंत्री ने तो यहां तक कहा है कि इस प्रश्न पर पुनः विचार किया जायेगा। ऐसा कह कर उन्होंने वस्तुतः अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न कर दी है।

अतः मेरा निवेदन है कि वर्तमान उत्तेजित वातावरण को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्रीय नेता जनता को सरकार तथा कांग्रेस का निर्णय स्वीकार करने को कहे। हम सभी इस समस्या में उलझे हुए हैं उसका सर्वोत्तम हल यह विधेयक ही है।

†**कुमारी एनी मैस्करीन** (त्रिवेंद्रम) : राज्य पुनर्गठन का विचार वस्तुतः उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं संसार तथा राजनैतिक विचार धाराओं का ढालना। वस्तुतः यह जनता की प्रबल भावनाओं का ही स्वरूप है तथा प्रशासन एवं स्थितियों की आवश्यकता के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। मैंने स्वयं १९४६ में त्रावनकोर कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से मंत्रिमडल के प्रतिनिधियों और प्रधान मंत्री श्री एटली को एक ज्ञापन भेंट किया था। तब से यह विचार चलता रहा और जनता उसके लिये संघर्ष करती रही यह प्रतिवेदन जनता की इच्छाओं के फलस्वरूप ही बना है। भाषावाद की भावना तामिलनाड कांग्रेस के क्षेत्र में भी धकेली गई। यदि आप दक्षिण से ऊपर की ओर भाषावार राज्य बनाना चाहें तो सबसे पहिले मेरा निर्वाचन क्षेत्र आयेगा। उस क्षेत्र का कुछ भाग मद्रास में मिलाया जा रहा है। वैसे यह योजना उपयुक्त है। इस सम्बन्ध में सत्ताधारी पक्ष ने सबको सन्तोष देने का भरसक प्रयत्न किया है और वस्तुतः यहीं उन्होंने गलती की हैं। क्योंकि किसी भी योजना से ३७ करोड़ व्यक्तियों को सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता है। लोकतन्त्र का यह अर्थ नहीं है कि आप अपने सिद्धान्त या व्यक्तित्व को भूल जायें बल्कि लोकतन्त्र का अर्थ यह है कि नेतृत्व के प्रति उचित सम्मान और नेतृत्व की ओर से जनता की इच्छा के प्रति उचित सम्मान। जब तक ये दोनों बातें न हों लोकतन्त्र नहीं हो सकता है।

जहां तक भाषा सम्बन्धी विभाजन का सम्बन्ध है इस योजना ने कई राज्यों के साथ न्याय किया है परन्तु बम्बई के साथ अन्याय हुआ है। मेरा निजी अनुभव यह है कि सभी अच्छी रचनात्मक, राजनीतिक योजनाओं का बम्बई में स्वागत हुआ है, वित्त पोषण हुआ है और सहायता की गई है इसलिये यह राजनीतिक ढांचे की आत्मा है। ब्रिटिश सरकार ने भी कभी इसे अपने प्रशासन के अधीन लेने और इसे अलग करने की बात नहीं सोची थी।

विरोधी पक्ष के एक वक्ता ने कोलाबा के सदस्य के सम्बन्ध में कहा था कि उन्होंने अपनी शिकायत प्रकट करते समय अशिष्टता का परिचय दिया है। यदि किसी की भावनाओं को आप ठेस पहुचायेंगे तो वह व्यक्ति चुप कैसे रहेगा।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि बम्बई के केन्द्रीय प्रशासन के सम्बन्ध में संसद के समक्ष विधेयक में जो उपबन्ध किया गया है वह सरकार के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है और कांग्रेस ने उसे स्वीकार किया है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि फिर विरोधी पक्ष के कांग्रेसी सदस्य उसका विरोध क्यों करते हैं। इससे यह मालूम होता है कि वे इससे सहमत नहीं हैं। यदि वह सरकार का दृष्टिकोण था तो कोलाबा के सदस्य ने उसकी आलोचना क्यों की थी।

जहां तक भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यक वर्ग का सम्बन्ध है सरकार को नई योजना के अधीन बनाये जाने वाले राज्यों में भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों की स्थिति पर विचार करना चाहिए। इस योजना से तामिलनाड में मलयालियों की अल्प संख्या २० प्रतिशत हो जायेगी। आयोग ने यह स्वीकार किया है कि ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा और सरकारी संरक्षण आदि के लिये सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये। परन्तु संविधान में किसी एक भाषी राज्य में ३० प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उपबन्ध है। यहां वे २० प्रतिशत हैं। इसलिये उनके बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध करना अत्यन्त आवश्यक है। ऐसा उपबन्ध सभी राज्यों में आवश्यक होगा। मुझे आशा है कि जब संपूर्ण योजना को लागू किया जायेगा, या उससे पहले, सभी राज्यों के अल्पसंख्यक वर्गों को नये राजनीतिक वातावरण में शिकायत करने का कोई अवसर नहीं दिया जायेगा।

नई योजना से उच्च न्यायालयों के स्थानों के निर्धारण पर भी प्रभाव होगा। न्याय-पालिका मुकदमा करने वाली जनता की सुविधा के लिये होती है, न्यायाधीशों या अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए नहीं होती है। उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है परन्तु एक न्यायालय त्रावनकोर में भी है ताकि मुकदमा करने वालों को एर्नाकुलम न जाना पड़े। मुझे न्यायाधीशों और अधि-वक्ताओं से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि प्रत्येक राज्य में न्यायपालिका का केन्द्रीयकरण आवश्यक है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मुकदमा करने वाले गरीब लोग होते हैं, वे कई कई दिनों तक उच्च न्यायालय में जाकर प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि अधिक खर्च किये बिना न्याय करना है तो यह आवश्यक है कि प्रत्येक जिले में शाखा न्यायालय स्थापित किये जायें।

केरल के सम्बन्ध में नई योजना अधिक अच्छी नहीं है क्योंकि इससे केरल को हानि ही होगी। हम तामिल तालुकों को छोड़ रहे हैं जिनमें निर्माण की बड़ी योजनाएं हैं, जहां अत्याधिक पूंजी लगी हुई है और ये सभी मद्रास को हस्तान्तरित किये जा रहे हैं। इसके बदले में हमें मालाबार का जिला मिल रहा है जो हमारे लिए अधिक लाभदायक सिद्ध न होगा। हमें बिल्कुल आरम्भ से ही इसका निर्माण करना होगा। फिर भी हमें कोई शिकायत नहीं है। यदि तामिल भाषा भाषी त्रावनकोर-कोचीन राज्य से मद्रास में जाकर प्रसन्न हैं तो हमें भी इस बात की प्रसन्नता है। मुझे आशा है बाद में उन्हें कोई शिकायत न होगी और वे पछतायेंगे नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : लगभग वही तर्क बारम्बार दोहराये जा रहे हैं इसलिये माननीय सदस्यों को चाहिये कि वे अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर देने के लिये संक्षेप में अपनी बात कहें।

†**श्री शं० शा० मोरे** (शोलापुर) : श्रीमान्, दुर्भाग्य से इस देश में स्वतन्त्रता प्राप्त करने के तुरंत ही बाद भावुकता की लहर जोर पकड़ गई है और जब इस प्रकार उत्तेजित हों और समस्त जाति की जड़ें तक हिल जायें और वह एक विशिष्ट दृष्टिकोण अपना ले तो एक विभिन्न उपचार आवश्यक हो जाता है।

विरोधी पक्ष के मेरे मित्र भूतपूर्व वित्त मंत्री की आर्थिक तथा वित्त सम्बन्धी नीतियों के सच्चे अनुयायी थे अब वे उन पर कटाक्ष करते हैं और उन्होंने आंखें फेर ली हैं। इससे यह परिणाम निकलता है कि जब तक आपके हाथ में सत्ता है तब तक लोग आपकी पूजा करते हैं और सत्ता हाथ से जाते ही वही आलोचक बन जाते हैं।

वित्त मंत्री से सदैव मेरा मतभेद रहा है और उन्होंने क्या कहा था ? उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र यह अनुभव करता है कि शासक दल में एक राजनीतिक द्वेष के भाव हैं। वित्त मंत्री अस्थिर भावों वाले व्यक्ति नहीं हैं वह अपने शब्दों को तौल कर बोलते हैं। उन्होंने ऐसा वक्तव्य क्यों दिया, इसका उत्तर हमें सोचना होगा। आज महाराष्ट्रवासियों के मन में यह बात एक कांटा बन कर चुभ रही है कि उनके साथ भेदभाव बरता जा रहा है। आपने स्वयं कल उन प्रदर्शकों को देखा था जो हजारों की संख्या में सत्याग्रह करने के लिए दिल्ली आये थे। जब तक महाराष्ट्रियों ने हिंसा में आगे बढ़ने का प्रयत्न किया तो उनकी पराजय हुई परन्तु यदि उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया तो उन्हें पराजित करना असम्भव होगा। यदि लोकतन्त्र प्राप्त करना है तो उसे दृढ़ आधारों पर प्राप्त करना होगा और अपने अधिकार के लिए लड़ना लोकतन्त्रीय आन्दोलन का ही मूल आधार है।

इसलिये मैं कहता हूं कि यदि हम यह अनुभव करें कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, भेदभाव बरता गया है तो हमें लड़ने का अधिकार है।

मैं अपने गैर-महाराष्ट्रीय और गैर-गुजराती मित्रों से प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर दल के दृष्टिकोण से न विचार करें क्योंकि क्रान्तियां किसी दल की नीति के कारण नहीं होती हैं।

आप पंजाब और महाराष्ट्र दोनों को ही लें। अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो सिक्ख नेताओं ने भी अपनी शक्ति का एक शानदार प्रदर्शन किया था। परिणाम क्या हुआ ? महाराष्ट्र में क्योंकि नेतृत्व में एकता नहीं थी इसलिये किसी से भी परामर्श नहीं किया गया। किसी भी गैर कांग्रेसी व्यक्ति से सलाह नहीं की गई। गैर कांग्रेसी व्यक्तियों में से प्रसिद्ध तथा सुविख्यात व्यक्तियों की संख्या किसी प्रकार भी कम नहीं है। मुझे खेद है कि पंडित जी कांग्रेस से बाहिर किसी से भी बातचीत नहीं करना चाहते थे। आज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री शं० शा० मोरे]

सरकार महाराष्ट्र की आत्मा को कुचलना चाहती है, महाराष्ट्र की भावनाओं को दबाना चाहती है। आप केवल कांग्रेस की ही सम्मति से शासन नहीं कर रहे बल्कि मेरी सम्मति से भी शासन कर रहे हैं। मेरी सम्मति है या नहीं क्या आप यह देखने की चिन्ता करेंगे ?

पंजाब में सरकार सिक्खों को प्रसन्न करना चाहती थी। श्री भीम सेन सच्चर को त्याग पत्र देने के लिये कहा गया और कैरों को मुख्य मंत्री नियुक्त कर दिया गया। परन्तु महाराष्ट्र में प्रसन्नता का प्रश्न नहीं है वहां केवल गोलियों की आवश्यकता ही समझी गई ताकि महाराष्ट्र समस्त देश के लिये भय का कारण न बन सके। यही कारण हैं कि हम यह अनुभव करते हैं कि महाराष्ट्रियों के विरुद्ध एक राजनैतिक द्वेषभावना काम कर रही है।

मंत्रिमंडल तथा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को लीजिये। उनमें गुजरातियों का बहुमत है। पंडित जी समाज की समाजवादी ढंग पर संरचना की बात कहते हैं परन्तु उनके साथी एक ऐसे विशिष्ट समुदाय से सम्बन्ध रखते हैं जो कि धन जमा करने के लिए प्रसिद्ध हैं। मेरे मित्र श्री अशोक मेहता ने कहा था कि गुजराती तथा महाराष्ट्रीय एक दूसरे के संपूरक हैं। उन्होंने ऐसा किस लिये कहा था ? इस अभिप्राय: से कहा था कि अंग्रेज और भारतीय जनता भी संपूरक थी। अंग्रेज उद्योगपति थे, वस्तुओं के निर्माता थे। वे बाजार जाकर वस्तुओं का व्यापार करते थे। गुजराती भी पूंजी लगाने वाले और उधार रुपया देने वाले हैं। क्या इसे संपूरक नाता कहा जा सकता है।

श्री अशोक मेहता ने कहा था कि बम्बई एक अन्तर्राष्ट्रीय नगर है इसलिये इसे महाराष्ट्र का एक अंग नहीं बनना चाहिये।

श्री अशोक मेहता : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि बम्बई को महाराष्ट्र का अंग नहीं बनना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मेरा केवल इतना कहना है कि औद्योगिक दृष्टिकोण से विकास कर रहे किसी देश में नगरीय क्षेत्रों का विकास होगा। जब नगरों में मशीनें आ रही हैं, विभिन्न समुदायों और देश के विभिन्न भागों से रोटी कमाने के लिये लोग नगरों में चले आ रहे हैं तो यह स्वाभाविक ही है कि उस क्षेत्र की ओर पूंजी भी आकर्षित होती है। इसलिये वह प्रत्येक नगर एक अन्तर्राष्ट्रीय नगर हो जायेगा जिसमें उद्योग होंगे और जो विकास तथा प्रगति करेगा। कृषि सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था ही किसी स्थान के अन्तर्राष्ट्रीय होने में बाधा बन सकती है। परन्तु औद्योगिक दृष्टिकोण से विकास कर रहे किसी देश में कोई भी औद्योगिक नगर या अन्तर्राष्ट्रीय नगर किसी एक समुदाय के सुपुर्द नहीं किया जाता है। इसलिये यदि किसी के मन में यह भय हो कि महाराष्ट्र को बम्बई नगर मिल जाने से बम्बई नगर एक अन्तर्राष्ट्रीय नगर नहीं रहेगा तो यह भय निराधार है।

यह सरकार रियायतों तथा दबावों की सरकार बनती जा रही है—पूंजीपतियों के लिये रियायतें और निर्धनों के लिए दमन। इस देश के विस्तार तथा आर्थिक विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता है। जहां तक श्रम का सम्बन्ध है सरकार को अत्याधिक संख्या में श्रमिक मिल सकते हैं। इसलिये सरकार पूंजीपतियों को प्रसन्न करने में प्रयत्नशील है। होगा क्या ? इतिहास अपने आपको दोहराता है !

बंगाल का विभाजन ही लीजिये। १९०२ में लार्ड कर्जन ने इस कारण बंगाल के विभाजन का प्रश्न उठाया था कि वहां पर मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिये, जो कि अल्पसंख्यक थे, उनके लिए एक ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जिसके बारे में वह कह सकें कि स्थिति उनके वश में है। इसलिये बंगाली भाइयों के विरोध के बावजूद बंगाल को विभाजित किया गया। परन्तु लोग आन्दोलन करते रहे। और १९११ में दिल्ली दरबार के अवसर पर अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया कि विभाजन के र करने के लिये उनका आन्दोलन और उनकी भावना एक पर्याप्त आधार है।

श्री चि० चा० शाह ने कहा है कि क्योंकि बम्बई भौगोलिक दृष्टिकोण से महाराष्ट्र का एक भाग है इसलिये यह कोई कारण नहीं है कि उसे महाराष्ट्र को दे दिया जाये। मेरा उनसे इस बात पर मतभेद है। देखना यह है कि हम समस्या का न्याय निर्णयन कैसे करें। न्यायालयों में हम बहुत से गवाहों को झूठी गवाही देते हुए देखते हैं। परन्तु प्रलेख झूठ नहीं बोलते हैं। यदि हमें प्रदेशों, प्रान्तों या राज्यों की सीमाओं का निर्णय करना हो तो हम प्रकृति द्वारा निर्धारित भौतिक सीमाओं को देखते हैं। मनुष्य की बनाई हुई वस्तु में परिवर्तन किया जा सकता है परन्तु ईश्वर द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बदला नहीं जा सकता और उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। श्री चि० चा० शाह कह सकते हैं कि भौगोलिक दृष्टिकोण से हिमालय भी हिमालय नहीं हैं, महाराष्ट्र महाराष्ट्र नहीं है। वह एक चतुर वकील हैं। परन्तु बम्बई, महाराष्ट्र का ही एक अंग है क्योंकि वह भौगोलिक रूप से महाराष्ट्र का एक हिस्सा है।

यदि जनता का कोई भाग यह अनुभव करे कि वह किसी अन्य खंड के साथ नहीं रहना चाहता है, चाहे वे एक ही देश के क्यों न हों, तो उस खंड को पूर्ण अधिकार है कि वह अलग हो जाये। १९११ के राज्याभिषेक दरबार में भी यही कहा गया था कि बिहार, बिहारियों के लिए है, यह आन्दोलन उचित प्रतीत होता है। यही बात महाराष्ट्र पर भी लागू होती है। सच है या झूठ महाराष्ट्रीय यह अनुभव करते हैं कि वे शोषित वर्ग हैं और महाराष्ट्र तथा गुजरात के एक रहने से उनका हित नहीं अहित होगा। वे यह अनुभव करते हैं कि उनका शोषण होता रहेगा और अग्रेतर विकास के लिये उन्हें इस स्थिति में अवसर नहीं मिल सकेगा। चाहे पिछले अनुभव के कारण ही यह भावना क्यों न हो परन्तु यह भावना अब उनके दिलों में गहरा घर कर गई है। इसलिये मैं सत्ताधारी सदस्यों से अपील करता हूं कि यदि आप शान्ति और समृद्धि चाहते हैं और यदि आपने कोई गलती की है तो आप अपनी झूठी शान का ही शिकार न बनें। अंग्रेजी साम्राज्य इसलिये इस देश से खत्म नहीं हुआ कि हम उनसे अधिक शक्तिशाली थे बल्कि इसलिये हुआ था कि उनकी प्रतीष्टा कम होती गई और लोकाप्रिय रोष को शक्ति तथा बल मिलता गया। आप अपनी ही प्राचीन प्रतिष्ठा का शिकार न बनें। महात्मा गांधी ने, जो कि आपके राजनीतिक नेता माने जाते हैं, कहा है कि यदि आपने कोई गलती की हो तो उस गलती को स्वीकार करना उस झाड़ू की भांति है जो भूमि को साफ कर देता है। यदि हम अपनी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना चाहते हैं, और यदि हम महाराष्ट्र के निर्धन किसानों को भी वैभवशाली बनाना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र के लोगों के मनों में एक भ्रातृ-भाव उत्पन्न किया जाय, और कांग्रेस सरकार के मन में महाराष्ट्र के लोगों के प्रति विश्वास उत्पन्न किया जाये। अन्यथा महाराष्ट्र के लोगों के मन में एक भयंकर निराशा सी छा जायेगी। हमारे मंत्री जी जब अन्य देशों को शान्ति का सन्देश दे रहे हैं तो क्या उसी शान्ति के सिद्धान्त को महाराष्ट्र में लागू नहीं किया जा सकता।

मैं एक स्पष्ट वक्ता के समान यह बात कहने में जरा भी संकोच नहीं करता कि सरकार के अपने कई ऐसे सदस्य हैं जो कि प्रादेशिक भेदभाव से रहित नहीं हैं। यदि इस प्रकार के दृष्टिकोण से प्रभावित होकर कोई निर्णय हम पर ठोंसा गया, तो हम उसे मानने के लिये तैयार नहीं होंगे।

अब क्योंकि यह प्रश्न अपनी अन्तिम अवस्था में है इसलिये अच्छा यही है कि कांग्रेसी लोग इस मामले को अपने हाथ में ले लें और अपना अन्तिम निर्णय दे दें। मैं चाहता हूं कि आप सभा के गुजराती तथा महाराष्ट्री दोनों सदस्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के सदस्यों की सम्मति ले लीजिये, हमें उनका निर्णय शिरोधार्य होगा। परन्तु प्रधान मंत्री जी ने ३ जून को बम्बई में जो वक्तव्य दिया था, उससे बहुत से लोग प्रभावित हो गये हैं। संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ ९२ पर स्पष्टतया लिखा हुआ है कि श्री देवगिरिकर और श्री अल्तेकर ने पहले यह संशोधन रखा था कि बम्बई को एकदम महाराष्ट्र में मिला दिया जाये, परन्तु नेहरू जी के वक्तव्य के एकदम बाद उस संशोधन को वापिस ले लिया। इससे स्पष्ट होता है कि नेहरू जी के उस वक्तव्य से लोग कितने अधिक प्रभावित हुए हैं। मैं तो समझता हूं कि नेहरू जी का एक वक्तव्य इस सभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन है। जब कि नेहरू जी, जो कि सभा के नेता हैं, इस प्रकार से बम्बई

[श्री अशोक मेहता]

के विरुद्ध विशेषत: बम्बई से ही यह घोषणा करते हैं, तो हमारा यह निष्कर्ष पूर्णत: न्यायोचित है कि नेहरू जी के मन में महाराष्ट्रीयों के विरुद्ध कोई द्वेष भाव है, और उसका विरोध करना उचित है ।

†**श्री बीरेन दत्त** (त्रिपुरा-पश्चिम) : इस विधेयक के सम्बन्ध में हम अभी तक बम्बई के प्रश्न पर ही चर्चा करते रहे हैं, मैं अब आपका ध्यान कुछेक अन्य मामलों की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं ।

संघ प्रदेशों के बारे में मूल विधेयक में तो यह सिफारिश की गयी थी कि इन प्रदेशों को सीधे ही मुख्य आयुक्तों के अधीन रखा जाये, परन्तु संयुक्त समिति से प्राप्त इस विधेयक में यह सिफारिश की गयी है कि इनमें से कुछेक प्रदेशों के लिये यह संसद ही विधायिनी निकाय हो। परन्तु वास्तव में यह संसद हमारे लिये किसी भी प्रकार से हितकर सिद्ध नहीं होगी। हमें पुराना अनुभव है कि इस संसद ने त्रिपुरा और मनीपुर के लिये कोई भी हितकर काम नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों के लिये प्रजातंत्रीय व्यवस्था क्यों न की जाये ? त्रिपुरा में आज से ७५ वर्ष पहले तत्कालीन राजा द्वारा जो भूमि विधि लागू की गयी थी, आज तक वही विधि चल रही है। वहां पर पंचायतों की कोई व्यवस्था नहीं, कोई नगरपालिका प्रणाली नहीं। मैं पूछता हूं कि संबंध ने इस संबन्ध में हमारी क्या सहायता की है ? और फिर संविधान के अनुच्छेद संख्या २३९ तथा २४० को भी संशोधित किया जा रहा है जिसके अनुसार हमारे राज्य में कभी भी विधान सभा नहीं बन सकेगी।

त्रिपुरा में क्रियात्मिक रूप से न्यायपालिका बिल्कुल काम नहीं कर रही है। त्रिपुरा और मनीपुर दोनों राज्यों के लिये केवल एक न्याय-आयुक्त है। वहां पर विधि-निर्माण अथवा न्याय-कार्य में जनता को कुछ भी पूछा नहीं जाता। हमने पंचायतों के लिये बार बार मांग की है, परन्तु अभी तक हमें कुछ भी प्रदान नहीं किया गया है। हमने संचार-सुविधाओं की मांग की थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में थोड़ी सी राशि निर्धारित की गयी थी, परन्तु उसका भी सदुपयोग नहीं किया गया है। निर्धारित राशि में से केवल ४० प्रतिशत खर्च की गयी, और उसमें से भी ७५ प्रतिशत राशि तो अफसरों के वेतनों पर खर्च कर दी गयी। सामुदायिक परियोजना की भी यही स्थिति है। उस राशि में से भी एक लाख रुपया तो अफसरों के वेतनों पर ही खर्च कर दिया गया है ।

समाचार पत्रों में हर रोज ये समाचार प्रकाशित होते हैं कि त्रिपुरा में नित्य प्रति आत्महत्यायें होती रहती हैं। वहां पर लोग खुराक, कपड़े तथा मकान के अभाव में नित्य मर रहे हैं। परन्तु केन्द्र ने उनके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया है। मनीपुर तथा त्रिपुरा के प्रतिनिधि कई वर्षों से वहां पर उत्तरदायी सरकार की मांग कर रहे हैं, परन्तु इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में जब हमने एक गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया था तो हमें यह बताया गया कि सरकार खुद ही इस बारे में एक विधेयक प्रस्तुत करेगी। हमने आज तक प्रतीक्षा की है परन्तु राज्य पुनर्गठन विधेयक में भी हमें कुछ नहीं दिया गया है। अत: मेरी यह सबल प्रार्थना है कि हमारे राज्य में एक लोकतंत्रीय शासन प्रणाली स्थापित की जाये। वास्तव में संसद तो त्रिपुरा से बहुत दूर है इसलिये वह वहां की वास्तविक स्थिति से पूर्णरूपेण परिचित नहीं है। यदि वहां पर इसी प्रकार का शासन चलता रहा तो उसकी एक भयंकर प्रतिक्रिया होगी। यदि आप हमें लोक-तंत्रात्मक अधिकार नहीं देंगे तो उसका पंचवर्षीय योजना की सफलता पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिये इस विधेयक के अन्तिमरूप से पास होने से पूर्व ही मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप हमारी समस्या पर सहानुभूति की दृष्टि से सोच विचार करें।

इस विधेयक के द्वारा अब दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी विधान सभायें समाप्त की जा रही हैं, और इसलिये वहां भी इसके विरुद्ध आन्दोलन हो रहे हैं। इसलिये मेरी यह मांग है कि इस प्रकार के सभी राज्यों में विधान सभाओं की व्यवस्था अवश्य की जाये, वे सभायें भले ही छोटी

---

†मूल अंग्रेजी में ।

हो परन्तु वहां के लोगों को वहां की शासन व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार ज़रूर दिया जाये। हम केन्द्र द्वारा भेजे गये प्रशासकों पर ही निर्भर नहीं कर सकत। वे कोई देवता लोग नहीं हैं, वे भी कई प्रकार की गलतियां कर सकते हैं।

वहां पर लोग मर रहे हैं, परन्तु कोई हमारी सुनता नहीं। केन्द्र वाले केवल सहानुभूति प्रकट कर देते हैं और यह कह देते हैं कि अपने स्थानीय अधिकारियों के पास जाओ। जब उनके पास जाते हैं, तो वे कुछ परवाह ही नहीं करते। वहां पर ६० रुपये प्रति मन के हिसाब से चावल बिक रहे हैं, परन्तु जब प्रश्न पूछा जाता है तो यही उत्तर दिया जाता है चावल १६ रुपये के हिसाब से बिक रहा है।

अतः सरकार से हमारी यह मांग है कि वह इस बात की जांच करे कि क्या मैंने जो बातें कहीं हैं वे सच भी हैं या नहीं। मैं समझता हूं कि इस तरह से सरकार स्वयं अनुभव करेगी कि वहाँ की स्थिति कैसी है। प्रधान मंत्री जी ने हमें इस बारे में आश्वासन दिया था, परन्तु दुःख है कि अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। अतः मुझे आशा है कि इस विधेयक के पास होने से पहले ही इन प्रदेशों के लिये विधान सभाओं की व्यवस्था कर दी जायेगी।

श्री चांडक (वेतूल) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं।

जो यह बिल हाउस के सामने आया है मैं उसका स्वागत तो नहीं कर सकता लेकिन मैं उसका समर्थन करता हूं। स्वागत इसलिये नहीं कर सकता कि मैं शुरू से ही इस विचार का था कि आज इस मौके पर जब कि अन्य हम बड़े-बड़े कामों में लगे हुए हैं और जब कि हमारे मुल्क में आर्थिक स्वराज्य अभी आने को है, हमें देश का विभाजन भाषा के आधार पर नहीं करना चाहिये। लेकिन जो कुछ आन्ध्र में हुआ वह हमने देखा, आन्ध्र का निर्माण हुआ। परिस्थिति बदलती गयी, लोगों का काफी प्रेशर (अनुरोध) रहा। इस कारण कमीशन (आयोग) बिठाना आवश्यक हो गया और कमीशन (आयोग) बैठा। कमीशन की रिपोर्ट आयी और उसके बाद भी मुल्क में जो वाकयात हुए उन सबको हमने देखा। ऐसा मालूम होने लगा कि जो असंतोष इस कमीशन को बिठाने के पहले या कमीशन की रिपोर्ट आने के पहले हमारे मुल्क में था उससे कुछ ज्यादा ही असंतोष बढ़ गया और आज हम देखते हैं कि देश में किसी भी जगह संतोष नजर नहीं आता। आज सब जगह असंतोष ही असंतोष नजर आता है। चाहे हम किसी भी प्रान्त की तरफ नजर डालें हमको असंतोष ही नजर आता है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

चाहे आप बम्बई की ओर देखें, चाहे गुजरात और महाराष्ट्र की ओर देखें, चाहे बंगाल और बिहार की ओर देखें, आप किसी भी प्रान्त की तरफ नजर डालें, हर जगह वह असंतोष है कि जो पहले नहीं था। इस प्रश्न को लेकर जो-जो हुआ उसको हमने देखा और सुना। हमने यह भी देखा कि इस भाषा के विवाद को लेकर जिनसे हमारे सदियों के पुराने प्रेम, सद्भाव और सहकार्य के सम्बन्ध थे उनसे वे सम्बन्ध क्षण भर में टूट गये और टूटते जाते हैं। हम जिनके साथ सदियों से रहते आये हैं आज इस प्रश्न के कारण हम उनसे बोलना भी नहीं चाहते। आज हम एक दूसरे को अविश्वास की निगाह से देखते हैं। यह परिस्थिति पैदा हो गयी है। इसलिये मैं इस बिल का स्वागत नहीं कर सकता। लेकिन मैं इसका समर्थन अवश्य करता हूं क्योंकि यह हमारे देश के लोगों के विचार मंथन के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया है जिस प्रकार कि समुद्र मंथन से बहुत से रत्न निकले थे और साथ साथ अमृत और विष निकले थे। इस बिल का परिणाम अमृत में होता है या विष में यह तो भविष्य ही बता सकता है।

अब जो चीज हमारे सामने आई है उसको मैं इस निगाह से देखता हूं कि क्या या तो इसे स्थगित कर दिया जाय या इसे स्वीकार कर लिया जाय। मेरे ख्याल से दोनों में कुछ न कुछ बुराइयां हैं, तब उनमें से जो कम बुराई की चीज है उसे स्वीकार करना चाहिये, यह मेरा दिल कहता है।

[श्री चांडक]

इसलिये मैं कहता हूं कि जब इतने विचार मंथन के बाद यह बिल हमारे हाउस के सामने आया है तब इसे आज की परिस्थिति में स्वीकार कर लेना चाहिए और इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, इस स्पष्टीकरण के बाद कुछ दूसरी बातों की तरफ मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना है। प्रान्तों का विभाजन हुआ उसमें नागपुर प्रदेश के चार जिले नागपुर, भंडारा, चांदा और वर्धा, यह चार जिले मध्य प्रदेश से अलग कर दिये गये और महाराष्ट्र के साथ जोड़ दिये गये। वस्तुतः इसका इतिहास यह है कि इन चार जिलों का सम्बन्ध कभी भी महाराष्ट्र के साथ नहीं रहा था और जोड़ते समय एस० आर० सी० कमिशन ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और यह कहा गया कि इसको हम विदर्भ से अलग नहीं रख सकते। वास्तव में यह गोड़वाना प्रदेश था उनमें हर जगह गोंडों का राज्य था और सदियों से महाराष्ट्र के साथ कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं था। लेकिन जब जोड़ दिया गया तो हम उसे मंजूर करते हैं। वास्तव में वहां न भाषा का झगड़ा था और न किसी और बात का झगड़ा था। १५०,२०० वर्षों से पूरा मध्य प्रदेश एक साथ में रहता आया था और कोई किसी प्रकार का झगड़ा नहीं था लेकिन महाराष्ट्र के साथ यह हमारे चार जिले जोड़ दिये गये। केवल महाराष्ट्र को खुश करने के लिये ही। मेरे खयाल से यह उचित नहीं हुआ और उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये था। लेकिन अब जो कुछ हो गया है मैं उसे स्वीकार कर लेना चाहता हूं। अब यहां इतन सारे विचार मंथन के बाद, एक कमिशन (आयोग) दूसरा कमिशन और तीसरा कमिशन, तीन बार कमिशन बैठा और चौथी बार उसके ऊपर कई बार विचार विमर्श होने के पश्चात् यह बिल आया है, सेलेक्ट कमेटी ने भी इसे स्वीकार किया लेकिन मैं इस हाउस में देखता हूं, कि बम्बई के प्रश्न को लेकर हमारे महाराष्ट्र के कुछ दोस्तों के दिल में काफी उग्रता है। मैं भी उसी एरिया (क्षेत्र) से आता हूं। नागपुर अब महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया है इसलिये नागपुर महाराष्ट्र का अंग है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं और लगभग १५०, १७५ वर्षों से हमारा और हमारे पूर्वजों का सम्बन्ध महाराष्ट्र के साथ यानी नागपुर के साथ रहा और मेरा यह ३६ वर्षों का सार्वजनिक जीवन महाराष्ट्र के इन दोस्तों के साथ बीता है लेकिन आज हाउस में जो बात मैं देखता हूं और हर तरफ से एक आवाज आती है और मैं इस बात को मानता हूं कि महाराष्ट्र के दोस्तों के दिलों में बम्बई के प्रति एक तीव्र भावना है और होना स्वाभाविक है जैसा कि इस हाउस में कहा गया है कि बगैर बम्बई के महाराष्ट्र का बनना बगैर सिर वाले धड़ के बनने के समान होगा और मुझे उससे इनकार नहीं है। लेकिन यदि बम्बई के इतिहास और बम्बई की सब चीजों को हम अपनी नजरों के सामने रक्खें तो ऐसा प्रतीत होता है कि बम्बई, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के लिये सिर का काम करता है, यह नहीं कि अकेले महाराष्ट्र के लिये ही ऐसा हो और इसलिये यह एक बड़ा पेचीदा सवाल रहा, हमेशा एक उलझन का सवाल रहा और यही वजह है कि तीनों बार तीनों कमिशनों ने और आखिरी बार सेलेक्ट कमेटी ने भी बम्बई के बारे में एक निर्णय दिया। तीनों कमिशनों का निर्णय था कि बम्बई अभी युनिलिंग्वल (एकभाषा भाषी) प्रान्त में नहीं जोड़ना चाहिए और इसी तरह से हमेशा बम्बई का फायदा गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को मिलता रहे इसलिये बाइलिंग्वल प्रान्त की रचना की। अब जो कुछ बम्बई के सम्बन्ध में निर्णय हुआ है, मेरी अपनी निजी सम्मति में आज की परिस्थिति में इससे बाहर दूसरा कोई निर्णय नहीं हो सकता था और इसीलिये इस तरह का निर्णय किया गया।

यह कहा जाता है कि तीनों कमिशनों ने अन्याय किया, सेलेक्ट कमेटी ने अन्याय किया और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी अन्याय किया कि बम्बई को महाराष्ट्र के साथ नहीं मिलाया। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं। मेरा विश्वास है कि इस मुल्क के अन्दर सबसे बड़ा डेमोक्रैट (लोकतंत्रवादी) यदि कोई हो सकता है, जिसका कि डेमोक्रेसी (लोकतंत्र) पर सबसे अधिक विश्वास हो या डेमोक्रैटिक तरीके से जो अधिक से अधिक चलना चाहते हों, तो वे व्यक्ति हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और यह कहना कि सब लोगों ने अन्याय किया, यह चीज मेरी

समझ में नहीं आती है। हो सकता है कि वह चीज अखरती हो लेकिन अन्याय और न्याय की परिभाषा करना बड़ी मुश्किल बात है। सवाल ऐब्सैलूट जस्टिस (अनन्य न्याय) का नहीं है बल्कि यह सवाल कम्पैरेटिव जस्टिस (तुलनात्मक न्याय) का है। एक के साथ हम न्याय करें तो कम से कम दूसरे के साथ अन्याय तो नहीं करना चाहिए और जब बम्बई में रहने वाले महाराष्ट्रीयन मित्र या महाराष्ट्र के लोग और बम्बई के दूसरे लोग जिनका कि सम्बन्ध है, गुजराती और महाराष्ट्री यदि दोनों आपस में एक दूसरे से मिल कर नहीं रहना चाहते तो मैं समझता हूं कि घर के बुजुर्ग का यही फर्ज होता है कि जो स्टेट इस तरह बांटी नहीं जा सकती उसको अपने पास रक्खें और दोनों को इसका फायदा मिले। मैं नहीं सोचता कि इसमें किस प्रकार का अन्याय हुआ है। आखिर बम्बई महाराष्ट्र में यदि नहीं है तो किसी दूसरे प्रान्त को भी तो उसे नहीं दिया गया है और आज भी गुजरात और महाराष्ट्र दोनों उससे फायदा उठा सकते ह। और फिर सवाल क्या है? सवाल यह है कि पांच साल के लिये वह सेंट्रली ऐडमिनिस्टर्ड (केन्द्र द्वारा प्रशासित) रक्खा गया है तो इसमें क्या बुराई हो गई, यह मेरी समझ में नहीं आता। यहां मैंने बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाने के लिये बड़े जोरशोर के साथ रक्खे गये आर्गुमेंट्स (तर्क) सुने, काका साहब के आर्गुमेंट्स (तर्क) सुने। उन पर मुझे श्रद्धा है और वह हमारे नेता हैं और इसी तरह देशपांडे को भी सुना, उन्होंने भी बहुत काफी जोर से बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाने की मांग को रक्खा लेकिन मैं उनकी दलीलों को नहीं समझ सका। बात चाहे जोर से कही जाय या धीरे से कही जाय उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आर्गुमेंट्स पेश किये गये उनमें कोई नवीनता की बात नहीं थी और अधिक जोर से कहने से लोगों के दिलों पर कुछ ज्यादा असर होता है, कम से कम यह मैं नहीं मानता। बात जब ठीक होगी, योग्य होगी और समयानुकूल होगी तभी लोगों के दिलों पर उसका असर हो सकता है और पांच साल के बाद में भी लोकतंत्रात्मक पद्धति के जरिये ही बम्बई का निर्णय होने वाला है फिर उसमें क्या आपत्ति है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। महाराष्ट्र में भी मुझे मालूम है कि हमारी विदर्भ प्रदेश कांग्रेस कमेटी और नागपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जहां कि ७६ लाख की आबादी है, वहां पंडित नेहरू के निर्णय को सर्वसम्मति से स्वीकार किया है और उसका स्वागत किया है

श्री कानावडे पाटील (अहमदनगर उत्तर) : सबने नहीं किया है।

श्री चांडक : दोनों कांग्रेस कमेटियों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है, यह मैं जानता हूं और अधिकृत रूप से जानता हूं क्योंकि मैं नागपुर की मीटिंग में हाजिर था। मने यह भी अखबार में देखा कि जो बम्बई के नेता हैं, श्री हिरे, उनका स्टेटमेंट अभी हाल में निकला है, उन हिरे साहब ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्णय को मान्य किया है और जो कुछ निर्णय है वह आज की परिस्थिति में योग्य निर्णय है, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसी हालत में मेरी महाराष्ट्र के मित्रों से बहुत नम्रतापूर्वक अपील है कि जो निर्णय हो गया है उसको वे मान लें। यदि वह यही कहते रहेंगे कि उनके ऊपर अन्याय ही अन्याय होता रहा, तो इसका सीधा मतलब यह होता है कि जब तक उन लोगों के न्याय की परिभाषा को न मान लिया जाय, जब तक उनकी इच्छानुसार न्याय नहीं होता है तब तक उनके लिये सब जगह अन्याय ही होता है। इस चीज का मान लेना कोई उचित बात नहीं है। इसलिये मेरी नम्रता पूर्वक अपील है कि कम से कम पांच साल के लिये वे इस निर्णय को मान लें और बम्बई में सद्भाव पैदा करें। हमें विश्वास है कि यदि इस प्रकार का सद्भाव पैदा किया गया तो पांच साल के बाद बंबई महाराष्ट्र में अवश्य आयेगा। आज सबसे बड़ी आवश्यकता बम्बई के लिये यह है कि वहां सद्भाव पैदा किया जाय।

इस विधेयक पर चर्चा होने के समय हमारे कुछ मित्रों ने, जैसे कि हमारे आल्तेकर साहब हैं, कुछ अमेंडमेंट (संशोधन) दिये हैं। उसी प्रकार से श्री के० जी० देशमुख भी बोले और उन्होंने बार्डर एरिया के बारे में बताया और फिलहाल नागपुर और विदर्भ से लगी हुई मध्य प्रदेश की सीमा की दो तीन तहसीलों का जिक्र किया, मुल्ताई, सौंसर, भसदेई आदि। मैं कहना चाहता हूं कि जो फिगर्स उनके सम्बन्ध में दिये गये हैं, वे भ्रम फैलाने वाले हैं। मैं जानता हूं कि इन तहसीलों में मराठी भाषियों की संख्या काफी है तथापि उतनी नहीं जिसका जिक्र इन लोगों ने किया है मैं भी उन्हीं तहसीलों से आता हूं, सौंसर और मुल्ताई मेरी कांस्टिट्एंसी की तहसीलें हैं। मेरे पास

[श्री चांडक]

एक किताब है जिसमें से कुछ फिगर्स (आंकड़े) मैं आपके सामने रख रहा हूं, और वह फिगर्स संयुक्त महाराष्ट्र समिति की ओर से ही सप्लाई किये गये हैं। आप देखेंगे कि जिस तहसील सौंसर का जिक्र किया गया है वहां मराठी भाषियों की संख्या ४८ परसेंट है, वैसे ही भैंसदेई में मराठी वालों की संख्या २२ परसेंट है और मुल्ताई में कुल १९ परसेंट है। मुल्ताई तहसील में एक भी मराठी स्कूल नहीं है, बरसों से मुल्ताई और सौंसर दोनों तहसीलें मध्य प्रदेश के साथ रहीं और वहां का सारा काम काज हिन्दी में या पुरानी उर्दू भाषा में होता रहा है। मेरी अर्ज यह है कि इन तहसीलों के बारे में सारा मामला तय हो चुका है, अब उसको फिर से उठाना उचित नहीं है। जिस प्रकार से इंदौर और ग्वालियर वगैरह में महाराष्ट्री लोग हैं और लाखों की संख्या में हैं, वे आपस में घुल मिल गये हैं, उसी प्रकार से यहां के लोग भी उनके साथ घुल मिल गये हैं। वहां की जनपद सभाओं और ग्राम पंचायतों ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव किया कि वे वहां पर ही रहना चाहती हैं। उनकी किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं है, अब इस डिमांड (मांग) को खड़ा करके एक नया झमेला पैदा करना और कटुता पैदा करना कोई उचित बात नहीं होगी।

यहां माइनारिटीज (अल्प संख्यक) और सेफगार्डस् (परित्राण) के बारे में भी बहुत सी बातें कही गईं, मैं उनको सुनता रहा। हमारा यह मुल्क जहां कि सैकड़ों जातियां हजारों बोलियां और सैकड़ों पंथ हैं। मेरे ख्याल से तो हमारा यह मुल्क ही माइनारिटीज का मुल्क है। आज तक कई प्रकार की माइनारिटीज रहीं, अब एस० आर० सी० की रिपोर्ट के पश्चात् भाषा की माइनारिटी एक नई चीज पैदा होने वाली है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि हर प्रांत में, हर जगह दो भाषाओं के लोग रहते हैं। आज किसी भी प्रकार से प्रांत की रचना हो, हम इस बात को नहीं मान सकते कि कोई प्रान्त एक ही भाषा का प्रान्त हो सकता है। वहां पर दो भाषाओं या तीन भाषाओं के लोग रहने वाले हैं। लेकिन माइनारिटीज के सम्बन्ध में, जो कुछ हमारी संयुक्त समिति ने कहा है, जो कुछ एस० आर० सी० ने अपनी सिफारिशें की हैं, उनसे आगे बढ़कर कोई खास बात बाकी रह जाती है ऐसा मैं नहीं मानता। कोई भी प्रदेश अपनी माइनारिटीज को नाखुश करके वहां ठीक तरह से अपना कारबार नहीं चला सकता। इसलिये जो कुछ सेफगार्डस् (परित्राण) एस० आर० सी० (राज्य पुनर्गठन आयोग) ने रिकमेंड किये हैं और जो कुछ संयुक्त समिति की रिपोर्ट में रिकमेंड (सिफारिश) किया गया है वह काफी योग्य और उचित है, उसे और ज्यादा तूल देना और हर जगह कटुता पैदा करना कोई अच्छी बात नहीं होगी। इसके लिये इस विधेयक में काफी प्राविजन (उपबन्ध) है और ज्यादा किसी बात की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय कहना तो काफी था लेकिन अब चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया है, इसलिये मैं अपना भाषण यहीं खत्म करता हूं।

†**पंडित मु० बि० भार्गव** (अजमेर-दक्षिण) : राज्य पुनर्गठन के आयोग के प्रतिवेदन पर हम बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में भाषावार प्रान्तों के लिये जो व्यक्ति सबल मांग कर रहे हैं वे वास्तव में देश की राष्ट्रीय एकता तथा सुरक्षा के महान् शत्रु हैं। भाषावार प्रान्तों के सम्बन्ध में पुराने कांग्रेसी नेताओं के उस समय चाहे जो भी विचार हों, आज तो कांग्रेसी नेताओं के विचार बिल्कुल बदल गये हैं और आज की परिस्थितियों को देखते हुए यह ठीक भी हैं। दर-आयोग के प्रतिवेदन में भी स्पष्टतया बताया गया है कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए भाषावार प्रान्त बनाना उचित नहीं। आन्ध्र राज्य की स्थापना तो किसी विशेष स्थिति के कारण की गई थी, परन्तु अब वह स्थिति बदल गई है। इस प्रतिवेदन के योग्य तथा अनुभवी सदस्यों ने भी एकभाषाभाषी राज्य के सिद्धान्त को मानने से इन्कार कर दिया था। परन्तु फिर भी उन्होंने अन्त में भाषावार आधार पर ही राज्यों के गठन की सिफारिश की है। केवल बम्बई तथा पंजाब में इस आधार को स्वीकार नहीं किया। अब संयुक्त समिति से प्राप्त वर्तमान विधेयक ने बम्बई के सम्बन्ध में यह सिफारिश की है कि इसके महाराष्ट्र, महागुजरात तथा बम्बई नगर तीन राज्य बना दिये जायें। पंजाब को भी भाषाओं के आधार पर विभाजित कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

भाषावार प्रान्तों के समथकों का यह कथन है कि प्रान्तों की स्थापना के बाद देश में पूर्ण-रूपेण शान्ति स्थापित हो जायेगी, परन्तु मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि भाषावार प्रान्तों का पागलपन देश को उसी प्रकार से नष्ट भ्रष्ट कर देगा जैसे कि साम्प्रदायिकता ने देश को दो भागों में विभाजित कर दिया था। आज भाषा सम्बन्धी पागलपन का विष देश की नस नस में व्याप्त हो रहा है जो कि देश को नष्ट भ्रष्ट कर देगा, देश की राष्ट्रीय एकता तथा सुरक्षा पूर्णरूपेण समाप्त हो जायेगी। अतः मुझे पूरा विश्वास ह कि इस प्रकार के भयंकर तथा हानिकारक सिद्धान्त को देश का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मानेगा जिसके दिल में देश के लिए हित तथा राष्ट्रीय भावना विद्यमान है। हमने साठ वर्ष तक संघर्ष करने के उपरान्त यह स्वराज्य प्राप्त किया है। विदेशी शक्ति से तो हम स्वतन्त्र हो चुके हैं, परन्तु हमने अभी तक निर्धनता, भेद-भाव तथा मुसीबतों से छटकारा प्राप्त नहीं किया है। हमने एक समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना करने का निश्चय किया है। इसलिये केवल भाषावार प्रान्तों की स्थापना पर ही अपनी सारी शक्ति लगा देना अनुपयुक्त है। यदि हम देश के सच्चे नागरिक हैं तो हमें इन छोटी-छोटी बातों पर झगड़ना शोभा नहीं देता। बंगाल और बिहार राज्य क्यों व्यर्थ में ही छोटे छोटे क्षेत्रों के लिये झगड़ रहे हैं? उसी प्रकार से महाराष्ट्र और गुजरात राज्य भी व्यर्थ में बम्बई के लिये झगड़ रहे हैं। हमें तो भाषा सम्बन्धी इन छोटे छोटे झगड़ों से ऊपर उठ कर राष्ट्रीय कार्यों की ओर ध्यान देना चाहिये।

हमारा संविधान देश के किसी भी कोने में रहने वाले, प्रत्येक भारतीय को एक समान नागरिकता के अधिकार प्रदान करता है। इसलिए हमें व्यर्थ के भेद-भावों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिये।

मेरा यह निवेदन है कि राज्य पुनर्गठन पर सभा में तीन बार जो जोरदार बहस हुई वह हमको देश की वर्तमान दशा की चेतावनी देती है। हमें उस समय की याद आने लगती है जब सदन में मुस्लिम लीग के साथ ऐसी झड़प होती रहती थी।

अब मैं राजस्थान और अजमेर के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। अजमेर को राजस्थान में मिलाते समय मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे अजमेर के शताब्दियों के गौरव को न भूलें और उसे राजस्थान की राजधानी बनायें। पृथ्वीराज चौहान के समय से लेकर मुगलों, मराठों और अंग्रेजों के समय तक अजमेर को राजस्थान का केन्द्र स्थान माना जाता था और राजस्थान की राजनीति में उसका गहरा हाथ रहता था।

जब १९४८–४९ में अजमेर को राजस्थान में मिलाने और उसे वहां की राजधानी बनाने की मांग की गई थी, उस समय केन्द्र ने उसे पृथक् रखना उचित समझा और वहां नौकरशाही राज्य की स्थापना की। उसके बाद वहां पर प्रजातांत्रिक शासन की व्यवस्था स्थापित करने के लिये लड़े और उसे प्राप्त किया किन्तु अब हम देखते हैं कि इस सम्बन्ध में राजस्थान के नेता हमारी किसी बात को सुनने के लिये तैयार नहीं हैं।

अजमेर केवल राजस्थान का केन्द्र स्थान ही नहीं है बल्कि वहां प्रत्येक प्रकार की सुविधा है। वहां का जलवायु भी अच्छा है। यह सब प्रकार से राजस्थान की राजधानी बनाये जाने योग्य है। अतः केन्द्रीय सरकार को इसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

खण्ड ५२ के अधीन राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वे उच्च न्यायालयों के स्थान का निर्णय करें। इसके बारे में भी मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में अजमेर ही सर्वश्रेष्ठ स्थान है जिससे वहां सबको सुविधा होगी। मैं आशा करता हूं कि इन बातों पर अवश्य ध्यान दिया जायेगा।

†**श्री सारंगधर दास** (ढेंकानाल-पश्चिम कटक) : भाषा सम्बन्धी विवाद के बारे में मैंने सभा में जो कुछ सुना है उससे मुझे बहुत दुःख हुआ है। जब एक ही भाषा को बोलने वाले दो व्यक्ति मिलते हैं तो वे अपनी भाषा में ही बात करते हैं, किन्तु जहां बहु भाषी हों वहां अंग्रेजी से

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री सारंगधर दास]

अपना काम चलाते हैं। राष्ट्रभाषा का प्रचार होने पर लोग इसी प्रकार हिन्दी बोलना प्रारम्भ कर देंगे। अतः भाषा सम्बन्धी कोई विवाद नहीं होना चाहिये। केवल इसी आधार पर राज्यों का निर्माण भी उचित नहीं है।

यदि भाषा का प्रश्न इतना महत्त्वपूर्ण बन गया है, तो हमें यह देखना है कि यह समस्या पैदा कैसे हुई। दस पन्द्रह वर्ष पहले यह प्रश्न उठा था कि भाषाओं के आधार पर राज्य बनाये जायें और प्रधान मंत्री उससे सहमत न थे। किन्तु बाद म आंध्र का प्रश्न आया और धीरे-धीरे भाषा के आधार पर आंध्र का निर्माण भी हो गया। उसके बाद ही राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्ति की गई और उसने कई नये एक भाषायी राज्यों की स्थापना की सिफारिश की जो अब इस विधेयक में भी मौजूद हैं। किन्तु अब फिर वापस जाना और यह कहना कि द्विभाषी या तृभाषी राज्य स्थापित हो सकते हैं ठीक नहीं है। उदाहरण के लिये बंगाल को लीजिये। उन्नीसवीं शताब्दी में बिहार, उड़ीसा और आसाम भी बंगाल के ही भाग थे, किन्तु उनकी भाषायें पृथक् होने के कारण अलग अलग राज्य बनाने पड़े, क्योंकि जहां किसी एक भाषा को बोलने वाले बहुसंख्या में होते हैं वहां अल्प भाषा भाषियों की अवहेलना की जाती है। बंगालियों का प्रभुत्व बढ़ने के कारण ही यह स्थिति पैदा हुई थी।

जहां तक राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट का प्रश्न है, हम देखते हैं कि उसमें उड़ीसा के साथ न्याय नहीं किया गया है। हमने सरायकेला सब-डिवीजन की मांग की थी किन्तु वह हमें नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार सिंहभूम जिले में भी उड़िया भाषी लोग रहते हैं। बिहार की विधान सभा में सिंहभूम से जो सदस्य हैं उनमें से सात व्यक्तियों ने यह मत प्रकट किया है कि सिंहभूम को उड़ीसा में मिला दिया जाय। फिर भी बिहार के मुख्य मंत्री बड़े गर्व के साथ यही कहते रहते हैं कि वे बिहार की एक इंच भूमि भी उड़ीसा में नहीं जाने देंगे।

सरायकेला और खर्सवान नामक दो देशी राज्य पहले छोटा नागपुर एजेन्सी के अधीन थे। १९१६ के बाद वे उड़ीसा एजेन्सी के अधीन हो गये। उसके पश्चात् लेफ्टिनेन्ट गवर्नर ने भी यह आदेश दिया कि वे उड़ीसा में शामिल होने चाहियें। भारत स्वतन्त्र होने के बाद इन राज्यों के विलयन का प्रश्न उपस्थित हुआ और वे उड़ीसा में मिला दिये गये। उसके बाद बिहारियों ने कुछ आन्दोलन किया तो सरदार पटेल ने उन्हें बिहार में मिला दिया क्योंकि उस क्षेत्र के और उड़ीसा के बीच में मयूरभंज राज्य पड़ता था जो उस समय तक स्वतन्त्र था।

मयूरभंज राज्य का उड़ीसा में विलयन हो गया। अतः उसके बाद वह क्षेत्र उड़ीसा को मिलना चाहिये था, किन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया गया है। कारण यह है हम दबाव नहीं डाल सकते, जबरन नहीं कर सकते।

†**एक माननीय सदस्य :** पुरी के बारे में क्या हुआ था ?

†**श्री सारंगधर दास :** यदि सरकार वहां पर न्यायिक जांच करे तो सब हाल मालूम हो जायेगा। वहां पर पुलिस ने गोली चलाई और फिर भाग गई। तब लोग वहां के शासक बन गये। उसके पश्चात् जब उनके साथ सख्ती और अधिक की गई तो आन्दोलन और बढ़ गया था। फिर, पुरी में कुछ हुआ इसका यह अर्थ नहीं कि सरकार समस्त उड़ीसा से इसका बदला ले। ऐसा करना तो हमारे साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा।

अंत में बम्बई के प्रश्न पर भी मैं यह निवेदन करना आवश्यक समझता हूं वह महाराष्ट्र का अंग है और उसे महाराष्ट्र में ही मिलाया जाना चाहिये। इसके साथ ही देश में जहां भी अल्पसंख्यकों की समस्या उपस्थित हो वहां उनके हितों की भलीभांति रक्षा की जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वान्दिवाश) : मैं राज्यों के पुनर्गठन के विरुद्ध प्रारम्भ से ही रहा हूं क्योंकि मैं भाषा के आधार पर राज्य निर्माण नहीं चाहता। इस समस्या से देश में बहुत बड़ी उथल-पुथल मच गई है और इससे जो दूषित वातावरण बन गया है वह देश के लिये बहुत हानिकारक है। किन्तु फिर भी यह विधेयक अब इस स्तर तक पहुंच गया है कि उसे किसी भी दशा में वापस नहीं लिया जा सकता। इसके अतिरिक्त हमें द्वितीय योजना की सफलता के लिये भी सब लोगों का सहयोग प्राप्त करना है।

इस विधेयक के पुरःस्थापन से अब तक जो घटनाएं घटी हैं, वह कोई अच्छे असर प्रकट नहीं करतीं। मेरी तो धारणा अब भी यही है कि इस विधेयक को निलम्बित कर दिया जाये।

जब अनुच्छेद ३ में संशोधन करने का विधेयक प्रस्तुत किया गया था तब वह दुर्भाग्यवश बहु संख्या के कारण पारित नहीं हो सका। मैं यहां यह कहना भी अनुचित नहीं समझता कि वास्तव में राज्य पुनर्गठन विधेयक सूर्यग्रहण के दिन प्रस्तुत किया गया था और उसके अशुभ फल के परिणामस्वरूप भी यह गड़बड़ हुई है। मैं इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाये बिना नहीं रह सकता कि जब प्रधान मंत्री क्षेत्रीय परिषदों के बारे में सभा में वक्तव्य देने को थे तभी बिजली खराब हो गई थी और लगभग दस मिनिट तक खराब रही। इस विधेयक के प्रारम्भ से ही सब अपशकुन हो रहे हैं। इसलिये मैं इसके निलम्बर पर इतना जोर दे रहा हूं।

अब मैं संक्षेप में विधेयक के कुछ उपबन्धों के बारे में कहना चाहता हूं। विधेयक के भाग ३ में क्षेत्रीय परिषदों का उपबन्ध किया गया है। किन्तु इसके लिये जब संविधान के अनुच्छेद २६३ में पहले ही उपबन्ध है, तो म समझता हूं कि इस विधेयक में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि विधेयक के भाग ३ को निकाल दिया जाये।

विधेयक के खण्ड २ में नये राज्यों की व्यवस्था की गई है। पहले अन्दमान और निकोबार द्वीप को भाग 'ग' राज्य में शामिल किया जाता था, किन्तु मैं देखता हूं कि नये विधेयक में उन्हें कहीं स्थान नहीं दिया गया है। उनके बारे में भी कोई उपबन्ध किया जाना चाहिये था।

†**श्री वेंकटरामन्** (तंजोर) : वे केन्द्र के अधीन रहेंगे।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : किन्तु विधेयक में इस आशय का कोई उपबन्ध होना चाहिये।

इसी प्रकार पांडिचेरी का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है।

†**श्री वेंकटरामन्** : अभी उसका विधितः हस्तांतरण नहीं हुआ है यद्यपि ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर हो गये हैं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : नहीं, ऐसा नहीं है। विधितः हस्तान्तरण भी हो चुका है। प्रधान मंत्री ने भी अपने भाषण में ऐसा कहा है।

विधेयक में २१ राज्यों का उल्लेख किया गया है और अन्दमान और निकोबार मिलने पर २२ राज्य बनते हैं। इसके अतिरिक्त पांच प्रदेश परिषदें होंगी जिन्हें राज्यों के बराबर ही अधिकार प्राप्त होंगे।

जहां तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं का सम्बन्ध है, मेरा सुझाव यह है कि किसी एक राज्य क्षेत्र के किसी दूसरे में हस्तांतरण कर देने से वहां के अधिवक्ताओं को स्वतः ही अधिकार मिलना चाहिये कि वे उस राज्य में भी वकालत कर सकें। ऐसा न करने से उन्हें पुनः नामांकन शुल्क देना पड़ेगा। साथ ही कुछ समय इसके लिये भी निश्चित कर देना चाहिये जिसके भीतर वे यह सूचित कर दें कि वे उसी राज्य में रहना चाहते हैं अथवा हस्तांतरित राज्य में जाना चाहते हैं। अतः में निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार एक संशोधन प्रस्तुत करे कि अधिवक्ताओं को नये राज्य में वकालत करने का अधिकार होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री टेकचन्द** (अम्बाला-शिमला) मैं संयुक्त समिति के सभापति को इसके लिये हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने सभी दलों के व्यक्तियों को अपने-अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया।

राज्य पुनर्गठन विधेयक के बारे में मेरी धारणा औरों से कुछ भिन्न है। इसके द्वारा हमारी कुछ कमजोरियां और असफलतायें प्रकट हो गई हैं जिन्हें यदि रोका न गया तो आगे चल कर उससे दुष्परिणाम निकल सकते हैं। सद्विचार और सद्भावनायें दब गई हैं। क्या हमने कभी सारे भारत के हित की दृष्टि से इस सम्बन्ध में विचार किया है? ऐसा लगता है कि हमारा लगाव अपनी जाति, समुदाय अथवा छोटे से भूभाग तक ही सीमित होकर रह गया है। यदि हमारा लगाव पंजाब, महाराष्ट्र अथवा बंगाल से ही है तो यह देशभक्ति की भावना नहीं कही जा सकती। यहां तक कि भारत को संगठित करने के बजाय हम उसे विश्रंखलित करने में लगे हैं। कई विद्वान वक्ता "मेरी जाति" अथवा "मेरी भाषा के अल्पसंख्यक" जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मेरे विचार से जो भारत की एकता में विश्वास करते हैं उन्हें इस प्रकार की बातें कहना शोभा नहीं देता।

इस विधेयक ने बहुत कुछ हमें अपनी वास्तविकता दिखाने और गलतियों को ठीक करने का अवसर दिया है। इसमें हमारी कमियां और कमजोरियां प्रकट हो गई हैं। वास्तव में इस विधेयक का उद्देश्य तो भारत को एकता प्रदान करना था जब कि हो इसका उल्टा रहा है। भाषा वरदान भी है और अभिशाप भी। वरदान उस दशा में जब कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही स्थान में रखे जायें, और अभिशाप तब जब एक भाषा बोलने वाला इसकी भाषा बोलने वाले को विदेशी समझे। अतः भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं बनाया जाना चाहिये जिसमें कम से कम दो भाषायें न बोली जाती हों। मैं तो सबसे अच्छा यह समझता था कि इतने राज्य बनाने के बजाय भारत को केवल उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य इन पांच राज्यों में बांट दिया जाता। इतनी मार-काट, उपद्रवों और रक्तपात से कुछ भी परिणाम नहीं निकला है और यदि उसका कुछ परिणाम निकला है तो वह यह कि एकता स्थापित करने के लिये हमारे यहां एकीय प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। हो सकता है कि एकता के सूत्र में बंधने के लिये एक समय ऐसा आ जाये जब कि हमें ये सारे राज्य समाप्त कर एक केन्द्रीय प्रशासन की रचना करनी पड़े।

आज एक ही भाषा बोलने वाले, आपस में शादी-विवाह करने वाले, एक ही जाति वाले और यहां तक कि एक ही धर्म के लोगों में विध्वंसकारी मनोवृत्तियां उत्पन्न होती जा रही हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कम से कम सिक्ख लोग सन्तुष्ट हैं। किन्तु जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है देश के नेताओं का कहना यह है कि अधिकांश जनता असन्तुष्ट है। इस कारण इस प्रश्न पर गम्भीरता और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार करने की आवश्यकता है।

यह बड़े सन्तोष की बात है कि किसी व्यक्ति को अपना विचार प्रकट करने का अवसर तो मिला, निर्णय भले ही उसके विपरीत ही क्यों न हुआ हो। किन्तु यदि किसी व्यक्ति की बात सुनी ही नहीं जाती तो उसे अधिक बुरा लगता। अभी यदि जनता और बहुमत समुदाय के लोग मिल कर आपस में समझौता कर लें तो अधिक अच्छा हो क्योंकि अभी इसमें विलम्ब नहीं हुआ। यह समायोजना का छोटा सा मसला है।

मैं पंजाब के हिन्दी बोले जाने वाले क्षेत्र का रहने वाला हूं। यों तो मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव की बात से सर्वथा सहमत हूं किन्तु मैं महसूस करता हूं कि लिपि के बारे में, यदि कोई मध्य मार्ग हो, तो समझौता किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि अच्छा यह होगा यदि इस प्रश्न का निर्णय हम अभिभावकों के ऊपर छोड़ दें कि स्कूलों में बच्चों को पंजाबी हिन्दी लिपि में पढ़ाई जाय अथवा गुरुमुखी लिपि में। इससे सारे भेद-भाव समाप्त हो जायेंगे। यदि इस पर सिक्ख भाइयों को कुछ आपत्ति हो तो इसका एक सुझाव है कि सरकार यह कह दे कि पंजाब के सभी लोगों को गुरुमुखी लिपि में पंजाबी सीखनी होगी और साथ ही देवनागरी लिपि में हिन्दी। सच्चर सूत्र के अनुसार जब तक कि किसी एक कक्षा में दस तथा पूरे स्कूल में ४० हिन्दी पढ़ने वाले छात्र न हों, तब तक प्रथम

†मूल अंग्रेजी में।

पांच वर्षों तक गुरुमुखी लिपि में शिक्षा दी जाये। इस प्रकार उपरोक्त दशा में जिले में भी गुरुमुखी भाषा पढ़ाई जाए और साथ ही हिन्दी भी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ायी जाये क्योंकि अब वह राष्ट्रभाषा है उसे सारे देश की भाषा होना है।

जहां तक प्रादेशिक फार्मूले का प्रश्न है, पंजाब के लिये भी महाराष्ट्र वाला फार्मूला ही अधिक अच्छा रहेगा अर्थात् संविधान के नये अनुच्छेद ३७१ का खण्ड (१) नहीं रहना चाहिये; किन्तु पंजाब और आन्ध्र प्रदेश के लिय उसे खण्ड (२) के आधार पर पुनः बनाना चाहिये।

हिमाचल प्रदेश के महत्व में सामरिक दृष्टि से वृद्धि होना निश्चित है। इसकी सीमा एक प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है। यह किसी बड़े एकक का भाग होना चाहिये जिससे उसकी देख-रेख अधिक सावधानी से की जा सके और वहां सड़कों और डाक बंगलों का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। मेरे विचार से कम से कम ऐसे समय में हिमाचल प्रदेश को अलग रखना उचित नहीं होगा। अभी से कुछ समय निर्धारित कर देना चाहिये जिससे आगे चल कर वह पंजाब का अंग बन सके।

क्षेत्रीय परिषदों के उपबन्ध का मैं स्वागत करता हूं। इनसे विभिन्न राज्यों के बीच की खाई पट सकेगी और उनमें सम्पर्क स्थापित हो सकेगा।

मेरे विचार से हमें न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों को समाप्त कर बृहत उच्च न्यायालय बनाने चाहियें। हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मनीपुर के लिये एक-एक उच्च न्यायालय होना चाहिये। हिमाचल प्रदेश का न्यायिक आयुक्त न्यायालय तत्काल ही पंजाब उच्च न्यायालय के अधीन लाया जा सकता है। ऐसा करना स्वयं हिमाचल प्रदेश के हित में होगा।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम-रक्षित अनूसूचित जातियां) : मुझे खेद है कि संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देते समय मैं उपस्थित नहीं था, और इसलिए अपनी विमति टिप्पणी नहीं दे सका, अन्यथा सम्भवतः मुझे इस चर्चा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

मैं यह बात सभा में कई बार कह चुका हूं कि केवल भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्वितरण अथवा पुनर्गठन करने का मैं सदैव से विरोधी रहा हूं। मैं बराबर यही कहता आया हूं कि पुनर्गठन प्रशासन के आधार पर होना चाहिये। केवल भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने से कोई लाभ नहीं होगा।

आदिम जाति के दृष्टिकोण से जब मैं इस समस्या पर विचार करता हूं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अभी ऐसी बहुत सी भाषायें हैं जिनको बहुत कम लोग जानते हैं अथवा जिनको मान्यता नहीं दी गई है। मेरी मुन्दरी भाषा उनमें से एक है। अतः भाषा के आधार पर इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता।

मुझे इस विधेयक और आगामी विधेयक पर जो प्रस्तुत किया जाने वाला है सरकार से बड़ी सख्त शिकायत यह है कि ऐसा तो केवल एक ही विधेयक के द्वारा किया जा सकता था। मैंने इस सम्बन्ध में एक औचित्य प्रश्न भी पहले उठाया था, किन्तु अध्यक्ष महोदय उसे समझ नहीं सके। अतः मैं अब उसी के विषय में कुछ कहना चाहूंगा।

उड़ीसा के कुछ माननीय सदस्य मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ भागों को उड़ीसा में मिलाने के बारे में संशोधन प्रस्तुत करना चाहते थे। इस प्रकार तो कोई भी सदस्य किसी राज्य का कुछ भाग मांगने के बारे में संशोधन रख सकता है। खैर, उनके संशोधन नियम बाह्य ठहराये गये। इसी प्रकार का व्यवहार मेरे साथ भी हुआ और यह आशा दिलाई गई कि ये संशोधन हम आगे फिर कभी प्रस्तुत कर सकते हैं। जब बंगाल और बिहार (राज्य-क्षेत्र हस्तांतरण) विधेयक आया

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री जयपाल सिंह]

जब मैं उस पर आऊंगा तो मुझसे यह कह दिया जायेगा कि उसमें उड़ीसा का उल्लेख नहीं किया गया है। इस कारण यदि पुनर्गठन सम्बन्धी सारा कार्य एक ही विधेयक में रख दिया गया होता तो अधिक अच्छा होता क्योंकि अब हमारे संशोधनों को रखने का कोई संवैधानिक अथवा विधिक तरीका नहीं है। इसका तात्पर्य यह होगा कि हमें संविधान में ग्यारहवां संशोधन करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि उड़ीसा के सदस्यों को अपनी कठिनाइयां प्रस्तुत करने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिये था। इससे तो कटुता ही शेष रह गई है। ऐसा करना अन्याय होगा।

श्री फ्रैंक एन्थनी और श्री अशोक मेहता की इस बात का मैं भी समर्थक हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये थी जिससे भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यक वास्तव में सन्तोष अनुभव करते। आज संविधान को बने इतने वर्ष हो गये हैं किन्तु आदिवासियों के लिये क्या किया गया है? राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में कितना कार्य कर रही हैं? बिहार में आदिम जाति मंत्रणा परिषद की नियुक्ति १८ मास तक इस कारण नहीं की जा सकी कि कांग्रेस दल को आदिम जाति के स्थानों की बहु संख्या प्राप्त नहीं हो सकी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के पत्र व्यवहार का राज्यों ने तीन वर्षों तक उत्तर नहीं दिया। अतः भाषा आयुक्त जिसकी नियुक्ति करने के बारे में मंत्री जी ने आश्वासन दिया, कुछ कर सकेगा, मुझे इसमें सन्देह है। माननीय गृह-कार्य मंत्री जैसे सम्मानित व्यक्ति के वचनों से भी हमारा कहां तक भला हो सकता है? राज्यों पर यह मामला नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

जो लोग पश्चिमी भारत से बहुत दूर हैं उनके लिये महाराष्ट्र, गुजरात, बम्बई अथवा पंजाब के बारे में अपनी सम्मति देना कठिन है। इस समय तो मेरे विचार से इसका केवल एक ही हल हो सकता है और वह यह कि इसका आधार कथित संतुलित द्विभाषी राज्य न रखकर महा-महाराष्ट्र, महा-महागुजरात तथा महा-बम्बई तीनों को मिलाकर एक महाराष्ट्र-बम्बई-गुजरात राज्य बना दिया जाय।

इसी प्रकार बंगाल और बिहार की समस्या भी है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे।

मुन्दरी आदिमजाति का होने के कारण मैं यह जानता हूं कि 'हो' आदिम जाति इसी का एक अंग है। इस सम्बन्ध में मैं सभा को बताना चाहता हूं कि मुझे खेद है कि उड़ीसा के सदस्यों के झूठ बोलने के कारण मुझे उनके विरुद्ध कुछ कहना पड़ रहा है। सिंहभूम जिले के छः सदस्यों ने कहा है कि वे लोग उड़ीसा के पक्ष में है। ये छः व्यक्ति ऐसे हैं जो झाड़खंड दल के टिकट पर चुने गये थे। अच्छा तो यह हो कि वह त्याग पत्र देकर उप-चुनाव लड़ें। किन्तु मैं जानता हूं कि उनमें इतना साहस नहीं है। वे लोग उक्त पार्टी की बदौलत मजे कर रहे हैं। बिहार राज्य में विरोधी दल झाड़खंड दल ही है।

अन्त में मेरा निवेदन यह है कि राज्य पुनर्गठन का प्रश्न बेमौके उठाया गया है। हमारे नेताओं को हमसे भी अधिक सजग और दूरदर्शिता से काम लेना है। उन्हें न केवल जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की बात ही सुननी है, अपितु इस ओर से सजग रहना है कि पंजाब, महाराष्ट्र अथवा उड़ीसा में अन्दर अन्दर हो क्या रहा है। समस्याओं के अस्थायी रूप से हल कर देने से काम नहीं चलेगा, उन्हें तो इसकी तह तक जाना पड़ेगा। अस्थायी हल से तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। राज्यों का पुनर्गठन करना बड़ी महंगी चीज है। यदि हमने इस कार्य में शीघ्रता कर दी तो सारा कुछ चौपट हो जायेगा। यदि हमारे नेता यह महसूस करते हैं कि उनसे गलती हो गई है तो उन्हें सहर्ष जनता की राय को देखते हुये उसे स्वीकार कर लेना चाहिये। गलती स्वीकार करना महानता है। क्या कांग्रेस अथवा कांग्रेस के नेताओं से गलती नहीं हो सकती? गलती सभी से होती है, कोई भी इस बारे में अपवाद नहीं कहा जा सकता।

मैं देखता हूं कि इस देश के स्वस्थ विकास में बाधक कुछ चीजें पनप रही हैं। अतः नेताओं से मेरा निवेदन है कि वे स्थिति पर कड़ी निगाह रखें। हजारों मील का चक्कर लगाकर आये हुये लोगों को देख कर घबड़ा न जायें।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक को ज्यों का त्यों स्वीकार करके निश्चित है कि हम कुछ बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। अतः नताओं से मेरा निवेदन है कि वह अवसर को देखते हुये कार्य करें और जनता की राय लेकर उचित कार्य करें।

लाला अचिंत राम (हिसार) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने इतना कम वक्त होते हुए भी मुझे बोलने का मौका दिया। पंत जी ने अपनी स्पीच करते हुए एक बात कही थी कि हमने इस बिल के तैयार करने में बहुत मेहनत की है और सेलेक्ट कमेटी में बहुत मेहनत की है, इस वास्ते इसको मंजूर कर लेना चाहिये लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी आशा दिलाई थी कि अगर उसमें कोई अमेंडमेंट की गुंजाइश महसूस होगी तो वह उसको करने के लिये तैयार रहेंगे। हमारे लिये इससे बढ़ कर और क्या खुशी हो सकती है कि हम पंत जी जिन्होंने देश की इतनी सेवा की है और खास तौर से इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ इत्तिफाक करें और अगर कोई अमेंडमेंट इसमें करना जरूरी मालूम हुआ तो मैं समझता हूं कि जैसा कि उन्होंने वायदा किया है, उस पर अमल करने में उनको कोई दिक्कत पेश नहीं आयेगी।

अब मैं जरा पंजाब की बाबत कुछ बातें हाउस के सामने अर्ज करना चाहता हूं। पंजाब की हिस्ट्री अगर आप मुलाहिजा फरमायेंगे तो आपको पता चलेगा कि पंजाब का पार्टीशन होने के बाद से अकाली पार्टी की तरफ से लगातार एक ऐजिटेशन (आन्दोलन) होता रहा कि उनको संतोष नहीं है। अकालियों को शिकायत रही है कि सर्विसेज (सेवाओं) के अन्दर उनके साथ इंसाफ नहीं होता है, जबान के मामले में उनके साथ इंसाफ नहीं होता है और मजहबी मामलात में उनके साथ इन्साफ नहीं होता है, इस वास्ते सिक्खों को एक अलग पंजाबी सूबा चाहिये। यह ऐजिटेशन लगातार पांच साल तक चलता रहा। इन तमाम दिक्कतों को देख कर जब एस० आर० सी० (राज्य पुनर्गठन आयोग) बैठा तो उसने इस मांग को देखा कि यह कहां तक ठीक है और कहां तक गलत है और जिन्होंने कमिशन की रिपोर्ट को पढ़ा है वे सब जानते हैं कि कमीशन ने उन तमाम पहलुओं पर गौर किया और यह राय कायम की कि वहां पर सिक्खों को मजहबी दिक्कत कोई खास नहीं है, सर्विसेज (सेवाओं) के अन्दर कोई दिक्कत नहीं है और किसी भी तरह की कलचरली (सांस्कृतिक), पोलिटिकली (राजनैतिक) सामाजिक या आर्थिक दिक्कत नहीं है और कोई बैकवर्डनैस (पिछड़ापन) नहीं है और इस वास्ते उन्होंने कहा है कि एक अलहिदा पंजाबी सूबे के निर्माण की जरूरत नहीं है। कमिशन की रिपोर्ट निकलने के बाद फिर उनकी तरफ से एजिटेशन किया गया और बड़े-बड़े जुलूस निकाल जाने लगे और मीटिंग्स की जाने लगीं और गवर्नमेंट ने ऐसा महसूस किया कि अब हमें इनसे बातचीत करनी चाहिये .....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अगले दिन अपना भाषण जारी रखें।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, ३० जुलाई, १९५६ के लिये ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[शनिवार, २८ जुलाई, १९५६]

पृष्ठ

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ४२१

विनियोग लेखे (रेलवे) १९५३–५४ पर लोक लेखा समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन (१९५५–५६) खण्ड १ प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४२२

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (उद्योग, खनिज पदार्थ परिवहन और संचार) सम्बन्धी समिति "बी" की कार्यवाही और उसके सारांश की एक प्रति।

विधेयक विचाराधीन ४२२-५७

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में राज्य पुनर्गठन विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर जो २६ जुलाई, १९५६ को प्रस्तुत किया गया था और आगे चर्चा हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सोमवार, ३० जुलाई, १९५६ के लिये कार्यावलि--

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में राज्य पुनर्गठन विधेयक पर और आगे विचार।

———

भा. स. मु. ना.--वि. ३—२००—लोकसभा ५६—१८-७-५७–१९०.